राजस्थान विधान सभा

पंचम बैठक, दिनांक ८ सितम्बर, १९५२

सदन का कार्य ८ बज कर ४७ मिनिट पर प्रारम्भ हुआ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ६४

श्री खेतसिंह–Will the **Chief Minister** be pleased to state:

(a) How much amount was realised from the shows staged recently by some of the film stars at Jaipur and Jodhpur in connection with Famine Relief ?

(b) How much expenditure was incurred on their visit ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)––(अ) सरकार ने कोई शो (खेल) नहीं किया था।
(ब) सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री जसवन्तसिंह––मैं सुन नहीं सका क्या आप अपने उत्तर को दोहरायेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री) (अ) सरकार ने तमाशा या शो ऐरेन्ज नहीं किया था।
(ब) सवाल पैदा नहीं होता।

श्री जसवन्तसिंह––तो क्या आप बतायेंगे कि इस शो का किसने प्रबन्ध किया था ?

श्री जयनारायण व्यास––रिलीफ सोसाइटी एक रजिस्टर्ड बोडी है, उसने एरेन्ज किया था।

श्री जसवन्तसिंह––क्या सरकार ने उनको कोई सहायता दी थी ?

श्री जयनारायण व्यास––फेमिन रिलीफ के सम्बध में बहुतों से सहयोग मांगा गया था और कईयों की तरफ से रकम भी सहायतार्थ मिली है। जिन्होंने इस प्रकार का सहयोग दिया उन्हें सरकार ने धन्यवाद दिया।

श्री जसवन्तसिंह––क्या जो बात अखबारों में छपी है वह सच है कि मिनिस्टर भी वहां गये थे ?

श्री जयनारायण व्यास––यह बात शो से ताल्लुक रखती है। यह मैं आपसे कह सकता हूं कि मिनिस्टर नाचने नहीं गये थे।

Page No.2

श्री अध्यक्ष—चन्दा इकट्ठा करने गये थे ।

श्री जसवन्तसिंह—हमारे मुख्य मंत्री नाचने के कलाकार हैं । क्या उनके मंत्री मंडल में और भी कोई मंत्री यह कला जानते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—हो सकता है, लेकिन उस समय किसी ने प्रदर्शन नहीं किया ।

श्री गुरुदयालसिंह—सरकार ने रिलीफ फंड के लिये क्या क्या कार्य किये ?

श्री जयनारायण व्यास—गवर्नमेंट ने इसके लिये अपील की थी और उसके फलस्वरुप काफी रुपया आया भी ।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने एक्टर्स और एक्ट्रेसेज के साथ में रहकर खेल का प्रबन्ध कराया था ?

श्री जयनारायण व्यास—साथ में रहकर तो मुख्य मंत्री ने नहीं कराया ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या फिल्म स्टार को यहां से पहुंचाने के लिये सरकारी गाडियें गई थीं ?

श्री जयनारायण व्यास—जरूर, सरकारी गाडियें गई थीं । जो लोग रिलीफ काम के लिये चन्दा इकट्ठा करने आये थे उनको सहयोग दिया गया था ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकारी गाड़ी टुकडे टुकडे हो गई, यह सच है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह गलत सूचना है ।

श्री जसवन्तसिंह—जिन गाड़ियों को मंत्री लोग काम में लाते हैं क्या वे ही गाड़ियें फिल्म स्टार्स को पहुँचाने गई थीं ।

श्री जयनारायण व्यास—गेरेज की गाड़ियें गई थीं । उनको मंत्री भी काम में ले लेते हैं । मैं यह बतलादू कि मंत्रियों के लिये अब तो अलग छोटी गाड़ियें हो गई हैं ।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही नहीं है कि नूतन और पारो बेगम मुख्य मंत्रीजी के अनुरोध से यहां आई थीं ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं उनसे इतना परिचित नहीं हूं जितना कि प्रश्नकर्ता होंगे ।

श्री संतोषसिंह—क्या यह सही है कि जोधपुर में एक्टर्स की मोटर पर विद्यार्थियों ने हमला कर दिया ?

श्री जयनारायण व्यास—यह सूचना मुझे तो मिली नहीं है, शायद माननीय सदस्य वहां उपस्थित होंगे तो उन्होंने देखा होगा ।

श्री हिम्मतसिंह--वह कौनसे मेक की गाड़ी थी ?

श्री जयनारायण व्यास -सरकारी गाड़ी थी ।

श्री हिम्मतसिंह--कौनसे मेक की गाड़ी थी ?

श्री जयनारायण व्यास--मुझे यह मेक मालम नहीं है ।

श्री हिम्मतसिंह--क्या मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि वह पेकार्ड गाड़ी थी ?

श्री जयनारायण व्यास--मेरे ख्याल से नहीं थी ।

श्री खतसिंह--क्या यह सही बात है कि मुख्य मंत्री जी के साथ बैठकर एक्टर्स ने सर्किट हाउस में खाना खाया ?

श्री जयनारायण व्यास--यह सही नहीं है । मेरे घर पर मैंने उन्हें बुलाया था और वहां पर ाना खाया था ।

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या उनके ठहरने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी ?

श्री जयनारायण व्यास--जरूर, सरकार द्वारा की गई थी ।

प्रश्न संख्या ६५

श्री अध्यक्ष--एच. के. व्यास. (ग्रनुपस्थित कृपया-परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६६

श्री खेतसिंह--Will the **Minister for Education** be pleased to reply।

(a) How many primary schools were opened during the last 6 months in Rajasthan state ?

(b) In which Districts highest number of such schools were opened and in which lowest number of schools were opened ?

(c) How many primary schools were opened in Shergarh Tehsil and Jaisalmer sub-division during these six months ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)-(क) इस प्रश्न का उत्तर मैं कल भी दे चुका हूं कि सरकार ने राजस्थान में ८०० स्कूलें खोलने का निश्चय किया है । लेकिन कितनी स्कूलें अभी तक खुली हैं उसकी सूची अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । जहां तक स्कूलें खोलने का प्रश्न है वह पापुलेशन बेसिस पर खोलने का है और उस लिहाज से सबसे ज्यादा स्कूलें जयपुर में यानी ७७ स्कूल जयपुर डिस्ट्रिक्ट में खोली गई हैं ।

Page No.4

[श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)]

(ख) शेरगढ़ में ५ प्राइमरी स्कूलें खोली गई हैं और जैसलमेर सब-डिविजन में ४ स्कूलें खोली गई हैं।

(ग) अभी सूची नहीं आई है कि कहां कहां कितनी स्कूलें खुली हैं लेकिन इन स्कूलों के खुल जाने के बाद इस डिपार्टमेन्ट का यह खयाल है कि बहुत कम ऐसे स्थान रह जावेंगे जहां कि आबादी १००० की हो और वहां पर प्राइमरी स्कूल न खुली हो।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री संतोषसिंह कछवाहा (१३६)--क्या मंत्री महोदय यह बतला की कृपा करेंगे कि बिलाड़ा में अभी तक कितनी प्राइमरी स्कूलें खुली हैं ?

श्री भोलानाथ--यह तो दफतर से जानकारी हासिल करके बताया जा सकता है। आप दफतर में आकर जानकारी हासिल कर सकते हैं।

श्री छतरसिंह--एज्युकेशन में पिछड़े हुए इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए क्या सरकार कोई खास प्रबन्ध कर रही है ?

श्री भोलानाथ--पिछडे हुये इलाकों में रहने वाले लोगों के लिये सरकार वहां पर ज्यादा स्कूल खोलने का विचार रखती है।

डा० श्री माधोसिंह (९०)--क्या यह सही है कि अलवर में सबसे ज्यादा स्कूलें खोली गई हैं ?

श्री भोलानाथ--बिल्कुल गलत।

श्री कानसिंह (६६)--बीकानेर जिले में कितने स्कूल खोले गये ?

श्री भोलानाथ--मैं जिलेवार बतला सकता हूं। बीकानेर जिले में १६ स्कूलें खोली गई जिसमें १० लडकों के और ६ लडकियों के हैं।

श्री राज हिम्मतसिंह--कोटा एक छोटा सा जिला है उसमें कितनी स्कूलें खोली गई हैं, क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री भोलानाथ--कोटा में २८ स्कूलें लडकों के लिये और ६ स्कूलें लडकियों के लिये हैं।

श्री तनसिंह (१४८)--बाडमेर, जोधपुर जिले में एक भी प्राइमरी स्कूल लडकियों के लिये नहीं खोलने का कोई विशेष कारण रहा है क्या ?

Page No.5

श्री भोलानाथ—प्राइमरी स्कूलें उसी जगह खोली गई है जहां मिडिल स्कूल्स चल रहे हैं लड़कियों के स्कूल वहीं खोले जावेंगे जहां तीन हजार की आबादी हो और कम से कम २५ लड़कियां पढ़ने वाली मिल सकती हों ।

श्री मोतीराम—अश्रव्य ।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !! नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ६७

श्री अध्यक्ष—श्री खेतसिंह ।

(विराम)

इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया गया है ।

प्रश्न संख्या ६८

श्री संतोषसिंह कछवाहा (१३६)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में आयुर्वेदिक औषधालयों के वास्ते कितने डाईरेक्टर व रजिस्ट्रार, कितने कितने रूपये माहवार पर कब से मुकर्रर किये गये हैं ?

(२) उनके क्या नाम हैं और उनकी इस विषय में कहां तक शिक्षा व योग्यता है ?

(३) जब से ये मुकर्रर हुए हैं तब से आज तक उन्होंने क्या क्या कार्य किये हैं ?

(४) राजस्थान के प्राइवेट औषधालयों के वैद्यों को आज तक रजिस्टर क्यों नहीं किया गया ?

(५) राजस्थान में जो आयुर्वेदाचार्य, भिषगाचार्य, आयुर्वेद विशारद और आयुर्वेद शास्त्री आदि वैद्य राज्य की सर्विस में हैं -उनको क्या वेतन मिलता है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ मंत्री)—१. आयुर्वेदिक औषधालयों के लिये एक डाईरेक्टर वर्तमान डाईरेक्टर सितम्बर १३, १९५२ से रु. ४२५)—१००) विशेष वेतन पर एवं एक एक्स आफिसियो रजिस्ट्रार अप्रेल १, १९५० से रु० ५००) वेतन पर नियुक्त हैं ।

२. डाईरेक्टर का नाम राजवैद्य नन्दकिशोर शर्मा है । वे भिषगरत्न एवं आयुर्वेदिक कालेज जयपुर के भिषगाचार्य हैं और आयुर्वेद के ख्यातिप्राप्त विद्वान हैं । रजिस्ट्रार का नाम श्री हरिगोपाल एस. दवे है और वे बंगाल प्रान्त की एम. ए. एम. एस. परीक्षा पास हैं ।

३. इनकी नियुक्ति से लेकर आज तक किये गये कार्यों की तालिका इतने थोड़े समय में देना सम्भव नहीं है । ये आयुर्वेद विभाग के संचालन, सम्वर्धन एवं पुनर्संगठन सम्बन्धी विविध कार्यों में संलग्न हैं ।

Page No.6

[श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ मंत्री)]

४. राजस्थान इन्डियन मेडिसिन्स बिल, १९५३ भारत सरकार को भेजा गया है अतः स्वीकृति प्राप्ति पर रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ हो सकेगा ।

५. वे अपनी अपनी इकाई में जो वेतन पा रहे थे वही पा रहे हैं। स्थायी नियुक्ति पर नवीन वेतनस्तर पर आजावेंगे ।

६. योग्यता के आधार पर ही एकीकरण किया जावेगा और वेतन दिया जावगा ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा--क्या उनको जो वेतन अभी मिलता है वह काफी है ?

श्री अध्यक्ष--वेतन मिलता है वह काफी है या नहीं यह सवाल नहीं है ।

(विराम)

प्रश्न संख्या ६९

श्री अध्यक्ष--श्री एच. के. व्यास ।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७०

श्री खेतसिंह--Whether the Government is taking any steps to change the pattern of the present system of education which would lessen the number of the educated unemployed ?

श्री भोलानाथ--हां । हमने कक्षा प्रथम से लेकर ८ तक के लिये एक पाठ्यक्रम तैयार किया है जिसके अनुसार क्राफ्ट और आर्ट सीखना अनिवार्य होगा ।

(२) छात्रों को शारीरिक परिश्रम के प्रति रूचि उत्पन्न करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे कि उनके शरीर को फायदा पहुंचे ।

(३) बहुत सी स्कूलों में मिलिट्री एज्युकेशन का प्रचार किया जा रहा है जिससे कि छात्रों के लिये मिलिट्री केरियर्स खुल सकें ।

(४) मूल भूत शिक्षा में विशेष प्रयोग उदयपुर में किये जा रहे हैं। यदि ये प्रयोग सफल हुए तो उसका विस्तार आगे किया जावेगा ।

(५) सेकेन्ड्री एज्युकेशन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है और उस पर शीघ्र ही विचार किया जायगा ।

(६) सरकार भी बेकारी को दूर करने के लिये योजना पर विचार कर रही है ।

प्रश्न संख्या ७१

श्री अध्यक्ष--श्री एच. के. व्यास ।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७२

श्री खेतसिंह--Will the **Minister for Customs & Excise** be pleased to state:

How many Customs & Excise Inspectors being temporary, and having been duly rejected by the Special Selection Committee have been retained in service and how many permanent Inspectors selected by the said Board are sitting idle and awaiting further orders regarding assignment of duty ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)--There are 12 Customs & Excise Inspectors who are temporary and were rejected by the special Selection Board but are working in the Department.

No permanent Inspectors selected by the Selection Board are sitting idle.

प्रश्न संख्या ७३

श्री रोशनलाल शर्मा (१३०)--क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--(१) राजस्थान के किन किन राजाओं को कितना २ रूपया प्रिवीपर्स (privy purse) के अलावा चेरीटी के लिये दिया जाता है ?

(२) क्या यह रकम चेरीटी के कार्य के अलावा अन्य कार्य में खर्च की जा सकती है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--(१) उदयपुर के वर्तमान महाराणा साहब को उनके जीवन काल तक प्रीवीपर्स के अतिरिक्त पूर्ववत दान पुन्य जारी रखने के लिए ५ लाख रूपये वार्षिक भत्ता दिया जाता है। इस प्रकार का भत्ता राजस्थान के किसी अन्य नरेश को नहीं दिया जाता ।

(२) भारत सरकार द्वारा इस रकम के साथ कोई शर्त नहीं लगाई गई है। इसलिए सरकार इस बात की जांच करने में असमर्थ है कि यह रकम किस प्रकार खर्च की जाती है, परन्तु रकम देने की मंशा दान पुन्य को पूर्ववत जारी रखने की थी ।

श्री रोशनलाल शर्मा--क्या सरकार इस बात को बतलाने की कृपा करेगी कि इस रकम का दुरूपयोग किया जा रहा है या सदुपयोग ।

श्री जयनारायण व्यास--इसका सदुपयोग करे चाहे दुरुपयोग, यह देखना राजस्थान सरकार का काम नहीं है और न वह इस सम्बन्ध में कोई एक्शन ले सकती है। यदि इस सम्बन्ध में कोई एक्शन ले सकती है तो भारत सरकार ले सकती है। यह रकम इस सरकार के मारफत आती है।

श्री रोशनलाल शर्मा--क्या सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती ?

श्री अध्यक्ष--He is not competent to take any action.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--हम इस सम्बन्ध में कोई एक्शन नहीं ले सकते ।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७४ (१२ पी. डबल्यू. एम.)

श्री संतोषसिंह कछवाहा--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) राजमहल गर्ल्स इण्टरमिजियेट कालेज,जोधपुर,में कुल कितनी छात्रायें किन२ कक्षाओं में पढ़ती हैं ?

(२) इन छात्राओं के वास्ते इस कालेज में मौजूदा कितने कमरे व फरनीचर हैं ?

(३) क्या सरकार इनके लिए और कमरे व फरनीचर को बनाने की व्यवस्था जल्द करेगी ?

(४) क्या प्रार्थना व अन्य उत्सव मनाने के वास्ते इस कालेज में इतनी छात्राओं और अन्य प्रतिनिधियों के बैठने के वास्ते कोई बड़ा हाल है ?

(५) अगर नहीं तो सरकार इस कमी को जल्द पूरा करने का कोई ठोस कदम उठा रही है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)--राज महल गर्ल्स इन्टर कालेज, जोधपुर, में कुल ४२० छात्रायें पढ़ती हैं । जिनका कक्षावार विवरण इस प्रकार है ।:--

कक्षा	६	३५
कक्षा	७	४८
कक्षा	८	५१
कक्षा	९	१०३
कक्षा	१०	८१
कक्षा	११	६२
कक्षा	१२	४०
		४२०

२. कालेज में फरनीचर छात्राओं की संख्या के लिये पूरा है । कमरे कुछ कम है ।

३. फरनीचर की व्यवस्था राज्य की आर्थिक दशा का लिहाज रखते हुए यथा समय की जा सकेगी ।

४. इस कालेज में कोई बड़ा हाल नहीं है ।

५. हॉल बनाने की फिलहाल कोई तजवीज नहीं है ।

श्री संतोषसिंह—लड़कियों के स्कूल के लिये तो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी ?

श्री भोलानाथ—आपके सुझाव का ध्यान रखा जावेगा ।

श्री संतोषसिंह—धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७५ (१२/ए.पी. डबल्यू. एम)

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) राजमहल गर्ल्स इण्टरमिडियेट कालेज, जोधपुर, को कब तक पूरा कालेज बनाने की मन्शा है ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(ख) इस कालेज में साइन्स व कामर्स की कक्षाओं की व्यवस्था कब तक करने का विचार है ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) राजमहल गर्ल्स इन्टर कालेज को डिग्री कॉलेज बनाने की फिलहाल कोई तजवीज नहीं है । इस कॉलेज में हाईस्कूल की कक्षाओं के लिए साइन्स की व्यवस्था की जा चुकी है ।

(ख) इसी तरह कामर्स कक्षाएं खोलने की कोई तजवीज नहीं है । कारण यह है कि कामर्स और साइन्स की व्यवस्था जोधपुर के अन्य कॉलेजों में है और लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था करना इस समय अनावश्यक है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट । श्री सरदारसिंह

प्रश्न संख्या ७६

श्री जवानसिंह—रावराजा साहब ने मुझे कोई लिखित ऑथोरिटी तो उनके प्रश्न को रखने के लिए नहीं दी है किन्तु जबानी जरूर कहा है । यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस प्रश्न को उपस्थित करूं ।

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री जवानसिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. क्या यह सही है कि १२-५-५३ को श्री छीतरलाल सोनी; कांग्रेस प्रेसीडेन्ट, ब्रांच शाखा नगर (उनियारा) को मुसम्मात फूला दुख्तर सांवलदास नाथ सा० नगर से बलात्कार करते गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने ३६६-३७० में रिपोर्ट पेश की थी ?

२. क्या यह सही है कि जब पुलिस उनको लेकर उनियारे आरही थी तो रास्ते में मोटर नं ५६६ में एक एम.एल.ए. टोंक तथा पी.सी.सी. के कार्यकर्त्ता पुलिस से उस औरत को छीन कर मोटर में बिठा कर ले गये और उसे ट्रेनिंग देकर अदालत उनियारे में पेश की ?

[श्री जवानसिंह]

३. क्या यह सत्य है कि पुलिस ने उस मामले में अदालत से ७ योम का रिमांड लिया था ?

४. क्या उस लड़की का पुलिस ने मुआयना डाक्टरी कराया, अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

५. क्या यह सत्य है कि पुलिस ने उस केस में उक्त कार्यकर्त्ताओं से मिल कर राजीनामा कराया है ?

६. अब वह केस किस स्टेज पर है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--यह मामला एक पुलिस के सब इन्सपेक्टर और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता श्री छीतरलाल दोनों के आपसी एक दूसरे के चार्जेज से सम्बन्ध रखता है । श्री छीतरलाल ने सब इन्सपेक्टर पुलिस के खिलाफ शिकायत की और उन्होंने (सब इन्सपेक्टर आफ पुलिस ने) यह कहा कि इन्होंने (श्री छीतरलाल) किसी औरत के साथ जिना बिल जब्र किया है । जब वे जारहे थे तो यह अलेज (allege) किया गया कि जबरदस्ती उस औरत को श्री रामरतन जी ने छीन लिया और छीन कर उसको बहका दिया । यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । यह मामला दोनों तरफ ताल्लुक रखता है । इस मामले में जांच करना शुरू किया गया है ।

एक सदस्य--क्या औरत ने कोई बयान दिया है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--जिस औरत से यह संबंधित मामला है उसने कहा है कि उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है ।

श्री हरिदेव जोशी--शायद दूसरे एम.एल.ए. ने ऐसा कहने को मजबूर किया हो ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--मैं समझता हूं कि यह मामला जांच पड़ताल के काबिल है । इस पर प्रकाश डालना ठीक नहीं है जब कि दूसरे एम.एल.एज. सदन में नजर नहीं आते हैं ।

श्री कानसिंह--इसकी तफतीश किस ओहदे के अफसर द्वारा कराई जा रही है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--जांच संबंधित महकमे द्वारा कराई जा रही है । इस सम्बन्ध में अधिक सूचना देना ठीक नहीं है ।

एक सदस्य--जब सब इन्सपेक्टर पुलिस उस औरत को लेकर जा रहा था तो किसी एम.एल.ए. को, उससे उस औरत को छीन लेने का क्या अधिकार था ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--न तो किसी एम.एल.ए. को अधिकार है और न कोई सब इन्सपेक्टर ही किसी मुलजिम को लेकर जाता हो तो उसको छोड़ सकता है ।

श्री किशनलाल शाह--क्या श्री छीतरलाल पर पहले कोई इस प्रकार का आरोप था ?

श्री कानसिंह--किस जाति की वह स्त्री थी ?

Page No.11

श्री जयनारा. ण व्यास (मुख्य मंत्री)—जब किसी के साथ कोई बलात्कार ही नहीं हुआ है तो यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री तेजमल बापना—क्या यह राव राजासाहब की कोई नौकरानी थी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मैं नहीं कह सकता ।

श्री संतोषसिंह—क्या कोई डाक्टरी मुआयना कराया गया था ?

श्री जयनारायण व्यास—मजिस्ट्रेट द्वारा ही फैसला होता है ।

श्री कानसिंह— कहने का मतलब यह है कि पुलिस द्वारा कोई डाक्टरी मुआयना कराया गया या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं आपसे कह चुका हूं कि यह मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन का सवाल है ।

श्री श्रीदास गोयल—On a point of order Sir, I want to know whether a question on a case which is sub-judice can be permissible,

श्री अध्यक्ष—Ther. is no such case sub-judice.

श्री कानसिंह—ज्युडिशियरी द्वारा भी डाक्टरी मुआयना कराया गया या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—पुलिस को मुआयना कराने की इसलिये जरूरत नहीं महसूस हुई कि यह केस ही फेल होगया ।

श्री कानसिंह—पुलिस ने अपनी आॅथोरिटी से ही फेल कराया या डाक्टरी मुआयने से ?

श्री जयनारायण व्यास—जब पुलिस शुरू शुरू में केस पेश करती है तो डाक्टरी मुआयना नहीं कराती ।

श्री अध्यक्ष—There are matters of procedure. You are going beyond the main question. Next.

प्रश्न संख्या ७६-ए

श्री अवनि कुमार—Will the **Home Minister** be pleased to state:—

(a) Whether it is a fact that 11 person. wanted by the Rajasthan Police for the last four years have been arrested from the House of a responsible and prominent citizen at Dholpur ?

(b) If so, what action has been taken in this connection ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Sir, this is another question relating to another M.L.A., and a simple "yes" or "no" might create a wrong impression as

[श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)]

to what the case referred to in the question is and may give a false impression that a particular M.L.A. is giving shelter to presons wanted in cases of criminal type.

The case referred to in the question is one of a chain of cases of cross litigation between one Thakur Hira Singh and others who are his close relatives and who belong to his family. It started with a suit of civil nature fil d some two years ago by one Dharam Jit Lodha, a tenant of Thakur Hira Singh, over the fixation of rent payable by the former in excess of the rent charged by the latter. The accused who are closely related to the complain nt took side of Dharamjit. The case is still sub-judice.

This was followed by a private complaint case under section 107 Cr.P.C. filed by Thakur Hira Singh against the accused persons. On mediation the parties came t a compromise. Thakur Hira Singh again filed a criminal case in the court of the Extra Magistrate, Dholpur, against 35 persons of whom, except Sheodan Singh and Daryab Sahib Singh all were acquitted. On an appeal the District and Sessions Judge sentenced Daryab Singh to a fine of Rs. 50/- and upheld the conviction of Sheodan Singh. A revision has been filed and is sub-judice in the High Court. The parties referred to also filed a counter-case under section 325 I.P.C. but they were discharged by the Sub-Divisional Magistrate.

The complain nt also filed a criminal case under section 457 I. P. C. in the Court of the Sub-Divisional Magistrate, Dholpur, and on the date of hearing, Tha ur Hira Singh struck again and filed a complaint that his house has been broken and that the accused persons entered his house. A case was registered in the P. S. Bari under Section 457 I. P. C. and two persons were arrested and on the 14th July, 1953 the Extra Magistrate, Dholpur, was requested for issuing warrants against the remaining accused. The remaining accused went to the office of Shri Sri Gopal, M. L. A., in connection with his case and were at that time asked by the Officer-In-Charge Nahargunj to go to the Court of the Extra Magistrate and they appeared before him where the persons arrested earlier were let off on bail by the Extra Magistrate, Dholpur. Shri Sri Gopal was their lawyer in other cases also as in this...

श्री अवनि कुमार—I just wanted to know whether...

श्री अध्यक्ष—Let him conclude.

श्री जयनारायण व्यास—(b) The above statement of facts disposes of this part of the question also.

श्री कानसिंह—गिरफ्तारियां हुई हैं इसको तो सरकार स्वीकार करती है ?

Page No.13

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—ये गिरफ्तार हुए नहीं कहे जा सकते। टेक्निकली (Technically) वैसे इनको पुलिस ने पकड़ा पर सबके सब बेल पर छूट गये हैं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैंने तो इतना ही पूछा कि बात सच है या झूठ। आपने तो सारी हिस्ट्री ही बयान करदी।

श्री जयनारायण व्यास—मैंने सारा जिक्र इसलिये किया था कि इसमें एक एम.एल.ए. भी इन्वाल्व्ड किया गया था। किसी एम.एल.ए. के बारे में गलत इम्प्रेशन बन जावे यह मैं पसन्द नहीं करूंगा।

श्री अवनि कुमार मुकर्जी—वह वकील है कौन ?

श्री जयनारायण व्यास—श्री गोपाल जी भार्गव। मैंने नाम लिया तो था। उनके वकील थे ये।

श्री अध्यक्ष—Now Bills to be introduced.

विधान कार्य

पुरःस्थापित होने वाले विधेयक

राजस्थान मोटर गाडी करारोपण (संशोधन) विधेयक १९५३

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—Sir, I beg to introduce a Bill further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951.

श्री अध्यक्ष—Next.

राजस्थान भूदान-यज्ञ विधेयक, १९५३

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—Sir, I introduce a Bill to facilitate donation of land and distribution thereof in connection with the Bhoodan Yajna Movement initiated by Acharya Shri Vinoba Bhave.

श्री अध्यक्ष—Next.

राजस्थान अधिसंपत्ति (एकीकरण तथा खण्ड निरोध) विधेयक, १९५३

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—Sir, I introduce a Bill to provide for the compulsory consolidation of agricultural holdings and for preventing the fragmentation of agricultural holdings in the State of Rajasthan.

श्री अध्यक्ष—Nex

राजस्थान कृषि भूमि उपयोग विधेयक, १९५३

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Sir, I introduce a Bill to provide for the utilisation of uncultivated agricultural lands in the State of Rajasthan and for regulating the cultivation of specified crops therein.

Page No.14

श्री अध्यक्ष—Next.

राजस्थान उत्पाद भाटक, नियामक (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—Sir, I introduce a Bill further to amend the Rajasthan Produce Rents Regulating Act, 1951.

श्री अध्यक्ष—Next.

राजस्थान भूधारण विधेयक, १९५३

श्री मोहनलाल सुखाडिया (कृषि मंत्री)—Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to agricultural tenancies in the State of Rajasthan and other matters connected therewith.

श्री अध्यक्ष—Motion moved. Is it the leave of the Ho e ?

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Sir, I introduce the Bill.

प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के लिये समय में वृद्धि

राजस्थान राज्य सुरक्षा विधेयक, १९५२

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Sir, I beg to move that the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to provide for special measures to prevent activities prejudicial to the security of the State, be extended upto 31st December, 1953.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to grant the extension ?

(स्वीकृत)

The leave is granted.

राजस्थान तम्बाखू व्यापारी अनुज्ञा पत्र विधेयक, १९५३

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—Sir, I beg to move that the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to regulate the retail sale of manufactured tobacco be extended upto the 1st week of the next session.

Page No.15

श्री दुर्लभसिंह--माननीय अध्यक्ष, मिनिस्टर महोदय ने जो यह बनी तमाखू की रिटेल सेल को कन्ट्रोल करने के बिल पर बिठाई गई सिलेक्ट कमेटी के संबंध में रिपोर्ट देने के लिये समय की अवधि बढाने की मांग की है उसके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बिल पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट किया जावे क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसमें पब्लिक की ओपिनियन भी इन्वाइट करना मैं बहुत जरूरी समझता हूं ।

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)--मैं इसे मंजूर करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--(श्री दुर्लभसिंह को संबोधित करते हुए)--कौनसे रूल्स के तहत में यह चाहते हैं आप ?

श्री दुर्लभसिंह--रूल नम्बर १७६ ।

श्री जवाहरसिंह--इस विषय में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया था और अभी तक सिलेक्ट कमेटी के सामने यह बिल विचाराधीन है । इस वक्त जो स्थिति इस बिल की है विचाराधीन होने के कारण न तो इस हाउस में अभी तक सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट ही पेश की है और न इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये देने की उसने कोई सिफारिश ही की है, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस वक्त पब्लिक ओपीनियन के लिये इसे सर्क्युलेट करना रूल्स आफ प्रोसिजर के प्रोविजन में नहीं आता है । सिलेक्ट कमेटी के पहले सर्क्युलेट किया जा सकता था या अब उसकी रिपोर्ट सदन में आने के बाद में ऐसा हो सकता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस वक्त कोई भी स्टेज नहीं कि यह बिल Circulation में भेजा जाय । इसके लिये मैं बिजनैस रूल्स की धारा १२२ व १२३ रेफर करता हूं ।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)--१७६ तो कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके तहत यह आता हो, जैसा कि श्री दुर्लभसिंहजी ने फरमाया था ।

श्री तेजमल बापना--No, no. rule 133.

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)--जो अमेन्डमेन्ट रखा है वह या तो उस समय आना चाहिये था जिस समय यह बिल सदन के विचारार्थ उपस्थित था या सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट अब जब सदन के सामने इस बिल पर आवे तब इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री तेजमल बापना--अध्यक्ष महोदय, इस अमेन्डमेन्ट पर जो आपत्ति उठाई गई है वह ऐसी नहीं है जो सिलेक्ट कमेटी और सदन पर कोई प्रतिबन्ध लगाती हो ।

रूल्स आफ प्रोसिजर इतना विविड (vivid) नहीं है । यह जो मोटर है वह एक्सप्लिसिटली रख दिया गया है ।

पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजने का जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है उसे मिनिस्टर इन्चार्ज ने स्वीकार भी कर लिया है । यह सदन के इन्हेरेन्ट पावर्स (inherent powers) हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता

Page No.16

[श्री तेजमल बापना]

क्लाज १३३ में यह जरूर है कि बिल को अमेन्ड किया जावे, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के लिये भी भेजा जा सकता है पर इसके साथ साथ इन्हेरेन्ट पावर्स का क्लाज भी है। इसलिये चूंकि इस बिल का असर साधारण विक्रेताओं पर पड़ता है इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट किया जाना चाहिये। इसमें कोई रूल्स की आपत्ति नहीं है और न कोई रुकावट ही होनी चाहिये। इसलिये मैं इस अमेन्डमेन्ट का समर्थन करता हूं कि यह बिल पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट किया जाय।

श्री हिम्मतसिंह--किस रूल के तहत यह कहा जा रहा है ?

श्री भोलानाथ--अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सिलेक्ट कमेटी को इस संबंध में कुछ इन्फोर्मेशन्स लेनी और बाकी हैं और इस वास्ते उसकी अवधि को बढ़ाने के लिये टाइम मांगा गया है। इस बीच में एक मेम्बर साहब की यह राय थी कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये भेज दिया जावे तो कोई बुराई नहीं होगी। जब तक सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी इस बीच में पब्लिक ओपीनियन भी मालम हो जावेगी। यह एक छोटा मोटा टैक्स है,। तो अगर पब्लिक ओपीनियन के लिये भी प्रकाशित कर दिया जाय तो कोई बुराई नहीं है। यह तो केवल समय की बचत करने की बात है ताकि इस टाइम में दो काम हो जांय। अगर आप ठीक समझें हों तो इजाजत दे दीजिए।

मेजर आवजी श्री रघुराजसिंह--अध्यक्ष महोदय, श्री मंत्री ने जो फरमाया वह सही है। पर अगर यह सिलेक्ट कमेटी में न गया होता तो उस वक्त सदन को यह अधिकार था कि इसे बजाय सिलेक्ट कमेटी में भेजने के जनता की राय के लिये भेज दिया जाता या दोनों के पास भेज दिया जाता। अब भी अगर सिलेक्ट कमेटी की ऐसी राय हो तो उसे अपनी अन्तरिम रिपोर्ट देनी चाहिये थी कि इसे जनता की राय के लिये भेजा जाना जरूरी है। ऐसी दशा में हम इस पर विचार करके अपना निर्णय देते। पर इस स्टेज पर अब इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। या तो शुरू में ही जाना चाहिये था या अब सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने पर।

श्री भीमसिंह--बिजनैस रूल्स की धारा १७० से १८७ तो सब बजट से सम्बन्धित हैं। फिर जिन महानुभाव ने १३३ धारा का नाम लिया उसमें यह कैसे आगया। इसकी जानकारी मैं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--इनको पता नहीं था कि लोगों के पास किताबें भी हैं।

श्री श्रीदास गोयल--लीगल पोजीशन इसमें जो है वह बिल्कुल साफ है :--

Rule 122 says :--

"(a) that it be taken into consideration by the Assembly either at once or at some future day to be then specified, or

(b) that it be referred to a Select Committee, or

[श्री श्रीदास गोयल]

(c) that it be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion."

So these are three different positions that may be taken with regard to a Bill. The **distinguishing** word is "or" and not "and".

अतः माननीय दुर्लभसिंहजी ने जो फरमाया कि इसे जनता की राय के लिये प्रसारित किया जावे, that it be circulated for the purpose of eliciting opinion शब्दों के बाद में कोई गुंजाइश नहीं रह जाती ।

श्री अध्यक्ष—मैं सदन का ध्यान रूल्स ग्राफ बिजनेस की उन धाराओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनके अन्तर्गत कौन २ सी स्टेजेज हो सकती हैं जिनमें हम बिल्स को पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट कर सकते हैं ।

सबसे पहले रूल १२२ है जिसमें सब क्लाज (सी) आता है । वह है "Motions after introduction." एक स्टेज वह थी कि बिल के इन्ट्रोडक्शन के बाद में हम बिना कन्सीडरेशन के पब्लिक ओपीनियन के लिये भेज सकते थे, वह स्टेज इसकी चली गई । इसके बाद में इसको कौन कर सकता है वह रूल १२३ में बतलाया गया है ।

"No motion that a Bill be taken into consideration or be passed shall be made by any member other than the member-in-charge of the bill and no motion that a Bill be referred to a Select Committee or be circulated or re-circulate for the **purpose of eliciting** opinion thereon shall be made by any member other than the **member-in-charge except** by way of amendment to a motion made by the member-**in-charge.**"

यह स्टेज भी इसकी चली गई ।

इसके बाद में "Discussion of principle of Bill" है । उसके १२४ के उपनियम (२) के क्लाज (बी) की तहत में यह पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जा सकता था, पर वह बात भी चली गई । अब सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाकर सिलेक्ट कमेटी द्वारा एक्सटेन्शन चाहा गया है इसलिये इस स्थिति में अगर सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी होती तो उसके बाद अगर सदन यह आवश्यक समझता कि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाना चाहिये तो आप भेज सकते थे । किन्तु इस समय वह स्टेज नहीं है । सिलेक्ट कमेटी इसके ऊपर अपने विचार स्पष्ट करके इस सदन के सामने अमेन्डेड बिल पेश कर देती तो उस हालत में सदन को अधिकार है कि वह इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये भेज दे । इस समय हाउस ने एक स्टेज पास कर दी है और सिलेक्ट कमेटी ने अभी तक उस पर विचार पूरा नहीं किया और उसके लिये टाइम का एक्सटेन्शन चाहा है । ऐसी हालत में पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय, यह किसी भी धाराओं के अन्तर्गत नहीं आता है। इसलिये मैं श्री दुर्लभसिंहजी के प्रस्ताव को रूल आउट करता हूं ।

[श्री अध्यक्ष]

अब सदन के सामने यह प्रश्न है कि क्या इसके एक्स्टेन्शन के लिये समय दिया जाय।

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान की गई।

राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—Sir, I beg to move that the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to amend the Rajasthan Town Municipalities Act, 1951, be extended upto 31st January, 1954.

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृति)

स्वीकृति प्रदान की गई।

पुरःस्थापित विधेयकों की प्रतियें देने सम्बन्धी

कुं. श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, आज जो बिल पुरःस्थापित किये गये हैं उन बिलों की प्रतियां हमें अभी तक नहीं मिली हैं। कुछ बिलों की तो मिल गई हैं किन्तु कुछ की हमें नहीं मिली हैं। उनकी प्रतियां भी जल्दी से जल्दी ही मिल जानी चाहियें।

श्री अध्यक्ष—या तो वे मिल गई होंगी नहीं तो जल्दी ही मिल जायेंगी ११ बजे तक।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—ये बिल तो सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किये जावेंगे।

राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज संशोधन विधेयक, १९५३

श्री कानसिंह—माननीय अध्यक्ष, राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटी बिल की जो तारीख २ जनवरी तक मियाद बढ़ाई गई है तो मैं यह अर्ज करूं कि इस बिल पर जो तारीख दी गई है वह ३१-१२-५३ दी गई है या first week of next Session दी गई है। मेरी राय में फर्स्ट वीक आफ नेक्स्ट सेशन तक इसकी मियाद रखी जाय तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष—सदन ने अनुमति प्रदान करदी है। आप बहुत देरी से बोले।

श्री कानसिंह—I am sorry.

विचारार्थ विधेयक

राजस्थान जिला मण्डल विधेयक, १९५३

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—Sir, I beg to move that the Bill to provide for the establishment and constitution of District Boards in Rajasthan, as reported by the Select Committee, be taken into consideration.

Page No.19

श्री अध्यक्ष-- Motion moved.

श्री मानसिंह महार--माननीय अध्यक्ष, जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल की सिलेक्ट कमेटी में मैं भी एक सदस्य था और किसानों के ऊपर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा सेस का भार डालने की नीति के विरुद्ध मैंने सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन साहब को यह लिखकर दिया कि मैं सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट से डिसेन्ट करता हूं, किन्तु दुर्भाग्यवश मैंने यह देखा है कि मेरा जो डिसेन्ट का नोट था वह इसमें नहीं आया है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जो अमेन्डेड बिल आज सिलेक्ट कमेटी द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है उसमें मेरी यह बात जरूर आ जानी चाहिये।

श्री शम्भूसिंह--माननीय अध्यक्ष, इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल के ऊपर मैंने अपने एमेन्टमेंट (Amendment) भेजे थे वे अभी तक नहीं आये ?

श्री अध्यक्ष--कब भेजे थे ?

श्री शम्भूसिंह--परसों, Before two clear days.

श्री अवनिकुमार--I had also given notice of amendments.

श्री अध्यक्ष--When did you give the notice ?

श्री अवनिकुमार--I gave the notice yesterday.

श्री अध्यक्ष--It is not before two clear days.

श्री अवनिकुमार--It is for you to decide.

श्री अध्यक्ष--It is for the House to object and for me to decide.

श्री अवनिकुमार--I would submit that it is a very important Bill and the amendments may be taken into consideration.

श्री गोपीलाल यादव--माननीय अध्यक्ष .....

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्यों ने जो संशोधन भेजे हैं मुझे दुःख है कि वे टूक्लियर डेज (Two Clear days) पहले नहीं आये। न तो माननीय श्री शंभूसिंहजी के आये और न और किसी के। वे ९ तारीख को प्राप्त हुए थे, करीब ४ बजे या ५ बजे। ऑफिस में वे कई प्रोसेसेज (Processes) में जाते हैं: जैसे टाइप होते हैं और फिर तैयार होकर मेरे पास आते हैं। समय की कमी के कारण, क्योंकि वे ठीक समय पर नहीं आ सके, टाइप होकर माननीय सदस्यों के पास नहीं पहुंच पाये। यदि माननीय सदस्य थोड़ा धीरज रखें तो बात समझ में आ सकती है। अब मैं एक एक एमेंडमेंट लेकर थोड़ा प्रोसीड (Proceed) करना शुरू करूंगा। जितनी जल्दी तेज हम कर सकें, करें। वे अगर थोड़ी देर में आपके पास आ जाते हैं, तो ठीक है, नहीं तो कल वे जरूर आजायेंगे।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो ऐतराज आपके समक्ष रखा उसका कोई जवाब नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष—(श्री रामकरण जोशी से) आपके नोट आफ डिसेन्ट का क्या जवाब है ?

श्री गोपीलाल यादव—ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर, दो क्लियर डेज (Days) की बात जो कही गई है वह किस दिन से शुमार होगें । कल यह बिल सर्क्युलेट किया गया था ।

श्री अध्यक्ष—(आश्चर्य) कल ?

श्री गोपीलाल यादव—जी हां, कल ।

श्री अध्यक्ष—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बिल ?

श्री गोपीलाल यादव—जी हां, निवेदन करने का मेरा मतलब यह है कि इस बिल के साथ यह जो एजेण्डा सर्क्युलेट (परिचारित) किया गया था कि आज यह कन्सीडरेशन के लिए आ रहा है, उसके पहले हमें यह पता नहीं था कि यह बिल कन्सीडरेशन के लिये आ रहा है । तो हम २ क्लियर डेज पहले अपने एमेंडमेंट कैसे भेजते ? जिस दिन जिस बिल को कन्सीडरेशन (विचारार्थ) लिया जाय उसके ३ दिन पहले हमारे पास यह पता हो जाना चाहिये कि फलां तारीख को यह कन्सीडरेशन में आयेगा ताकि जो एमेंडमेंट हमारे पास रखे हों वे भेज दें ।

श्री अध्यक्ष—यह पोइन्ट (...in) एक बार पहले भी आया था और इस पर मैंने अपना रूलिंग दिया था । अगर माननीय सदस्य के ध्यान में वह होता तो यह नहीं कहते । रूल्स आफ प्रोसिजर के रूल १३६ में यह कहा है :—

"(1) After the presentation of the final report of a Select Committee on a Bill, the member-in-charge may move—

> (*a*) that the Bill as reported by the Select Committee be taken into consideration, provided that any member of the Assembly may object to its being so taken into consideration, if a copy of the report has not been made available for the use of members for five days and such objection shall prevail unless the Speaker in the exercise of his power to suspend this rule allow the Bill to be taken into consideration ; or............"

५ रोज पहले सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट मेम्बरों को जब प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद वह बिल कभी भी कन्सीडरेशन के लिये सदन में आ सकता है । जो सारे बिल इस सेशन में कन्सीडरेशन के लिये आयेंगे उसकी सूची हमने माननीय सदस्यों के सामने बहुत पहले दी थी कि ये बिल कन्सीडरेशन (Consideration) के लिये आयेंगे । सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई तो ५ रोज के बाद किसी भी स्टेज (Stage) पर ज्यों ज्यों हमारा बिजनैस खत्म होता जायगा तो एक के बाद में दूसरे

Page No.21

[श्री अध्यक्ष]

बिल ले लिये जायेंगे। इसको भेजे ५ रोज खतम हो चुके हैं और इस बात का पहले नोटिस द दिया है कि ये बिल लिये जायेंगे। तो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के ५ रोज के बाद में यह कभी भी लिया जा सकता है। यह आवश्यकता नहीं कि इस बिल का नोटिस अलग दिया जायगा कि यह बिल लिया जायगा। इसके अनुसार ५ रोज का नोटिस दिया जाता है ताकि माननीय सदस्यों को कोई एमेंडमेंट भेजने हों तो भेजें। केवल उन बिलों की नहीं बल्कि सारे कार्यों जो इस सेशन (सत्र) में विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे, की एक टोटल लिस्ट सर्क्युलेट कर दी है कि ये बिल विचारार्थ प्रस्तुत होंगे और सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के ५ रोज बाद में वे कभी भी कन्सीडरेशन में लिये जा सकते हैं, चाहे ७ रोज में लिये जांय या १० रोज में लिये जांय या १५ रोज में लिये जांय। कार्य यदि जल्दी ही समाप्त हो जाता है तो कम से कम ५ रोज का समय था, वह ५ रोज मिलना अनिवार्य है और उसके बाद में वह कभी भी लिया जा सकता है।

मेजर आपजी रघुराजसिंह--बिल की कापी हमको ३ तारीख की संध्या को मिली थी। उस हिसाब से ५ दिन पूरे नहीं होते हैं। सिलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट उपलब्ध हुई है वह उस तारीख की आफ्टरनून को ही हुई है।

श्री अध्यक्ष--३ तारीख को ५ रोज हो जाते हैं आज आठ तारीख हो गई है।

मेजर आपजी रघुराजसिंह--आफ्टरनून को मिली थी।

श्री अध्यक्ष--घंटों का हिसाब नहीं होता है। Anyway, what is the wish of the House? I have allowed these amendments.

श्री संतोषसिंह--हमारे पास १० बिल हैं। तो हमारे पास रोज के एजेण्डा में यह आ जाना चाहिये कि कल यह बिल डिस्कस होगा और कल वह, जिससे हमें यह मालूम हो सके कि इन १०-१५ बिलों में कौन सा बिल कब लिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष--This is the only Bill which has come up for consideration in today's agenda. Hon'ble Members should take pains in looking into the provisions of the Bill and be prompt in taking part in the discussions. I have no intention of rejecting all these amendments and I have allowed them; but it may mean inconvenience to the Hon'ble Members because of not tabling all these amendments in time so that they may get copies. If they had sent the amendments in time, copies could be made available to the members and matters could have been facilitated.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

The question is that the Bill to provide for the establishment and constitution of District Boards in Rajasthan, as reported by the Select Committee be taken into consideration.

(स्वीकृत)

We now proceed to consider the Bill clause by clause.

(विराम)

We take clause 2. It is regarding 'Repeal'.

Amendment by Shri Shyam Lal Goel.

The amendment is that in Clause 2, sub-clause (1), of the Bill the words 'any of' occurring between the words "area" and "the Acts" be deleted.

I think the Hon'ble Members have followed. I read the amendment again—

'In clause 2, sub-clause (1) of the Bill, the words 'any of' occurring between the words 'area' and 'the Acts' be deleted.

(विराम)

Yes, Shri Shyam Lal Goel.

श्री श्यामलाल गोयल—I do not want to move the amendment.

श्री अध्यक्ष—You do not want to move it ?

श्री श्यामलाल गोयल—No, Sir, I do not want to move it.

श्री अध्यक्ष—Now comes the amendment of Shri Bhairon Singh, Dānta Ramgarh.

(विराम)

The amendment is :—

"In sub-clause (2)-proviso-substitute the word 'three' for the word 'six' occurring in second line.

"Provided that the State Government shall, within a period of six months ......" He wants "3" instead of "six".

(विराम)

Yes, Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूंसिंह (वि.स.१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय,क्लाज दो में मैंने अपना जो संशोधन रखा है उसके दो मुख्य कारण हैं। इस क्लाज के द्वारा हम इस प्रकार का कानून बना रहे हैं जिसके जरिये से जो अब तक मनोनीत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स थे उनको हम कितने दिन तक चालू रखेंगे। इस कानून के पास होने के बाद तो ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स इतने दिन तक रहेंगे और चुनाव कितने दिन में होगा, इस क्लाज में बतलाया गया है। इस क्लाज के जरिये हम ऐसा कानून बना रहे हैं कि जब यह कानून पास हो जाय तो इस कानून के पास होने पर भी वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स उसी हालत में बने रहेंगे, जिस हालत में वे आज हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कई बार इस बात के ऊपर वाद-विवाद हुआ है कि मनोनीत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होने के कारण से जनता में उनके प्रति काफी अविश्वास है और इसको दृष्टि में रखते हुए इस सदन के कई सदस्यों ने कई बार माननीय मंत्री और सदन से अपील की है कि जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कानून पास किया जाकर इन मौजूदा बोर्डों को खत्म किया जावे और नया चुनाव करके नये बोर्ड कायम किये जावें। जिस समय यह बिल आया उस समय आशा थी कि जब यह बिल पास हो जायगा तो उसके तुरन्त बाद ही एक महीने, दो महीने या तीन महीने के अन्दर अन्दर चुना हुआ नया बोर्ड काम करने लग जायगा। लेकिन इस क्लाज के द्वारा जो समय रखा गया है उससे जनता में असंतोष है। इसके कारण जनता में आपका विश्वास नहीं है और जनता का आपके प्रति आरोप है कि सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और अधिक समय तक चलते रहें। हम कानून बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसे लागू करें। लेकिन इस धारा के अन्तर्गत ऐसा लूपहोल (Loophole)आप रखना चाहते हैं कि कानून पास होने के बाद भी ६महीनों तक उसे लागू नहीं किया जा सके।मैं निवेदन करूंगा कि यह समय अधिक से अधिक तीन महीने का कर दिया जाय तो अच्छा हो। गवर्नमेंट की तरफ से यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि हमें कई पंचायतों के चुनाव कराने पड़ेंगे। सरकार के प्रति जनता की यह शिकायत है कि सरकार वोटर्स लिस्ट तैयार कराने में जानबूझ कर देरी करती है और इलेक्शन को अवॉइड करना चाहती है। इन सारी बातों को देखते हुए यह आवश्यक है कि सरकार सारी बातों को जनता के सामने रखे कि हम जल्दी से जल्दी चुनाव कराने को तैयार हैं और जिन पंचायतों के चुनाव कराने हैं उनके चुनाव जल्दी से जल्दी करा लेंगे और तीन महीनों के अंदर अंदर यह सारा काम हो जायगा। यदि यह नहीं होता है तो यही मानना होगा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा ढील करना चाहती है। इसका मतलब यही है कि वह चाहती है कि उसकी पार्टी के लोग उन बोर्डों में बने रहें। यदि ऐसी बात नहीं है तो इस कानून के पास होते ही दूसरे दिन सारे बोर्डस को डिजोल्व कर दिया जाना चाहिये ताकि नये चुनाव स्वतन्त्रता पूर्वक हों और लोगों के दिमाग में यह बात नहीं आये कि उन मेम्बरों के खिलाफ वोट देंगे तो वे नाराज हो जायेंगे और उसका नतीजा बुरा होगा। लेकिन ऐसी चीज नहीं हुई। सरकार ने कई पंचायतों के ताजे चुनाव नहीं करवाये। यदि उनको विश्वास होता कि उनकी इच्छा के मुताबिक मेम्बर चुन लिये जावेंगे तो यह ६ महीने की बात नहीं रखी जाती। वे इस अरसे से जनता से यह कहना चाहते हैं कि आप हम लोगों को ही वोट दो, हम ही लोग कूए और तालाब या दूसरी चीजों के लिये ५००) रुपया दे सकते हैं, दूसरी पार्टीवाले नहीं दे सकते, हमी लोग इस प्रकार का खर्चा कर सकते हैं। हम यह जानते हैं कि दुनिया में सब से ज्यादा अशिक्षित भारतवर्ष में लोग हैं और राजस्थान के लोग दूसरे प्रान्तों से भी ज्यादा अशिक्षित हैं। अशिक्षा के कारण लोगों की स्वतन्त्र विचार धारा पनप नहीं सकती और

Page No.24

[श्री भैरूंसिंह (वि. सं. १६)]

इसलिये वे लोगों को किसी बात पर लोभ-लालच से मजबूर कर सकते हैं । इसलिये यही अच्छा होता कि इन बोर्डों को डिजोल्व करके उनके स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये जाते और फिर तीन महीनों के अन्दर अन्दर चुनाव कर दिये जाते । लेकिन इस चीज में सरकार विश्वास नहीं करती है । सरकार एडमिनिस्ट्रेटर या कलेक्टर का विश्वास नहीं करती है । यदि ऐसा है तो फिर तीन महीनों से ज्यादा समय नये चुनाव में नहीं लगने चाहिये । यदि ६ महीनों का समय रखते हैं तो सरकार ढीली कार्यवाही करेगी और तीन महीनों का समय रहने से सरकार को मजबूत होकर तीन महीनों के अन्दर पंचायतों के इलेक्शन जल्दी कराने होंगे । इन सब बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करके ही मैंने यह संशोधन रखा है ।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे मित्र श्री भैरूंसिंहजी के इस संशोधन का समर्थन करता हुआ सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि सरकार की जो यह ढिलमिल नीति है वह ठीक नहीं है । सरकार जो हर बात को, हर प्रकार के चुनावों को टालती आ रही है वह सिर्फ इसलिये है कि अपने चन्द पिट्ठू आदमियों की परवरिश की जाय, उन आदमियों को बढ़ावा दिया जाय और अगले चुनाव में वे आदमी जो कि खड़े होकर, रुपये खर्च करने पर भी नहीं आ सकते, उनको जितना भी लाभ हो सके वह दिया जाय । जितने भी चुनाव सरकार टालती है वह महज इसलिये कि उनके पिट्ठुओं को लाभ हो सके । यह बड़े शर्म की बात है, हमको दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे विरोध करते हुए भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो बना है उसमें मिनिस्टर-इन-चार्ज ने अपने एक कृपापात्र को ५०० रु. माहवार का स्टाइपन्ड (Stipend) दिया है और इस क्लाज द्वारा ६ महीने का समय रख कर वह चाहते हैं कि उनको और फायदा पहुंचाया जा सके । इस धारा का मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बिल पास होने के बाद भी ६ महीनों तक ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम रह सकते हैं । मैं पहले कह चुका हूं कि जयपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक प्रकार के फुटबाल हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि जयपुर डिविजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं वे एक धोखे की टट्टी हैं । यदि आप चाहें तो मेरे पास इसके प्रमाण मौजूद हैं । मौजूदा जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में मैं एक मिसाल देना चाहता हूं । एक गांव है जिसके कूए में १५० फीट नीचे पानी है । वहां के लोगों को पानी की बड़ी तकलीफ है और वे लोग ३ मील दूर से पानी लाकर पीते हैं । मैंने मौजूदा जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन से, जो ५०० रु. माहवार की स्टाइपंड खाते हैं, यह कहा कि गांव के लोग खुद कुआ खुदवाना चाहते हैं, आप उनको चूना-पानी के दाम दीजिए । इस पर वे कहते हैं कि मैं खुद इस गांव में मौके पर जाकर देखूंगा । मैंने उनसे कहा कि चलिये मौके पर चलें । वे बोले कि राव साहब, आप पधारिये मैं वहां आने की तारीख की इत्तला दे दूंगा । आज तीन महीने हो गये हैं पर वे मौका देखने नहीं गये । गांव के लोगों ने उनके आश्वासन पर कुआ बनवा लिया लेकिन उन्होंने अब तक कोई सुनवाई नहीं की । यदि कोई सफेद टोपीवाला उनके पास जाता तो फौरन उनका काम हो जाता । क्या, मैं सरकार का विरोध करता हूं और विरोधी पार्टी में हूं इसलिये मेरी सुनवाई नहीं की गई ? मैं स्वयं इस पोजीशन में हूं कि मैं गांववालों की मदद कर सकता हूं । लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन को बतलाना चाहता हूं कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड धोखे की टट्टी है और इसको फौरन डिजोल्व कर देना चाहिये ।

[एक सदस्य खड़े हुए]

मैं ६ महिनों की बात का काट कर रहा हूं। आप मुझे बोलने तो दें। एमेन्डमेंट पर ही बोल रहा हूं। जिस प्रकार सरकार की जरा सी आज्ञा को जयपुर म्युनिसिपैलिटी के सदस्यों द्वारा पालन न करने पर जयपुर म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड कर सकती है तो सरकार को चाहिये कि इसी वक्त जयपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी एडमिनिस्ट्रेटर कायम कर दे। (विरोधी दल द्वारा करतल ध्वनि) हम पक्षपात और गैर कानूनी कार्यवाहियों को बरदाश्त नहीं कर सकते। हमने इस सदन के फ्लोर पर यह साबित कर दिया है कि जयपुर में हमारी सीटें भी उनके बराबर हैं।

श्री शिवचरणशरनाथ जोशी—No. no.

रावत श्री मानसिंह (जारी)—यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी १७ सदस्यों में से १४–१५ सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कांग्रेस के हैं और दो तीन ऐसे हैं जो विरोधी पक्ष के लिये गये हैं।

इसलिये मेरे मित्र ने जो ६ महीनों की अवधि को तोड़ कर ३ महीनों के लिये कहा है वह बहुत ही उचित है और मैं यह कहूंगा कि हमारी स्वायत्त शासन के मंत्री जो हैं वे बिल्कुल अयोग्य सिद्ध हुए हैं, जिनका आज जयपुर के शहर में निकलना तक बन्द हो रहा है, जिनको जयपुर शहर के नागरिक गली-गली में धिक्कारते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और जिनकी वजह से आज हमारे चीफ मिनिस्टर की अर्थियों को जलाया जाता है।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

ऐसी गंभीर स्थिति जो पैदा हो गई है उसको फौरन तोड़ना चाहिये और मेरे मित्र ने जो तीन महीनों का प्रस्ताव रखा है उसको अवश्य स्वीकार करना चाहिये।

श्री गोपीलाल यादव (४७)—अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने जो संशोधन सदन के सामने रखा हैं इस सम्बन्ध में भी छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र ने तीन महीने की जो बात रखी है वह बगैर सोचे-समझे रख दी है और उसका कारण यह है कि जब तक किसी एरिया में यह कानून लागू नहीं होता तब तक वहां पर तीन महीनों की बात ही पैदा नहीं होती। यदि आप वहां के लिये ३ महीनों के बजाय एक दिन भी रखते तो वह भी कोई माने नहीं रखता क्योंकि जब वहां पर कोई कानून ही लागू नहीं है तो उस स्थान के लिये वह क्या माने रख सकता है? इसलिये उनको यह नहीं रखना चाहिये था। आप यदि इसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि:

"Provided that the State Government shall, within a period of six months commencing from the coming into force of this Act, establish for each District a Board in accordance with the provisions of this Act."

ऊपर यह लिखा है कि:

"2(1). On the coming into force of this Act in any area, any of the Acts mentioned in the First Schedule or any other corresponding law in force in that area shall be repealed."

Page No.26

[श्री गोपीलाल यादव]

यदि यह कानून जयपुर में पूर्ण रूप से लागू हो जाता है तो जयपुर के डिस्ट्रिक्ट का पुराना कानून अपने आप रीपील हो जाता है। वे ६ महीनों की बात नहीं रख सकते। प्रोबलम यह है कि उसको लागू किया जावे। इसलिये मैं तो यह कहूंगा कि यह एमेन्डमेन्ट जो लाया गया है वह गलत लाया गया है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको मुख्य जोर क्लाज एक के सब क्लाज (३) पर लगाना पड़ेगा जब वह व्यवहार में आवेगा। वह इस प्रकार है :—

"(3) It shall come into force on such date and in such areas of Rajasthan as the State Government may by notification in the Rajasthan Gazette specify in that behalf."

श्री भैरूंसिंह--(१६) उस पर भी मैंने एक एमेन्डमेन्ट रखा है।

श्री गोपीलाल यादव--जब वह पास हो जावे तो तीन महीनों का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खत्म हो जावेगा वहां फिर ३ और ६ महीनों की कोई बात ही पैदा नहीं होगी।

श्री रामकरण जोशी (स्वा. शा. मंत्री)--माननीय अध्यक्ष, जो संशोधन पेश किया गया है वह बिल्कुल ही बेमौजू है और बोलने वाले महानुभावों ने इस पर बोल कर अपने दिल के गुब्बार निकाले हैं। जितनी व्यक्तिगत दिलचस्पी पंचायती राज्य के लिये आज दिखाई जा रही है यदि उसी प्रकार के पंचायती राज्य के लिये दिलचस्पी पहले दिखाई जाती तो यह पंचायती राज्य कभी का कायम हो गया होता। अब पंचायती राज्य के बारे में यह बातें कही जाती हैं कि ६ महीनों तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कायम रखने के लिये यह बात क्यों रखी गई है। मगर मैं यह कहूंगा कि इस धारा को पढ़ने के बाद आपको यह मालूम होगा कि इस अरसे के अन्दर सब जगह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव हो जाना चाहिये और वे काम करने लग जावें। यह समय ६ महीनों का इसलिये रखा है कि चुनाव के कुछ नियम होते हैं, इलेक्टररोल्स आदि भी तैयार करने पड़ते हैं और उसमें भी समय लगता है। इन बातों के लिये ही यह ६ महीनों का समय रखा गया है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अभी जो बातें जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और दूसरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में कही गई हैं वे बहुत गैर जिम्मेवाराना तौर से कही गई हैं। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेअरमैन को ५०० रु० की कोई स्टीपेन्ड नहीं मिल रही है और मैं समझता हूं कि इस बात को वे माननीय सदस्य खुद जानते हैं। सदन के सदस्यों को बातें जिम्मेदारी से कहनी चाहिये। वे सदन के जिम्मेदार सदस्य हैं और सदस्य अपनी जिम्मेदारी खुद जानते हैं और उनको अपनी जिम्मेदारी.....

श्री मानसिंह--ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, हम मंत्रियों से ज्यादा जिम्मेवारी से काम कर रहे हैं।

श्री रामकरण जोशी--मैं यह कहूंगा कि जानकारी पूरी तरह से हासिल करके ही एक जिम्मेदार व्यक्ति को बोलना चाहिये।

Page No.27

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—ओन ए पोइन्ट ओफ इन्फोर्मेशन, सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि वाकई में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेअरमैन को तनख्वाह दी जाती है या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—नहीं दी जाती है, नहीं दी जाती है ।

श्री भैरूंसिंह—(१६) ५०० रु० नहीं दिये जाते तो पांच सौ रुपयों से कम दिये जाते होंगे ।

श्री मानसिंह—उसके लिये एक्ट में प्रोविजन तो है ।

श्री रामकरण जोशी—एक्ट में है तो चेअरमैन और मेम्बर क्या करेंगे ?

मैं सदन के जिम्मेदार सदस्य से इस प्रकार की इर्रेस्पोन्सिबल टाक (गैरजिम्मेदाराना बातों) की उम्मेद नहीं करता था । इसके अलावा मैं यह बता देना चाहता हूं कि जयपुर जिला बोर्ड का चेअरमैन इलेक्टेड है नोमिनेटेड नहीं ।

श्री मानसिंह—इस प्रकार का प्रस्ताव कि चेअरमैन को ५००) रुपये माहवार दिये जावें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मूव हुआ है ।

श्री रामकरण जोशी—अब तक इस प्रकार का कोई रिजोल्युशन मेरे पास नहीं आया है । जब तक गवर्नमेन्ट की मंजूरी नहीं होती तब तक कोई चीज अमल में नहीं आती, यह माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये ।

इसके अलावा दूसरी चीज में माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि वे भी सिलेक्ट कमेटी के एक सदस्य थे और उन्होंने सिलेक्ट कमेटी में इस चीज को मंजूर किया और वे उसके खिलाफ बोल रहे हैं । यह बोलना भी उनकी जिम्मेदारी में कहां तक आता है ?

श्री मानसिंह—मैंने यह कह दिया था कि मैं इससे सहमत नहीं हूं । मैंने अपना इस सम्बन्ध नोट ऑफ डिसेन्ट दिया और वह रोक दिया गया । मैंने अपने हाथ-पैर पहले साफ कर लिये थे ।

श्री रामकरण जोशी—जिस दिन यह रिपोर्ट तैयार हुई माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे, इसलिये उनका कोई नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं आया । उनका एक नोट आया वह इस तरह से है जिसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं, "There are certain fundamental differences to the approaches to this Bill. I agree to the Report of the Select Committee subject to Note of Dissent which I shall submit in due course" and that Note of Dissent has not yet been submitted. इसके बाद अभी तक उनका कोई डिसेन्ट नोट नहीं आया । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डिसेन्ट नोट को आने में कितना समय लगता ।

जयपुर की हड़ताल और म्युनिसिपैलिटी को लेकर जो जो बातें और जिस किस्म की बातें कही गई उस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि कोई भी म्युनिसिपैलिटी, कोई भी स्वायत्त शासन संस्था अपने स्वावलंबन के बिना चल नहीं सकती और न चली है ।

श्री मानसिंह--फोर्मर जयपुर स्टेट में कैसे चलती थी।

श्री रामकरण जोशी--कई प्रकार की लाग-बागें, डाट-फटकारें और बेगार आदि लिये जाते थे। लेकिन मैं आज यह बतला देना चाहता हूं कि आज उस प्रकार की लाग-बागें और डाट-फटकारें चल नहीं सकती हैं। जनता के समान अधिकार हैं और पुराने जमाने के अधिकारों का अब प्रयोग नहीं किया जा सकता।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की बहुत चर्चा की जा चुकी है और इस तरह की चर्चा करना अपने इश्यू (Issue) से दूसरी तरफ जाना है। यह जो संशोधन हमारे सामने आया है उसके मूल में कोई तथ्य नहीं है। इस एमेन्डमेन्ट की कोई जरूरत नहीं है इसलिये मैं इसको मंजूर नहीं करता।

श्री भैरूंसिंह (डि० नम्बर १६)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे संशोधन के विरोध में दो माननीय सदस्यों के भाषण सुनने को मिले। एक ने फरमाया है कि जब तक खन्ड १ में किसी तरह का अमेन्डमेन्ट नहीं होता है तो उस वक्त क्लॉज २ में अमेन्डमेन्ट करना बे-समझी की बात होगी। मैं उन माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए और सदन के सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने क्लोज १ में ऐसा संशोधन पेश कर दिया है जिससे कि उनकी बे-समझदारी समझदारी में परिवर्तित हो जायगी। मंत्री महोदय ने दूसरी बात अभी यह फरमाई कि छः महीनों की अवधि रखा जाना ही उचित है। इस अवधि में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इलेक्शन हो जावेंगे और डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् बन जावेंगे। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय और सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब म्युनिसिपल एक्ट में एक अमेन्डमेन्ट बिल आया था और जब उस पर बहस हो रही थी तो उस वक्त माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि एक साल की अवधि इसलिए दी गई है कि जल्दी से जल्दी वोटर्स लिस्ट तैयार कराई जाय और चुनाव कराए जावें, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उस एक साल की अवधि का बेजा फायदा उठाया गया। कई म्युनिसिपैलिटीज को सुपरसीड किया गया। जहां तक वोटर्स लिस्ट को तैयार कराने का सवाल है अपने हिमायतियों के लिए समय को एक्सटेन्ड (extend) किया गया, तीन महीने के लिये पहले एक्सटेन्ड कर दिया और बाद में फिर तीन महीनों के लिए एक्सटेन्ड कर दिया।

श्री अध्यक्ष--This is not a question-hour.

श्री भैरूंसिंह (डि० नम्बर १६)--मैं अपने आर्गुमेन्ट (argument) के सम्बन्ध में ही बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--Then there would be a reply and then again there would be another reply. You are introducing new points for which reply will be necessary. So I do not want to enlarge such discussion. You should only reply to these discussions.

श्री भैरूंसिंह (डि० नम्बर १६)--अध्यक्ष महोदय, जो छः महीने का अर्सा रखा गया है और जिसके लिए विश्वास दिलाया गया है, मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार के विश्वास तो पहले ही दिलाए जा चुके हैं। मैं माननीय मंत्री जी और सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ये विश्वास केवल कहने के लिए ही दिलाये जाते हैं। इस प्रकार के आश्वासन प्रेक्टिकल रूप में नहीं आते। आज डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् में जो असंतोष फैला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की कार्य पद्धति से जो असंतोष जनता में व्याप्त है उसको दूर करने के लिये इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् को जल्दी से जल्दी डिजोल्व किया जाना चाहिये और जल्दी से जल्दी इनका चुनाव कराया जाना चाहिए। यदि जल्दी में किसी प्रकार का संकोच हो तो तीन महीने की अवधि ही रखी जाय। विभागीय अधिकारियों को आदेश दे दिये जायें कि ज्यों ही यह एक्ट पास हो जाय तो फौरन चुनाव कराए जायें और इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कायम किए जायं। इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में फैले हुए असंतोष को दूर करने के लिये जो लोग संलग्न हैं वे आगे आवेंगे और गवर्नमेन्ट को बता देंगे कि कार्य किस प्रकार से होता है। छः महीने का लूप होल कर देने से असंतोष मिटने वाला नहीं है। अतः जनता के असंतोष को दूर करने के लिए और अच्छे प्रतिनिधियों के चुन कर आने के महत्व को देखते हुए आप मेरे पक्ष में मत दें।

श्री अध्यक्ष--मैं प्रश्न उपस्थित करने से पूर्व माननीय सदस्यों को एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं। प्रस्तुत संशोधन केवल इतना सा ही था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल, एक्ट हो जाने के पश्चात् जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स पहले से कायम हैं और जो इसके अन्तर्गत आवेंगे, वे छः महीने तक चालू रहेंगे अर्थात् उनकी अवधि केवल छः महीने रखी जाय; इस प्रकार की सिलेक्ट कमेटी ने रिकमन्डेशन की है। माननीय सदस्य ने यह चाहा है कि छः महीने के बजाय तीन महीने ही रहें। केवल एक सीधा साधा संशोधन था किन्तु न जाने उन्होंने कहां कहां के आर्गुमेन्ट्स (arguments) लाकर रख दिए, जो असंगत थे। मैं आप से निवेदन करूंगा कि मेरी यह कतई मंशा नहीं है कि आपके विवादों में कमी की जाय, उनको रोका जाय किन्तु मैं चाहता हूं कि वे रिलेवेन्ट (relevant) रहें ताकि सदन का जो समय है उसका सदुपयोग हो। उनके दिल की बातें हैं वे दूसरे अवसर, जो आते ही रहते हैं, पर निकाल सकते हैं। सम्बन्धित आर्गुमेन्टस (arguments) को ही उन्हें लेना चाहिये। अनावश्यक वाद-विवाद जो होता है और उसके द्वारा जो कटुता फैलती है उससे बचना चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि श्री भैरूंसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

दूसरा अमेन्डमेन्ट श्री श्रीदासजी गोयल का है। वह नामंजूर किया गया है। जिस आधार पर नामंजूर किया गया है वह उनको बता दिया जावेगा। उनका संशोधन केवल उस क्लोज को चेन्ज (परिवर्तित) करने का है। वे क्लोज १ के बजाय २ चाहते हैं।

Page No.30

[श्री अध्यक्ष जारी]

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज २ स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लोज २ बिल में अंग रूप से स्वीकार किया गया ।

(विराम)

क्लॉज ३, डेफिनिशन्स (परिभाषाओं) के बारे में है इसमें कोई संशोधन नहीं आया है ।

श्री भैरूसिंह (डि० नम्बर १६)—मैं एक मामूली सी जानकारी चाहता हूं । इस क्लॉज के सब-क्लोज (६) में "रयूरल एरिया" की जो डेफिनेशन लिखी है उसमें कोटा का नाम नहीं आया है । इसमें लिखा है कि 'Rural Area' means the area of a District excluding every municipality, as defined in the Rajasthan Town Municipalities Act, 1951, and the municipalities of Jaipur, Jodhpur, Bikaner, Udaipur and Alwar." क्या कोटा इसमें कवर हो जाता है या मिसप्रिन्ट की वजह से उसका नाम नहीं आया है ? यदि माननीय मंत्रीजी इसके सम्बन्ध में क्लेरिफिकेशन कर दें तो उपयुक्त होगा ।

श्री रामकरण जोशी—Kotah is covered by the Rajasthan Town Municipalities Act.

श्री अध्यक्ष—Is not Udaipur covered?

श्री रामकरण जोशी—No.

श्री अध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि क्लाज ३ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लोज ३ बिल में अंग रूप से स्वीकार किया गया ।

(विराम)

क्लोज ४, इन्टरप्रिटेशन ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लोज ४ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

Clause 4 is added to the Bill.

(विराम)

अब क्लोज ११ पर ही अमेन्डमेन्टस आने है । इससे पहले के क्लोजेज पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है ।

Page No.31

श्री मानसिंह महार--इसके बीच के जो क्लाजेज आवेंगे उनके विरोध में हमको बोलना है। कुछ क्लाजेज का हम डिसिजन चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--कौन से क्लाज पर बोलना चाहते हैं ?

श्री मानसिंह महार--क्लाज ८ पर।

श्री अध्यक्ष--तो फिर क्लाज ५, ६ और ७ ले लिए जायं।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज ५, ६ और ७ को बिल में अंग रूप से स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

क्लाजेज ६ से ७ बिल में अंग रूप से स्वीकृत हुए।

(विराम)

क्लाज ८

श्री मानसिंह महार--माननीय अध्यक्ष, जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल का जो आठवां क्लाज है उसके लिए अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि इस क्लाज को डिलीट कर दिया जावे।

अध्यक्ष महोदय, यह बात हम मानते हैं कि सरकार स्त्रियों को और शिड्यूल कास्ट (Schedule caste) और शिड्यूल ट्राइब्स को बढावा देने की बडी कोशिश कर रही है लेकिन इस कोशिश के पीछे सरकार की गूढ नीति छिपी हुई है।

वह नीति यह है कि, दुर्भाग्यवश कहना पडता है, राजस्थान सरकार की और वर्तमान स्वायत्त शासन डिपार्टमेन्ट की तो यह नीति ही हो गई है कि यह जो कोआप्शन किया जाता है, वह अपने कृपापात्रों की धर्मपत्नियों को या इसी प्रकार के हरिजन भाइयों को कोआप्ट किया जाता है जब कि वे स्त्रियां न तो उस इलाके की स्त्रियों का रिप्रेजेन्टेशन सही माने में कर सकती हैं और न उस इलाके के हरिजन भाइयों या शिड्यूल ट्राइब्स का सही माने में वे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह जिस वजह से और जिस कारण से इस बिल में सेक्शन ८ रखी गई है उसकी जड ही कट जाती है, वर्तमान सरकार की इस नीति से।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि अगर हमारे मंत्री महोदय हृदय से राजस्थान की स्त्रियों का उत्थान चाहते हैं, हरिजनों का या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का उत्थान चाहते हैं और वे जिस प्रकार से शिड्यूल ट्राइब्स और शिड्यूल कास्ट के लिये रिजर्वेशन चाहते हैं तो जिस तरह से हमारी असेम्बली के चुनाव में इनके लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है उसी तरह से एक या दो प्रत्येक बोर्ड में रिजर्व कर दीजिये और उनका फिर चुनाव करेंगे और खुले मैदान में आकर चुनाव करेंगे। यह बात होने से सरकार की नीति भी साफ हो जायगी और हम यह जानेंगे कि यह जो भी महिला सदस्य किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आई है उस इलाके की महिलाओं का सही माने में प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा होने से शिड्यूल कास्ट या शिड्यूल ट्राइब्स का सही माने में प्रतिनिधित्व कहा जावेगा।

[श्री मानसिंह महार]

दुर्भाग्य से फिर कहीं यह न कहा जावे कि पोइन्ट से मैं दूर भागता हूं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस मामले में मिसाल देना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है क्योंकि मैं एक माइनोरिटी पार्टी की ओर बैठा हूं और उस ओर बैठी मोटी, मेजोरिटी पार्टी को मिसाल देना निहायत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे निहायत अदब से प्रार्थना करते हुये यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान की म्युनिसिपेलिटीयों में जो कोऑप्शन हो रहा है वह इसी बुनियाद पर हो रहा है। वह खास खास तबके शिड्यूल कास्ट या शिड्यूल ट्राइब्स के खास खास आदमी को लेने के लिए होता है। कई जगह तो यहां तक हुआ है कि सत्तारूढ दल जो है उसकी कहीं कहीं एक-आध सदस्यों से म्युनिसिपेलिटी में माइनोरिटी रही है किन्तु ऐसे मेम्बर को कोओप्ट किया गया है कि जिन्होंने उस माईनोरिटी को बदल कर मेजोरिटी में तबदील कर दिया है। तो इस प्रकार की जो बात है इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमारे स्वायत्त शासन मंत्री वाकई में स्त्रियों को, हरिजनों को और शिड्यूल ट्राइब्स को ऊपर उठाना चाहते हैं तो वे उनके लिए चुनाव में सीटों का रिजर्वेशन रख दें जैसा कि असेम्बली में हमारी में है। हम इसका स्वागत करेंगे। हम सोचेंगे कि हमारे मंत्री महोदय वाकई में हमारी ग्रामीण जनता को स्त्रियों का, हरिजनों का और शिड्यूल ट्राइब्स का उत्थान चाहते हैं। लेकिन इस बात के लिए तो हमारे मंत्री महोदय नाक-भौं सिकोड़ते हैं और हेय तरीकों से अपने कृपापात्रों की धर्मपत्नियों को और अपने कृपापात्र शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के आदमियों को नोमिनेट करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और बता देना चाहता हूं। इस सरकार का यह जो स्वायत्त शासन विभाग है वह आज राजस्थान का सबसे गन्दा डिपार्टमेन्ट है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जयपुर रियासत के समय में हम यह कहते थे कि पुलिस और रेवेन्यु विभाग सबसे ज्यादा गन्दे विभाग हैं लेकिन आज का स्वायत्त शासन विभाग ऐसा गन्दा विभाग हो रहा है कि राजस्थान की जनता इस पर थूकना तक नहीं चाहती, जिसकी वजह से जयपुर शहर सड़ रहा है। ऐसे विभाग को इस प्रकार के अख्तियारात देना विरोधी दल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए मैं मेरे पक्ष के भाइयों से ही नहीं, उस पक्ष के भाइयों से भी न्याय के नाते अपील करूंगा और उनसे यही कहूंगा कि आप न्याय कीजिये, अपने ईश्वर को ध्यान में रखिये और इस बिल पर मेरे संशोधन के पक्ष में अपना मत दीजिये। मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं स्त्रियों के उत्थान के लिए और हरिजन भाइयों और शिड्यूल ट्राइब्स के उत्थान के लिए मंत्री महोदय से ज्यादा इच्छुक हूं लेकिन मैं इस प्रकार की अन्डरग्राउन्ड प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने के कतई पक्ष में नहीं हूं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि सदन मेरे इस बिल के संशोधन को कि इस बिल के ८ वें क्लॉज को डिलीट कर दिया जावे, सर्व सम्मति से पास करे। मैं तो मंत्री महोदय से भी अपील करूंगा कि वे अपनी उदारता बतलावें और सदन को बता दें कि वे भी न्याय के पक्ष में हैं, अन्याय के पक्ष में नहीं है और अन्डरग्राउन्ड षडयन्त्र तैयार करने में सम्मिलित नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं सदन से फिर अपील करूंगा कि इस बिल के क्लाज ८ को सर्व सम्मति से डिलीट कर दिया जावे।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मेरे मित्र श्री मान-सिंहजी ने जो संशोधन रक्खा है उसका समर्थन करते हुए मैं अपने विचार सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं

इस क्लोज में जो 'कोऑप्शन' का शब्द इस्तेमाल किया गया है उससे जहां तक मैं समझ सका हूं, सरकार से शायद कोई मतलब नहीं हो सकता, लेकिन जो बोर्ड हो उसमें, जिस पार्टी का बहुमत हो जावे उस पार्टी से शायद इसका मतलब लिया जाता है, कोऑप्शन महज उस पार्टी के मेजोरिटी द्वारा हो। इसमें सरकार की पार्टी से भिन्न और भी किसी पार्टी की कहीं मेजोरिटी हो सकती है, वहां कोऑप्ट करना उनके हाथ में हो। शायद सरकार की पार्टी का न हो पर जहाँ तक प्रिन्सिपल का सवाल है कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या चाहे अन्य कोई भी हो, जो पार्टी जहां अपना बहुमत बनावे वह १/४ हिस्से में महिला, हरिजन और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रतिनिधि को कोओप्ट कर सके। यह सैद्धान्तिक चीज है और इससे मेरा मतभेद है। इसकी आड में कई प्रकार की अंडरग्राउन्ड एक्टिविटीज चल सकती हैं। इससे एक दूसरे के प्रति दुर्भाव की भावना जागृत हो कर कार्य रूप में परिणत हो सकती है। इन सारी चीजों को देखते हुए यह उचित नहीं होगा कि इस सिद्धान्त की अवहेलना की जावे और एक दल दूसरे दल को दबा दे। मान लीजिये दो दल बराबर की संख्या में चुनकर आ गये। उस सूरत में यदि कोई दल इसका फायदा उठा लेजावे तो केवल एक मत से ही कोई भी दल अल्पमत में आ सकता है। मान लीजिये ११ और ९ भी हुए तो ९-वाले माइनोरिटी में रह गये। पर वे ११ सदस्य भी जिनमें अगर कोई संगठित न हो और कोई भी गड़बड़ी करना चाहें तो वे विघठित हो सकते हैं और उस मत-भेद के कारण बहुमत वाले दल को छोड सकते हैं।

पर वे उस वक्त नहीं छोड़ेंगे जब कि माइनोरिटी में बहुत ज्यादा माइनोरिटी हो और वह माइनोरिटी भी उस हालत में मेजोरिटी में नहीं आ सकती जब इस बहुमत वाले 'कोओप्ट' के कारण अपनी संख्या बढ़ावेंगे। ऐसे बहुमत पर काबू नहीं पाया जा सकता क्योंकि उस बहुमत को अधिकार है कि वह १/४ सदस्यों को महिलाओं, हरिजनों और शिड्यूल टाइब्स में से कोओप्ट करलें और जिसका नतीजा यह होगा कि दो-चार आदमियों को कोऑप्ट करके बहुमत वाला दल मजबूत बहुमत वाला दल बन जावेगा और इस क्लोज का इस तरह से बेजा फायदा उठा सकेगा।

तो इसके सिद्धान्त से ही मेरा मतभेद है, पर महिला, हरिजन या शिड्यूल ट्राइब्स को प्रति-निधित्व दिये जाने के मैं विरुद्ध नहीं हूं। मेरी इस बात से तो सहमति है। जिस प्रकार से जनरल इलेक्शन में परिगणित जातियों के लिये सीटें रिजर्व की गई थी वैसे कर दी जावें, इससे हमें कोई मतभेद नहीं।

आज सब जानते हैं कि परिगणित जाति में भी मतभेद है। तब अगर आप किसी एक को कोऑप्ट करेंगे तो उसे अपनी परिगणित जाति में ही विश्वास नहीं प्राप्त हो सकता। उसका विरोध उस जाति में से होगा। इसी तरह महिलाओं के लिये भी होगा। यदि एक स्त्री को कोओप्ट किया जाता है तो उस इलाके की सारी औरतें उसके पीछे हों, यह नहीं कहा जा सकता। उसकी

[श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)]

विचारधारा दूसरी तरह की हो सकती है और उस इलाके की स्त्रियों की विचार धारा कुछ और हो सकती है। तो विचार धारा में जहां मतभेद हो वहां सारी ही स्त्रियों का प्रतिनिधित्व वह नहीं कर सकती। ऐसी सूरत में जब हमारी यह स्पष्ट कल्पना है कि कोई भी इलेक्टेड नहीं है और इसके कारण सबका प्रतिनिधित्व ठीक नहीं कर सकते तो उस वक्त किसी को कोओप्ट करना भी, मैं समझता हूं, जनतन्त्रवाद के वास्तविक सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को मंजूर कर लें।

श्री गोपीलाल यादव--माननीय अध्यक्ष, निवेदन यह है कि यह जो संशोधन मेरे मित्र ने रखा है वह वस्तुतः उचित है या अनुचित, मैं समझता हूं कि इस बात को देखकर हमें विचार करना है। जैसा कि हम कल कर रहे थे कि आत्मा तो मेरे प्रस्ताव के साथ थी किन्तु शरीर कांग्रेस के हित के साथ। इस तरह की बात जो कल हुई थी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये। अगर कल जैसी चीज आज भी होती है तो इस बिल को यहां लाना और डेढ सौ आदमियों का खर्चा करना व्यर्थ है। मैं आशा करता हूं कि यह जो चीज है उस पर हमें सोच-समझ कर काम लेना चाहिये। यह कोआप्ट करने की नीति अंग्रेजों के जमाने से चली हुई है। वे इसलिए कोऑप्ट किया करते थे कि वे अपने मददगारों को भर सकें और जो हमारे देश का विधान बना है; विधान निष्पक्ष आदमियों द्वारा, ईमानदारी से बनाया गया है, इसलिये इसमें कोऑप्ट करने की कोई चीज ही नहीं रखी गई है। ५०० आदमी हमारी भारतीय पार्लियामेन्ट में हैं, उसमें कोऑप्ट करने का सिद्धान्त ही नहीं है। हमारे यहां भी जो १६० मेम्बर्स हैं उनमें भी कोऑप्ट करने जैसी चीज ही नहीं है, कोई सिद्धान्त ही नहीं है। इसलिये जिस दिन हम यह सिद्धान्त मान लेते हैं तो डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों का खात्मा एक प्रकार से हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपसे निवेदन करूं कि भरतपुर म्युनिसिपेलिटी का चुनाव कई दिनों से नहीं हो रहा था। आखिर जब वहां चुनाव हुआ तो उस चुनाव में कांग्रेस द्वारा ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिया गया जो ब्लेक मार्केटियर्स थे। उनको कांग्रेस के टिकट पर खडा किया गया और कांग्रेस के टिकट से केवल एक व्यक्ति कामयाब हुआ और सात आदमी और कांग्रेस टिकट से जीते और इस तरह से अपोजिशन के भी ८ सदस्य चुन लिये गये। इस तरह से कोऑप्ट करके अगर दो आदमी कांग्रेस में शामिल हो गये तो इस तरह कांग्रेस के पक्ष में ९ हो गये और आपोजिशन वाले अल्पमत में ८ ही रह गये। जो दल बहुमत में था उसको कोऑप्शन द्वारा अल्पमत में परिणित कर दिया गया इससे वहां काफी झगडा पैदा हुआ और एक महिला को लाकर चेयरमेन के पद पर रख दिया। इससे वहां म्युनि-सिपेलिटी में काफी फूट पड गई और इस कदर लट्ठम लट्ठा चली जिससे वहां एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिनको नोमिनेट किया जाता है उनको भी इससे बडा भारी नुकसान उठाना पडता है। भरतपुर में चेयरमेन का पद संभालने के पूर्व जितनी पॉपुलर वे थीं आज वे उससे कई गुना अनपोपुलर हो गई। वहां की औरतों का ऐसा कहना है कि जब वह इस योग्य थीं तो उनसे ज्यादा कोई योग्य औरत उनको भरतपुर में दिखाई नहीं दी।

श्री अध्यक्ष--क्या आप कोऑप्ट और नोमीनेटेड में डिफरेन्स अनुभव नहीं करते ?

श्री गोपीलाल यादव—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं समझता हूं कि इन दोनों में डिफरेन्स है। अगर कोई भी पार्टी इसमें बैठ कर कोओप्ट करे तो इसमें गडबड होगी। फिर ऐसी चीज को इसमें रखा ही क्यों जाय जिससे गडबड पैदा होने का अन्देशा हो। कोऑप्ट से यह होगा कि जो पार्टी मेजोरिटी में होगी वह अपने आदमियों को ले लेगी। माइनोरिटीज वाले नहीं ले सकते तब नुकसान होगा। मुझे इस बारे में यह भी निवेदन करना है कि आप औरतों के लिए रिजर्वेशन कर दीजिये जिससे कि जिसके अन्दर योग्यता हो वे आजायंगी। उसके लिये आप औरतों को ही वोट देने का अधिकार दे दीजिये, उसमें मर्द भाग नहीं ले सकते और औरतें इस तरह अपनी नुमाइन्दो को भेजेंगी इस तरह से मेरा कहने का यह मतलब है कि इस कोऑप्शन के पीछे क्या नीति रहती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मित्र इस बात को स्वीकार करेंगे और स्वायत्त शासन मंत्री भी इस बात को स्वीकार करेंगे। इससे उनको कुछ फायदा होने को नहीं, जिससे वहां की जनता खुश नहीं। इन सब बातों को देखते हुए उनको चाहिये कि वे ऐसी चीजें क्यों न करें जिससे सबको प्रसन्नता हो जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे और इस पर वोट नहीं होना चाहिये।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, जो यह संशोधन पेश किया गया है वह किस भावना से पेश किया, यह मुझे समझ में नहीं आता। इस संशोधन को पेश करते हुए कहा गया कि स्वायत्त शासन मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग अपने कृपापात्रों को कोओप्ट करने, नोमीनेट करने के साधन निकालना चाहता है। इस प्रस्ताव के समर्थक ने जरा इसको ठीक किया और यादव साहब तो भरतपुर की मिसाल देकर न मालूम कहां उलझ गये। और इसके साथ साथ वे यह भी कह गये कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार दे दिया जाय ताकि वे अपने में से किसी योग्य महिला का चुनाव कर सकें। मेरा यह निवेदन है कि जिन्होंने इस कानून को पूरी तरह से पढा है वे देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों का चुनाव करने वाले कौन हैं, उस क्षेत्र की महिलायें वोट करेंगी या पंचायतों के पंच वोट करेंगे। उसमें साफ लिखा हुआ है कि इसके लिये पंचायतों के पंचायतदार ही वोट कर सकेंगे और उनके द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर हो सकेंगे। इसी सिलसिले में एक बात यह भी कही गई कि जो माइनोरिटी होगी उनको इस तरह कोऑप्ट से दो आदमी मिल जायेंगे। इस तरह से यदि कोई पार्टी एक या दो सदस्यों से माइनोरिटी में आती है और उसमें यदि दो सदस्य मिल जायेंगे तो वह मेजोरिटी पार्टी हो जायगी। इस तरह से जो व्यक्ति जिस पार्टी का होगा या जिस पक्ष का होगा उसको ले लेगा। कहा गया है कि सरकार ने इस तरह के अपने पास अन्डरग्राउन्ड और बैकडोर ऐसी व्यवस्था रखी है कि इससे यह भावना व्यक्त होती है कि सरकार जिसको नोमीनेट करना चाहेगी वह कर देगी। लेकिन यह बात नहीं। इसमें पंचायतों द्वारा चुने हुए जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य होंगे वे अपने अनुपात से १।१० के अनुपात से आदमियों को कोऑप्ट कर सकते हैं यह जो उनका हक है, उसको जरूर मान लिया जाना चाहिये। जनरल इलेक्शन में रिजर्वेशन कुछ सीटों का रखा गया। उसमें इसलिए रखा गया है कि उसके अन्दर जो वोट देने का अधिकार है वह उन लोगों तक ही सीमित नहीं रखा गया है बल्कि उनके लिए भी वोट सारे के सारे लोग देते हैं और इसके अन्दर भी वोटर्स इलेक्टेड पंच ही हैं। उन लोगों के सामने इस बात का सवाल नहीं आता कि उनके लिए कोई सीट

[श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)]

का रिजर्वेशन होना चाहिये । रिजर्वेशन कोई वाजिब सिद्धान्त नहीं है । जिन महानुभाव ने यह संशोधन रखा है उनके दिल में दर्द कोऑप्रेशन का नहीं था बल्कि उस नोमीनेशन का और साथ में जयपुर म्युनिसिपल अफेयर्स और साथ में चेयरमेन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बन जाने का था । मैं यह जरूर कहता हूं कि सरकार की यह कभी भावना नहीं रही है कि वह इस क्लोज के द्वारा अपने कृपापात्रों को इसमें ठूंसे या इसको एक हथियार के रूप में अपने पास रखे । यदि माननीय सदस्य संशोधन रखते वक्त इस क्लॉज को पढ लेते तो उनको मालूम हो जाता कि माइनोरिटी को मेजोरिटी में बदलने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन बोर्ड में जिसकी मेजोरिटी होगी वह दो आदमियों को कोऑप्ट कर सकता है । मेजोरिटी मस्ट बी ग्रान्टेड–इस बात से इनकार करने वाली बात कहां पैदा हो जाती है; मेरी समझ में नहीं आता । आशा है मेरे इस कथन के पश्चात् माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापिस ले लेंगे ।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष...............

श्री अध्यक्ष—वापस ले रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार—पहले दो शब्द कह कर लूगा। मैं तो अभी दो शब्द कह रहा हूं । माननीय अध्यक्ष, राजस्थान की हिटलरशाही से मुझे यही उम्मीद थी कि जिन मंत्री महोदय ने डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्रवाद) को ताक में रख दिया है..............

श्री अध्यक्ष—(घंटी)–These are not relevant things.

श्री मानसिंह महार—(अपना भाषण जारी रखते हुए) और हमारी उचित मांग को भी मन्जूर नहीं करेंगे, उनसे यह पूरी उम्मीद थी । यह कोई नई बात नहीं है कि वह हम नहीं जानते हों । हम फिर भी यह समझते थे कि यह छोटी सी और बडी उचित मांग थी, उसको ठुकराया नहीं जायगा, लेकिन उस चीज को तोड मरोड कर यादव साहब की बात को लिया, फिर भैरूंसिंह जी को भी लिया और मेरी बात को भी तोड मरोड दिया गया । यह सब होते हुए भी मैं सदन से अपील करूंगा कि चाहे यह संशोधन गिर ही जाय, यह एक ऐसा खतरनाक क्लॉज है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं । मैं इसको वापिस लेने के लिए तैयार नहीं हूं और सदन से अपील करूंगा कि मंत्री महोदय की अपील के बाद भी वह इसका समर्थन करें और इस सेक्शन को डिलीट करें ।

श्री अध्यक्ष—It is none of my intention to participate in the discussions, but I may just apprise this House of the fact that the report of the Select Committee on clause 8 reads thus;

"The Committee feel that the number of members to be co-opted, should not be left to be determined by the Government but it should rest entirely with the Boards. The clause has been amended accordingly. The Committee have further made certain minor verbal alterations in order to bring out the sense underlying the clause very clearly."

Page No.37

[श्री अध्यक्ष]

So it is not the intention that the power to co-opt should be with the Government. It vests with the Board itself and I am constrained to remark that the clause, as amended, does not carry that sense. Clause 8 :—"After the election of the members, the Board shall, as soon as possible, co-opted in the manner prescribed, such number of members not exceeding one tenth of the number of elected members." आगे फिर शुरू होता है "as the State Government may determine." But with this the sense will not be complete.

श्री रामकरण जोशी—वह काट दिया है।

श्री अध्यक्ष—'As the State Government may determine' or the Board ! From the Select Committee Report on clause 8 what I could gather is that the clause should be there but only with the difference that instead of the "State Government" it should be "Board" and then the clause would be complete.

श्री किशनलाल शाह—Has the Government fixed the number of Members?

श्री अध्यक्ष—It is contradictory with the recommendations of the Select Committee-not the Government but the Members will decide the number of Members to be o-opted. I wanted to know from the Hon'ble Members, particularly those of the Select Committee. Shri Shah can also enlighten me.

श्री किशनलाल शाह—The Government decides the number of the members of the Board to be co-opted.

श्री अवनिकुमार—This is not the point.

श्री अध्यक्ष—If this is the sense I have no objection. I do'nt want to participate. What I point out is that the sense is not complete. What the Select Committee means is not carried in the clause itself.

श्री तेजमल बापना—I was also a member of the Select Committee. The Government will decide the number of members of a Board and that number will only nominate one-tenth of the members-of the elected members. Only one-tenth will be co-opted. I think the clause is quite clear.

Whatever the number of the Members of the Board that will be notified by the Government; the elected members of that Board would co-opt one-tenth of that number.

श्री अध्यक्ष—Such number of members not exceeding one-tenth of the number of elected members.

श्री तेजमल बापना–I may just clearify by an example. Suppose the number of members is 25. Then one-tenth of that will be co-opted.

श्री प्रवनिकुमार––What will be one-tenth of 25 ?

श्री तेजमल बापना–This is only an example. We may take 30. Then three members will be co-opted.

श्री जवानसिंह––अध्यक्ष महोदय, इस विषय की सिलेक्ट कमेटी का मैं भी एक सदस्य था तो उसमें 'as the Sate Government may determine' इन शब्दों में गवर्नमेन्ट के पास डिस्क्रिशन (स्वेच्छा) रहती हुई नजर आयी थी और ऐसा उन्होंने उचित समझा कि एक तरफ १/१० तक की लिमिट जब मुकर्रर है तो उतने ही सदस्य उसमें कोऑप्ट (co-opt) किये जा सकते हैं, तो उसके आखीर में यह शब्द और रखने की क्या जरूरत है ? जब एक निश्चित् संख्या मुकर्रर कर दी है कोऑप्टेड मेम्बर्स (Co-opted Members) की; तो उसके वाद गवर्नमेन्ट को डिस्क्रिशन देने का सवाल रहता ही नहीं है । इसलिए उन डिस्क्रिशनरी शब्दों को 'as the State Government may determine' डिलीट (delete) किया गया था। यह सिलेक्ट कमेटी की मन्शा थी और उस मन्शा को देखते हुए इसको डिलीट किया गया था । जब कि स्टेट गवर्नमेन्ट को कोऑप्ट करने का कोई डिस्क्रिशन ही नहीं है तो फिर कितने कोऑप्टेड मेम्बर्स हों, इसका प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है और यह भी साफ है कि १/१० की जो संख्या मुकर्रर की है वही कोऑप्ट किये जायेंगे। स्टेट गवर्नमेन्ट को कोई डिस्क्रिशन नहीं रह जाता है। यही सिलेक्ट कमेटी की मन्शा थी और इस मन्शा को देखते हुए यह आखरी शब्द डिलीट किये गये थे।

श्री रामकरण जोशी––यह शब्द हम महसूस करते हैं कि इसके साथ नहीं होना चाहिये।

श्री गोपीलाल यादव––माननीय अध्यक्ष, यह वास्तव में सेन्टेन्स कम्प्लीट नहीं होता है। धारा १ में जब वह 'such' है तो उसके बाद ही 's' से शुरू होने वाली क्लॉज होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष––If they want in this way, I have no objection in getting it passed by the House. What came to my notice is that without this clause the sentence will not be complete.

श्री रामकरण जोशी––यह जो रिपोर्ट है उसमें साफ है और उसको देखते हुए इसमें लिखा है कि 'it should rest entirely with the Boards, तो इसका मतलब यह होगा कि वह बोर्ड के अधिकार की बात है।

श्री अध्यक्ष––'as the State Government may determine' के बजाय the Board may determine" कर दिया जाय।

श्री गोपीलाल यादव– 'State Government' के बजाय 'Board may determine' हो जाय, तो ठीक है ।

श्री अवनिकुमार—That will be very clear.

श्री रामकरण जोशी— Yes.

श्री अध्यक्ष—The clause as reported by the Select Committee and amende will read thus, " After the election of the members, the Board shall, as soon as possible, co-opt. in the manner prescribed such number of members not exceeding one-tenth of the number of elected members as the Board may determine."

(विराम)

So the question is that the amendment moved by Shri Mansingh of Jamwa Ramgarh "that clause 8 be deleted" be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

Now the question is that clause 8 be accepted.

श्री अवनिकुमार—As reported by the Select Committee.

श्री अध्यक्ष—As I have just read out.

(स्वीकृत)

Clause 8, as amended is added to the Bill.

खंड ९

Now we come to clause 9. The question is that clause 9 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 9 is added to the Bill.

धारा १०

श्री अध्यक्ष—I have just received a notice of amendment to clause 10 by Shri Bhaironsingh.

श्री मानसिह महार—This is by me, Sir.

श्री अध्यक्ष—पहले भैंरूसिह जी ने इसको लिखकर अपना नाम काट दिया है और मानसिंह जी ने भी अपना नाम काट दिया है और फिर अपना नाम लिख दियां है। में समझता हूं कि इसको में ही काट दूं।

श्री भैंरूसिह—(निo सo १६) इसमें जो कटा हुआ है वह मेरा नाम नहीं है।

श्री मानसिह महार—अन्त में मेरा नाम है।

Page No.40

श्री अध्यक्ष--इसलिए मैं समझता हूं कि काट दूं।

The amendment is:—

"Insert the following words after the word 'Member' and before the word 'of'—

'who is entitled to vote in the Panchayat elections' and delete the words 'of a Village Panchayat.'

श्री मानसिंह महार--अध्यक्ष महोदय, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्डस बिल की १०वीं धारा में मैंने संशोधन रखा है। जो ओरिजिनल क्लॉज का उप-खन्ड (१) इस प्रकार है:—

"(1) Every Member of a Village Panchayat situated within the District shall be entitled to be enrolled as an elector under this Act."

The amended clause will read as under:—

"(1) Every member who is entitled to vote in the Panchayat elections situated within the District shall be entitled to be enrolled as an elector under this Act."

मैं चाहता हूं कि "Village Panchayat" शब्द को हटा दिया जाय और उसकी जगह 'every member who is entitled to vote in the village Panchayat' कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि सिलेक्ट कमेटी में कहा था और सिलेक्ट कमेटी से मेरा सैद्धान्तिक कुछ मुद्दों पर मतभेद है तो पहला मुद्दा जिस पर कि मेरा सैद्धान्तिक मतभेद है वह यह है कि ग्राम पंचायतों को यह हक नहीं दिया जाय कि वे डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के सदस्यों को चुनें। अभी मैं जयपुर की फोर्मर स्टेट का हवाला दूंगा तो मंत्री महोदय कहेंगे कि उसमें कोडे लगाये जाते थे, काठ धरा हुआ था। यह सच है कि आज जो मंत्री बने हुए बैठे हैं उनको जेलों में भी ठूंसा जाता था, मैं यह कहूंगा कि लेकिन फिर भी वह जयपुर स्टेट जिसको नादिरशाह कहा जाता है और जिस पर कई प्रकार के लांछन लगाये जाते हैं और आज की ट्रेजरी बेंचेज जिसको बुरा-भला कहते हैं उसने भी आज से ५-७ साल पहले जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक्ट पास किया था और उसमें यह प्रोविजन रखा गया था कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव एडल्ट फ्रेन्चाइज के आधार पर होंगे। लेकिन दुःख की बात है कि हमारी राजस्थान सरकार इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है कि यहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के चुनाव एडल्ट फ्रेन्चाइज के आधार पर हों। यह सरकार इन्डाइरेक्ट इलेक्शन्स चाहती है क्योंकि यह जानती है कि एडल्ट फ्रेन्चाइज के आधार पर यदि चुनाव किये गये तो उनके आदमी नहीं आ सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—आप अपने एमेन्डमेन्ट पर आइये ।
This amendment is very clear, you come to it.

श्री मानसिंह—कहना तो मुझे बहुत कुछ था इस एमेन्डमेन्ट के ऊपर, लेकिन आपने जैसा हुक्म किया है उसकी तामील करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एमेन्डमेन्ट बिलकुल साफ है । ग्राम पंचायतों को यह अधिकार न दिया जाय कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों का चुनाव वे करें । इसके बजाय यह होना चाहिये कि ग्राम पंचायतों को चुनने वाले सभी लोगों का यह अधिकार होना चाहिये कि वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों को चुनें और अपने नुमायन्दे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में भेजें । मैं यह चाहता हूं कि ग्राम पंचायत के सदस्य ही उनका चुनाव न करके आम जनता उनका चुनाव करे और इसकी वजह मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि आज के जमाने में जो उदयपुर डिविजन में पंचायतों का चुनाव हुआ है, उस के बारे में मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि वे चुनाव बडे पक्षपात से हुए हैं । उनको हम हर्गिज निष्पक्ष नहीं कह सकते....

श्री अध्यक्ष—सिर्फ कंन्सीडेरेशन के लिये क्लाज १० है और उसका शीर्षक है "Qualifications of electors" और उसमें आपने एमेन्डमेन्ट पेश किया है । आपने जो एमेन्डमेन्ट पेश किया है उस पर आप बोल दीजिये । आखिर आप चाहते क्या है ? इसमें उदयपुर, राजस्थान का तो कोई ताल्लुक नहीं है । उस एमेन्डमेन्ट के मुतल्लिक ही बोलिये ।

You should speak only within the scope of this amendment only. The licence rather the concession which I have given to you to speak at so late hour should not be mis-used.

श्री मानसिंह—मैं नम्र निवेदन करूंगा कि मुझे यह पोइन्ट समझाने की आज्ञा दी जानी चाहिये कि ग्राम पंचायतों के जरिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव क्यों नहीं होना चाहिये और उसके बजाय हम आम जनता से चुनाव कराना क्यों चाहते हैं ? यदि आपकी आज्ञा द्वारा बोलने की आजादी नहीं है तो अमेन्डमेन्ट तो क्लीयर (स्पष्ट) है ही ।

श्री अध्यक्ष—The main thing is this that I have not been able to follow your amendment.

श्री मानसिंह महार—मेरा एमेन्डमेन्ट यह है कि जो उस डिस्ट्रिक्ट के ग्राम पंचायतों को चुनने वाले वोटर हैं उन्हीं को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के सदस्य चुनने का हक मिलना चाहिये, न कि ग्राम पंचायतों को ।

श्री अध्यक्ष—It does not mean this. At least its sense has not been brought home to me.

श्री मानसिंह—मेरी समझ में तो यही आता है, फिर आप कुछ करें तो कर दें । मैं जो थोड़ी सी अंग्रेजी जानता हूं उसके मुताबिक मैंने यह एमेन्डमेन्ट ठीक ही रक्खा है ।

श्री अध्यक्ष—अच्छा कहिये ।

श्री मानसिंह–(भाषण जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, मैं जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव चाहता हूं। इस संबन्ध में मैं यह बात कह रहा था कि उदयपुर डिविजन में ग्राम पंचायतों के चुनाव पक्षपात से हुए हैं। वहां यहां तक हुआ है कि ग्रामवालों ने दूसरे आदमियों को चुना है और चुनाव अधिकारी ने दूसरे ही आदमियों का नाम डिक्लेयर किया है। इसको चैलेन्ज करने के लिये ग्रामवालों के पास कोई चीज नहीं है क्योंकि वहां पर हाथ उठाये जाते हैं। ग्राम पंचायत विभाग का अधिकारी चुनाव कराने जाता है और वह वहां पर कुछ नोट कर लेता है और उस नोट को किसी को बताता नहीं है कि किस केन्डीडेट के पक्ष में कितने वोट आये हैं। वह जब वहां से घर चला जाता है तब रात को कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की मिटिंग उस अधिकारी के घर पर होती है और वे तय करते हैं और उस अधिकारी को कहते हैं कि आप इस माफिक डिक्लेयर कर दीजोये और दूसरे दिन सवेरे उसी माफिक डिक्लेरेशन हो जाता है कि इन पंचों को चुना गया है। ऐसा करने में मुख्य हाथ स्पशेल (मुख्य) पंचायत अधिकारी का है। उनकी वजह से ही ये सारे घोटाले होते हैं। वे बडे पक्षपात ढंग से काम करने वाले व्यक्ति हैं, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैंने तीन-चार बार उनसे प्रार्थना करते हुए यह पूछा कि जमुआ रामगढ सरकिल किस तरह से बना रहे हैं, आप बताइये। कभी कहते हैं कि इन्सपेक्टर नहीं है, कभी कहते हैं कि इन्सपेक्टर कांग्रेस वालों के साथ सरकिल बनाने गया है। क्या पंचायतें कांग्रेस की बपौती हैं जिससे इन्सपेक्टर कांग्रेस वालों के साथ सरकिल बनाने जाय और हमको वह नहीं बतावे। इनकी वजह से हजारों वोटस के नाम रह जाते हैं। इससे बढकर क्या पक्षपात की बात होगी, इससे बढकर क्या शर्म की बात हो सकती है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इस सदन में स्वायत्त शासन विभाग को जितना भी कोस सकता हूं, थोडा है और जितना भी मैं कोस रहा हूं वह बिल्कुल सही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग को तोड देना चाहिये। ऐसे अयोग्य जिस विभाग के ऑफिसर हों तथा सबसे बडा ऑफिसर उसके मंत्री महोदय हैं और जिसका मंत्री अयोग्य हो वह विभाग नहीं रहना चाहिये। इसलिये मैं यह कहूंगा कि ग्राम पंचायतों को हक नहीं होना चाहिये कि वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव करें। ऐसे मनमाने और बेइमानी से चुने हुए पंच डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को चुने, यह ठीक नहीं। मैं यह चाहता हूं कि जनता का जो एडल्ट फ्रेन्चाइज का हक है उसके अनुसार ही चुनाव होना चाहिये। यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में उनके द्वारा चुनाव होगा तो उसी प्रकार की बेइमानी चलेगी। मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि आप इस एमेंडमेंट को स्वीकार करें और स्वायत्त शासन विभाग को बतला दें कि हम इस प्रकार के जुल्म को बरदाश्त नहीं कर सकते।

श्री भैरूंसिंह (१३)––अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हाउस में पेश है उस संशोधन का मैं तीन बातों के आधार पर समर्थन करता हूं।

पहली बात यह है कि इस बजाज में यह रखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव होगा, उसमें वे ही सदस्य भाग ले सकेंगे जो पंचायत के सदस्य होंगे। मैं इससे मत भेद रखता हूं।

दूसरी बात यह है कि यदि यह माना जावे कि इनडायरेक्ट रीति से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव हो रहा है तो भी जब आपने पहले ग्राम पंचायतों के पंच चुन कर उसके बाद तहसील पंचायतें

[श्री भैरूंसिंह]

बनाई है तो फिर विलेज पंचायतों के सदस्यों से वोट लेने की क्या जरूरत है ? क्यों नहीं तहसील पंचायतों के वोटों से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव करते ? इस दृष्टि से भी यह गलत है । ग्राम पंचायतों को कोई अधिकार नहीं होना चाहिये, जब तहसील पंचायतें ग्राम पंचायतों से चुनी हुई होती है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि पंचायतों के जो सदस्य हैं वे ही वोट दे सकते हैं।

पंचायत एक्ट जो हमने गये सेशन में ही पास किया है उसमें जो पंचायतें पंचायत कानून बनने से पहले थी वे वैसी की वैसी बनी रहेंगी जब तक सरकार यह उचित नहीं समझे कि दूसरी पंचायत बनाई जावे। उस वक्त इसका कई सदस्यों ने विरोध किया था और कहा था कि सारी पंचायतें इस कानून के अंतर्गत डिजोल्व की जावें। पहले पंचायतों में पंचों के चुनाव हुए हैं वे बिना कानून हुए। उनके लिये कोई नियम नहीं थे और जो हुए वे भी इस ढंग से हुए हैं कि उस ढंग को इस सदन के समक्ष बतलाना सदन के लिए कोई शोभनीय बात नहीं होगी। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जो पंच चुने गये वे ठीक तरह से नहीं चुने गये और उनको इस प्रकार का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों को चुनने का अधिकार देना किसी भी तरह से वाजिब नहीं होगा।

तीसरी बात यह है कि पंचों का इलेक्शन हुआ है वह कानून के अनुसार नहीं हुआ है। जब पंचों का चुनाव होता है तो उस समय वे जाकर एक जगह लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। लोग हाथ उठा लेते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति अपने घर चला जाता है और वहां पर जाकर लोग अपना दबाव डाल कर पंच बन जाते हैं। कोई भी व्यक्ति यह देखना चाहे तो खुद जा कर देख सकता है कि किस प्रकार पंचों का चुनाव होता है और किस प्रकार तहसील पंचायतों के पंच चुने जाते हैं। कोई अधिकारी खुद देख कर यह नहीं कह सकता कि इलेक्शन फेअर होता है; कानून के अनुसार इलेक्शन नहीं होता। जब पंचों का चुनाव ही ठीक तरह से और सही तरीके से नहीं होता, तो फिर इस प्रकार का सदस्यों को अधिकार देना कि वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का निर्माण करें, किस तरह से ठीक हो सकता है ?

इन्हीं बातों के आधार पर मैं निवेदन करूंगा कि इनडाइरेक्ट रीति से चुनाव नहीं होना चाहिये और सारी जनता को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में मत देने का अधिकार होना चाहिये। जनता के किसी भी नागरिक को खड़ा होने का अधिकार तो है ही, फिर सब लोगों को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिये ? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कितना जिम्मेदारी से काम होता है, इसके लिये तो आप सब जानते ही हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर आप गंभीरतापूर्वक विचार करके इसको पास करने में अपना सहयोग दें।

श्री कानसिंह (६१)—माननीय अध्यक्ष, यह जो संशोधन हमारे सामने पेश हुआ है उसका मैं भी समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बहुत सी बातें इस संशोधन के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कह दी हैं और चूंकि पंचायत के बारे में मुझे भी कुछ तजुर्बा है इसलिये वे जानकारी की बात जो मैं जानता हूं सदन के सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां जैसा कुछ लोगों ने कहा है पंचों का जो चुनाव होता है वह वैधानिक रूप से नहीं होता। पंचायत कानून जब इस सदन में था और पास किया जा

[श्री कानसिंह]

रहा था तब भी मैंने इस बात की आपत्ति उठाई थी कि आयन्दा जो भी पंचायतों का चुनाव हो वह नये पंचायत एक्ट के तहत किये जावें। उनका चुनाव पुराने एक्टस की तहत नहीं होना चाहिये। मगर सरकार ने इस बात को नहीं माना और हमारा नया पंचायत कानून, जिसको हमने पिछले सेशन में पास किया, जो अब तक भी लागू नहीं किया गया है और अब तक जिन जिन रियासतों में पुराने एक्ट्स की तहत में काम होता था उसी प्रकार चुनाव किया जा रहा है। इसके बारे में नमूने के तौर पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। मेरी कॉस्टिट्यूएन्सी में एक गांव है हेमतसर। वहां डेढ महीने पहले पंचायत का चुनाव हुआ। अव्वल तो पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया, सर्किल इन्सपेक्टर ने एक पर्चा जारी जरूर किया और वह भी किसी एक आदमी को दे दिया और जिस दिन चुनाव होने वाला था उसके पहले दिन रात को वह शाया कर दिया गया। गांव वालों को किसी को इत्तिला नहीं मिली। कम से कम नोटिस १५ दिन पहले दिया जाना चाहिये था। मगर बेजाब्तगी की गई और नोटिस को छपा लिया गया। फिर मौके पर सर्किल इन्सपेक्टरजी जाते हैं। वहां तो एक दल वाले ही मौजूद होते हैं क्योंकि उनको ही मालूम होता है और गांव वालों को तो मालूम नहीं होता। ५-१० आदमियों के नाम बतला दिये जाते हैं। बाजाब्ता दरख्वास्त नहीं देते, नोटिस नहीं देते। इस हेमतसर के चुनाव के बारे में चीफ पंचायत ओफिसर को दरख्वास्त भी दी जा चुकी है कि हमारे यहां पंचों का चुनाव कानून के अनुसार नहीं हुआ और बहुत बेइमानी से हुआ है मगर उसका कोई जबाव नहीं।

इसलिये मेरे लायक दोस्त मानसिंहजी ने जो कहा है कि इन्डाइरेक्ट रीति से चुनाव न होकर डाइरेक्ट से चुनाव, जैसे हमारे एसेम्बली के चुनाव होते हैं, हो जावें तो अच्छा होगा, यह ठीक है, बालिग-मताधिकार के आधार पर ही होजावे तो बहुत अच्छा होगा। यदि ऐसा नहीं किया जावेगा तो पंचायतों में दलबाजी चलती रहेगी और जो दलबंदी पंचायतों में चल रही है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आ जावेगी और बजाय जनता की भलाई के जनता को नुकसान होगा। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इन्डाइरेक्ट चुनाव के बजाय डाइरेक्ट चुनाव इस क्लाज में रखा जावे।

ठा० श्री भीमसिंह—माननीय अध्यक्ष, अभी हाउस के सामने मानसिंहजी महार ने जो सुझाव रखा है, उसका समर्थन करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सुझाव मेरे ख्याल से बडा ही उपयोगी है क्योंकि अगर इस सुझाव को हम मानलें तो उसका दूसरा अर्थ मैं यह समझ पाया हूं कि इन्डाइरेक्ट चुनावों का यह तात्पर्य है कि जनता इस योग्य नहीं है कि उसको इतनी जिम्मेदारी दी जाय कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का डाइरेक्ट चुनाव करे। हम जनता को इतना योग्य नहीं समझते हैं तो हम यहां इन्डाइरेक्ट (अप्रत्यक्ष) चुनाव ही रखना चाहते हैं। तो इस स्थिति में म यह दर्याफ्त करना चाहता हूं कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के चुनाव के लिये जनता को योग्य नहीं समझते हैं और इसीलिए इन्डाइरेक्ट चुनाव रखना चाहते हैं तो फिर हमारी असेम्बलीज के लिए डाइरेक्ट चुनाव क्यों हो और फिर वह किस के प्रति जिम्मेदार हो। असेम्बलीज से पार्लियामेन्ट जो भारत के शासन को चलाने वाली संस्था है उसके लिए भी डाइरेक्ट चुनाव की व्यवस्था रखी है। इसके

Page No.45

[ठा० श्री भीमसिंह]

विपरीत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिए और तहसीलों के लिए हम इन्डाइरेक्ट चुनाव रखते हैं। मेरे ख्याल से तो यह यह उचित चीज नहीं है। जिस तरह से हमारी सरकार ने पालियामेन्ट, असेम्बलीज के लिए डाइरेक्ट चुनाव रखे हैं उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिए भी और तहसीलों के लिए भी डाइरेक्ट चुनाव ही होने चाहियें।

डाइरेक्ट चुनाव रखने से दूसरा जो फायदा होगा वह यह होगा कि जो सदस्य डि० बोर्ड्स और तहसीलों के लिए डाइरेक्ट चुन कर आवेंगे वे अपने आपको जनता के प्रति जिम्मेदार समझेंगे, जैसा कि असेम्बली के सदस्य यह समझते हैं कि वे जिस कांस्टिट्एन्सी से चुन कर आए हैं वे वहां की जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। अगर वहां की जनता की शिकायतें हैं तो उसके लिए उनको जवाब देना होगा। अगर सदस्य सीधे नहीं चुने जावेंगे और ग्राम पंचायतों के द्वारा ही चुने जावेंगे तो उस हालत में वे चुने हुए सदस्य अपने आपको जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं समझेंगे। वे यह नहीं समझेंगे कि अमुक काम ऐसा नहीं करें जिससे जनता उनको वापिस लेले, किन्तु वे तो पंचायतों के पंचों को खुश रखने का काम करेंगे। अतः यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनता और चुने हुए सदस्यों को आपस में मिलाता है। मैं माननीय अध्यक्ष के द्वारा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस ओर जरूर ख्याल करेंगे और डाइरेक्ट चुनाव की ही पद्धति रखेंगे।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

पं० रूपनारायण शास्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में जो कुछ कहा गया है वह ठीक ही कहा गया है। मैं भी इसी पक्ष में हूं कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव न करावे। जिनको मत देने का अधिकार है मत दें, किन्तु दूसरों यानि पंचों द्वारा मत दिलाकर उन सदस्यों को न चुनवाया जाय। अगर ग्राम पंचायतें ही डिस्ट्रिक्ट बोर्डस का चुनाव करेंगी तो उससे जनता के अप्रत्यक्ष वोट आवेंगे। आज जनता अपने वोट अप्रत्यक्ष रूप से नहीं देना चाहती, वह चाहती है कि प्रत्यक्ष वोट लिए जायं। अगर इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वोट दिलवाना चाहते हैं तो फिर असेम्बली में क्यों प्रत्यक्ष रूप से वोट लिये जाते हैं। आप असेम्बली को भी जाने दीजिए। घर का मामला ही ले लीजिये। घर का मुखिया कहेगा कि चूंकि मैं घर का मुखिया हूं इसलिए मुखिया के नाते मुझे ही वोट देना चाहिए, दूसरों को नहीं। गृह-स्वामी को अपने घर का मुखिया होने के नाते वोट देने के लिए न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है। दूसरों को वोट देने का भी अधिकार है।

(विरोध पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

आज के युग में सब को मत देने का अधिकार है, जब कि वह बालिग हो। उन्हें अधिकार है कि मतदान का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग करें। अतः यही होना चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ही हों, जैसा कि असेम्बलीज के लिए होता है। मैं कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव हो तो वह बेलेट पेपर के आधार पर हो, वह मत-पत्र के आधार पर हो। हर एक मतदाता की मतदान की स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहे।

श्री सोहनलाल भटनागर--माननीय मानसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं । जो प्रस्ताव के पक्ष में वक्ता लोग बोले हैं उससे ऐसा प्रतीत होता था कि वे ग्राम पंचायत एक्ट के अन्दर चुनाव के बारे में जो क्लाज रखा गया है मानो वे उसका विरोध कर रहे हैं । तो मेरे निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि जो प्रोविजन इस क्लोज में रखा गया है उसमें कोई गलती नहीं है । अगर कोई गलती हो सकती है तो वह ग्राम पंचायत के उस क्लोज में हो सकती है, उसके नियमों में हो सकती है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ग्राम पंचायत एक्ट को पास किया था । उसके पूर्व कई कोवेनेन्टिंग स्टेट्स में कई प्रकार के कानून थे, उनकी पद्धतियों को हमने देखा और उनका संशोधन करके जो खामियां थीं वे दूर कीं और सदन ने उस एक्ट को पास किया एवं जो न्यायोचित और सुलभ तरीका हो सकता था उसको ग्राम पंचायतों के लिए रखा । इसके पश्चात् मेरे माननीय सदस्यों का यह ओब्जेक्शन नहीं टिक सकता कि वहां चुनाव गलत तरीके से होते हैं ।

मैं दूसरी चीज जो आपको निवेदन करना चाहता हूं वह है डाइरेक्ट चुनाव के बारे में । डाइरेक्ट चुनाव म्युनिसिपैलिटीज और ग्राम पंचायतों का होता है । ग्राम पंचायतें स्वायत्त शासन की प्रमुख सीढी हैं । इसके लिए हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया हुआ है कि वह पंचों का चुनाव करें, म्युनिसिपैलिटीज का महत्वपूर्ण अधिकार और कर्तव्य होता है । उसको भी बालिगमताधिकार पर चुनने के लिए अधिकार दिये हुए हैं । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक बीच की सीढी है । आप खुद ही महसूस करें कि यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस में डाइरेक्ट चुनाव कर दिये जाने का अधिकार दे दिया जाता है तो सरकार और पार्टियों के लिए यह पद्धति कितनी कम्बरसम और खर्चीली होगी । आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि सरकार को कोई खर्चा नहीं होगा, किन्तु मैं आपसे कहूंगा कि पार्टियों का तो खर्चा होगा और जनता को तो परेशानी होगी । अलग अलग इलेक्टररोल्स बनाने पडेंगे, एक एक साल में चुनाव कराने पडेंगे । अतः इस पद्धति को देखते हुए मैं यही निवेदन करूंगा कि इस क्लोज में जो पद्धति रखी गई है वह ही रहनी चाहिए । मानसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका इन शब्दों के साथ मैं विरोध करता हूं ।

श्री गोपीलाल यादव--माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव की पद्धतियों में सबसे उत्तम पद्धति डाइरेक्ट चुनाव की मानी जाती है । अंग्रेजों ने बडी कोशिश इस बात की कि जिस वक्त सेन्ट्रल असेम्बली का चुनाव हो उसको इनडाइरेक्ट कर दिया जाय और दूसरे सूबों की असेम्बलियां सेन्ट्रल असेम्बली को चुने लेकिन हमारे देश के सभी नेताओं ने इसका बडा भारी विरोध किया और यह कह कर किया कि इससे हमारे देश की एकता कभी नहीं बन पावेगी और देश के एक प्रान्त के लोग कभी यह नहीं समझेंगे कि हमारे प्रतिनिधि दिल्ली की असेम्बली में भी हैं और इसलिए उनका विरोध सफल रहा और हमारे यहां पर डाइरेक्ट इलेक्शन की प्रथा आई और हमारे इस चुनाव में भी डाइरेक्ट इलेक्शन रखा गया, असेम्बली और पार्लियामेन्ट दोनों में ।

तब कोई कारण नहीं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव इनडाइरेक्ट किया जावे, यानि पंचायतों के पंचों के जरिये से कराया जावे । सिर्फ एक ही दलील इसके लिए समझ में आ सकती है और अभी मेरे मित्र ने कहा कि सरफा बडा करना पडेगा और दिक्कत भी अधिक हो जावेगी । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन

[श्री गोपीलाल यादव]

करना चाहता हूं कि जिस तरह हमने राजस्थान असेम्बली और पार्लियामेन्ट का चुनाव एक साथ मिला लिया है उसी तरह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और ग्राम पंचायतों का चुनाव भी साथ साथ करालें। जिस तरह वोटर अपना एक वोट असेम्बली के वास्ते देता था एक कोने में तो दूसरी ओर जाकर अपना दूसरा वोट पार्लियामेन्ट के लिए भी दे आता था। इसी तरह जिस वक्त पंचायतों का चुनाव हो तो इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का भी चुनाव हो जाय। एक तरफ पंचायतों के लिए वोटर अपना वोट दे और उसी समय साथ ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पेटी में भी अपना मत डाल दे। इससे हरएक आदमी यह अनुभव करेगा कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी चुनेंगे। पर इससे होना यह है; मान लीजिये कि एक तहसील में या एक डिस्ट्रिक्ट में ३० हजार वोटर्स हैं और वहां पर पांच हजार पंच हैं डिस्ट्रिक्ट में। उनकी कान्स्टीट्यूनसी बना दी गई तो एक डिस्ट्रिक्ट का मेम्बर २५० पंचों द्वारा चुना जावेगा। कोई भी मालदार आदमी २५० पंचों को खरीद सकता है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है; इस तरह इनडाइरेक्ट इलेक्शनों का सबसे बड़ा नुक्स यही है कि वे खरीदे जा सकते हैं।

हमने अभी देखा कि कौंसिल ऑफ स्टेट के चुनावों में यह चीज देखने में आई। पार्टियों ने अपने आदमी नोमीनेट किये वे रह गये, दूसरे आदमी, जिन्होंने पैसा खर्च किया वे आ गये। १७ वोट लेने थे एक एक को; हजार हजार रुपये दिये और १७ वोट ले लिये और कौंसिल ऑफ स्टेट में पहुंच गये। तो जो चीज हमें वहां देखने में मिली उसमें कितना करप्शन मिला। वही चीज हम यहां करने जा रहे हैं। यहां भी वह मालदार आदमी ढाई सौ वोटरों को, एक एक को सौ-सौ रुपया देकर या कुछ को कम-ज्यादा भी दे सकता है, कुछ उसके परिचित मित्र भी निकल सकते हैं और इस तरह से अपना काम निकाल कर वह चुना जा सकता है। तो इस तरह से यह तो करप्शन को बढ़ाने की ही चीज होगी।

आप सीधा (डाइरेक्ट) इलेक्शन करवाइये। इससे कोई मुसीबत नहीं आने वाली है क्योंकि आपको पंचायतों का तो इलेक्शन करना ही है। इसके अलावा इसमें एक नुक्स और होगा। प्रत्यक आदमी करप्शन की तरफ दौड़ेगा। उस वक्त २५० मेम्बर अगर वोट देने वाले हैं तो एक कहेगा हमें तो आधे की ही जरूरत होगी। आधे भी अगर वोट आ जावेंगे तो जीत जावेंगे, यानि सवासौ की ही जरूरत है या इससे एक अधिक, कुल १२६ अपनी मदद के लिए ले सकते हैं। ऐसा होने पर वे कामयाब हो जावेंगे और इन १२६ को ही सौ-सौ रुपया देने की जरूरत होगी और इस तरह से १२६ को खरीद लेना और भी आसान है और इन १२६ पर दबाव भी ऐसा पड़ेगा कि इन पर निगाह भी रहेगी। इसलिये इन सब बातों को देखते हुए आप विचार करिये और विशेष कर आज जागृति के युग में यह नोमिनेशन की पद्धति जो आज संसार में अब कहीं नहीं है सिवाय बैकवर्ड ऐरिया के, जो दुनियां की दूसरी ताकतें हैं, स्वतन्त्र हैं, आजाद हैं जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी है वहां आपको यह पद्धति अब कहीं नहीं मिलेगी। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं। खर्चे से भी घबराने की जरूरत नहीं। असेम्बली के चुनावों में, पार्लियामेन्ट के चुनावों में जो आदमी ३०-३० हजार तक खर्च करके भी नहीं घबराते, वहां जहां कि बहुत से गांव गांव में उन्हें जाना होता था और कई दिनों में वे सब जगह जा पाते थे वहां इस चुनाव में हमें इतना कभी नहीं करना पड़ेगा। एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आप मान लीजिये १३ सौ गांव हैं। उसमें

[श्री गोपीलाल यादव]

एक एक उम्मीदवार के १०-१० गांव हिस्से में आये । इन तीस गांवों में वह पैदल फिर सकता है, सब पदल फिर सकते हैं खर्च की कोई चीज नहीं। हमारे गांवों के लोगों को वोट डालने अधिक से अधिक एक मील की दूरी तक ही जाना होगा और इसके लिए वे समय निकाल कर खुशी खुशी जा पाएंगे। उनको यह दिक्कत नहीं कि जो दिक्कत कि फैक्ट्रियों के मजदूरों को हो सकती है । उनकी फुरसत के समय केवल आप चुनाव कराइये। वे एक मील पैदल चल कर भी वोट डालकर आ सकते है।

इसलिए मैं समझता हू कि जितनी दलीलें इस चुनाव को इनडाइरेक्ट बनाने के लिए दी जा रही हैं वे गलत हैं। देश के सार्वजनिक जीवन को पतित बनाने में सहायक मत बनिये, पवित्र बनाने की तरफ चलिए और यह तभी हो सकता है जब कि प्रत्येक व्यक्ति की निगाह प्रत्येक आदमी पर हो । इन शब्दों के साथ में इस अमेन्डमेन्ट का समर्थन करता हू ।

श्री रामकरण जोशी---इस अमेन्डमेन्ट पर बहुत से विचार प्रकट किये गये। एक बात अभी अभी बताई गई कि कुछ दिक्कतें होंगी, कुछ खर्चा ज्यादा होगा; तो भी करना चाहिये । थोडा मैं भी और जोड दूं कि इसमें समय भी ज्यादा लगेगा ।

जनरल इलेक्शनों से हम सब परिचित हैं और ऐसे जनरल इलेक्शनों में क्या इन्तजामात करने पडते हैं इससे भी सब वाकिफ हैं और इस तरह से किसी भी किस्म के इलेक्शन अगर हम करावेंगे तो समय भी इसके अनुरूप ही हमें लगाना पडेगा। एक तरफ तो हम यह चाहते हैं कि हमें तुरन्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्थापित कर देने चाहियें, उनके चुनाव करा दिये जाने चाहियें और दूसरी और आप यह चाहते हैं कि इस तरह से इलेक्शन के द्वारा उनकी स्थापना की जाय। यह काम इतने समय के अन्दर कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव प्रतीत होता है ।

दूसरी बात यह है कि पंचायत बिल और पंचायत एक्ट जो आपके सामने आये हैं उनको आप लोगों ने गये सैशन में मन्जूर किया और आज चार महीने के बाद हम लोग उसके बारे में यह शंका करते हैं कि, जब कि वह अमल में भी नहीं आया ह कि, उसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जिनके हाथों में हमने यहां की रयुरल पापुलेशन के भाग्य सौंप दिये हैं, जिनको हमने कुछ हद तक जुडीशियल और क्रिमिनल पॉवर्स तक दिये ह वे पंचायत कोर्ट और उन पंचायत कोर्टों के वे पंच इस कदर करप्ट और इस निम्न दर्जे के हो सकते हैं कि जिनका जिक्र अभी किया गया।

श्री प्रयनीकुमार---ओन ए पोइन्ट ओफ इन्फोर्मेशन, सर,

हम यह जानना चाहते हैं कि राजस्थान में बहुत सी जगह जहां पंचायतें पहले कानूनों की मातहत स्थापित की गई हैं उन पर भी पंचायत एक्ट लागू होगा क्या ?

श्री अध्यक्ष---यह आप विलेज पंचायत एक्ट में देख लीजियेगा ।

श्री रामकरण जोशी---मैं समझता हूं कि यह उस समय ही काफी साफ हो गया था जब कि हमने उस पंचायत बिल को मन्जूर किया। उसमें चुनावों की जो पद्धति हमने स्वीकार की थी उसके

[श्री रामकरण जोशी]

अनुसार यदि किसी पंचायत का चुनाव हुआ होगा तब तो वह मानी जा सकती है, अन्यथा जो दूसरे कानून हैं उनके मुताबिक वे चुनाव स्वीकार नहीं किय जा सकते अपना पंचायत विधेयक ऐसा ही कहता है। हमारे पंचायत विधेयक के अनुसार एक पंचायत में ९ से १५ तक पंच हो सकते हैं जब कि दूसरे पंचायतों के विधेयकों के अनुसार २१ से २२ तक भी मेम्बर हो सकते हैं और न मालूम कितने हो सकते हैं। इसके अलावा चुनावों के तरीके भी अलग अलग हैं। तो इसलिए हमने जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया है और हमने जिस तरह के इलेक्शन स्वीकार किये हैं उसके अनुसार जो पूरी चुनी हुई पंचायतें हैं और अगर उनकी अवधि समाप्त नहीं हो गई है तो वे रह सकती हैं। पर अन्यत्र सारे ही पंचायतों के चुनाव करने पड़ेंगे और इसके बाद ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव हो सकेंगे।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, तो फिर ऐसी हालत में ६ महीने की अवधि में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव कैसे होंगे, यह जानना चाहता हूं ?

श्री रामकरण जोशी—पंचायत एक्ट के मुताबिक जो जहां कहीं पहले से था वहां तो जल्दी से जल्दी उस विधेयक के अनुसार पंचायतों के चुनाव हो जावेंगे और जहां नया पंचायत विधेयक लागू होगा वहां देर सम्भव है क्योंकि अभी का पंचायत विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के लिए यहां से बाहर गया हुआ है और उसको गये हुए भी काफी अरसा हो गया है और अभी उधर से वापिस जबतक जल्दी नहीं आवेगा तब तक हम उसके अनुसार कार्यवाही नहीं कर सकते। इसलिए अगर यह बात हो कि चाहे ठीक हो या बेजा हो, केवल आलोचना ही करनी है जैसा कि मेरे एक साथी ने अभी कहा है और आलो-चना की भावना से ही अगर आलोचना की जा रही है तो वह मुझे स्वीकार है।

श्री जवानसिंह—इस तरह की कोई आलोचना नहीं की जाती। हर आलोचना रचनात्मक दृष्टि से की जाती है। आप स्वागत नहीं करते, यह बात दूसरी है।

श्री रामकरण जोशी—रचनात्मक आलोचना को भी स्वीकार करता हूं और इसको भी स्वीकार करता हूं। आज से चार महीने पहले आपने जिस चुनाव प्रणाली को स्वीकार किया और जिसके द्वारा जिन पंचों के हाथ में हम उस क्षेत्र की सारी आबादी के भाग्य को सौंप रहे हैं, जो रात दिन वहां के लोगों के सुख दुःख का ध्यान रक्खेंगे, उनके मुकद्दमें सुनेंगे, उन पर डिग्रियां तक देंगे और फैसले देंगे और जिनकी आपने इतनी बड़ी कलिवर मानी है इस सब के बाद आज आप यह कह रहे हैं कि वे अविश्वसनीय हो सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं, करप्ट हो सकते हैं; तो इसको मैं कान्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट (Contempt of court) से कम बात नहीं समझता हूं।

श्री गोपीलाल यादव—मेरे मित्र अगर हमारी इन बचों पर बैठे होते तो वे भी आज हमारी ही बात बोलते, उनकी भी वही बात होती।

श्री रामकरण जोशी—मैं तो निवेदन कर रहा हूं इस बात को कि हमने पंचायतों का कलिवर कोर्ट के माफिक किया है। हमने उनको एक मजिस्ट्रेट के पॉवर्स दिये हैं, काफी अधिकार दिये हैं।

[श्री रामकरण जोशी]

तो मैं समझता हूं कि इस किस्म की बातें करना कि पंच खरीदे जा सकते हैं, इस तरह से प्रभाव में आकर राय दे सकते हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव की बात तो इस एक्ट के अन्तर्गत नहीं चलने वाली । पंचायती शासन के बारे में फिर हमें विचार करना होगा । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी राय को देते वक्त यह भी ध्यान रखें कि जो कुछ भी बातें हमने की हैं उन पर भी ध्यान रखना चाहियें । इसके अन्तर्गत जहां पंचायतों के चुनाव कराते वक्त कोई भी ऐसी बात हो सकती है जिससे इलेक्शन सेट असाइड (set-asi e) हो जाते हैं, इलेक्शन नामन्जूर किये जाते हैं, इसी प्रकार कितनों के इलेक्शन सेट असाइड होगये और कितनों के होने बाकी हैं; इस प्रकार की बातें हम रात दिन देखते हैं । किन्तु अगर हम यह समझ लें कि ये इलेक्शन इस तरह के हो जायेंगे तो उन्हें सेट असाइड करना पड़ेगा । अगर यह इलेक्शन प्रणाली गलत है तो इससे हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए ताकि कोई लूप होल न रह सके। लेकिन जहां तक इन पंचायतों के चुनाव का ताल्लुक है कहीं गलतियां बरती जाती हैं,कहीं पक्षपात बरता जाता है,वह नहीं होना चाहिये; उसकी कोई ताईद नहीं कर सकता । लेकिन जब उनमें इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं तो यह मान कर कि इस एक्ट को मन्जूर नहीं किया जाय, यह ठीक नहीं है । इस तरह का शक करना अपने खुद में शक करना है । निवेदन करने का मेरा मतलब यह है कि समस्त पंचायतें अपने अपने समस्त क्षेत्र के प्रति जिम्मेवार हैं और जब उस क्षेत्र के जवाबदार आदमी यानि पंच जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरों का चुनाव करेंगे तो यह माना जायगा कि उन पंचों के होने के नाते वे अपने क्षेत्र के नुमायन्दे माने जाते हैं और उस क्षेत्र की राय उनमें सन्निहित होती है, उनका डे टू डे बिजनेस (day to day business) ऐसा होता है कि जो बहुत सार गर्भित है और गंभीर है, उसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहती है । यह जो प्रणाली रखने की बात कर रहे हैं उसको हमने स्वीकार किया है । अगर हम यह मानकर चलें कि उसमें ज्यादा खर्चा होने की संभावना है, ज्यादा दिक्कतें या तकलीफें होती हैं क्योंकि हम सब इसके मुक्त भोगी हैं; इस तरह के चुनावों को मान्य करने में समय ज्यादा लगता है जो पाबन्दी छः महीने की लगाई गई है उसको स्वीकार करलें; इसकी प्रेक्टीकेबिलिटी को मद्दे नजर रखते हुए विचार रखें ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—अवधि को बढा देने से क्या आप डाइरेक्ट चुनाव के लिए तैयार हो जायेंगे ?

श्री रामकरण जोशी—हम लोग इस तरह की राय रख सकते हैं किन्तु ऐसा करने से एक राय जो हमने पहले मन्जूर की है उस पर इसका क्या असर होगा ? इससे पता चलेगा कि हम लोगों के विचारों में कितना अस्थायित्व है । इस तरीके से सोच कर हमें बातें रखनी चाहियें ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—अवधि के बढा देने से क्या आप इसको मन्जूर कर सकते हैं ।

श्री रामकरण जोशी—अगर सदन किसी चीज की मन्जूरी देता है तो कौन राजस्थान में है जो उससे इन्कार कर सके ?

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—आप इस विषय में क्या राय रखते हैं हम जानना चाहते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—मैंने यह निवेदन किया कि जब सदन किसी बात को स्वीकार करेगा तो मुझे वह कैसे अमान्य हो सकती है।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्षजी, अभी मैंने स्वायत्त शासन मंत्री की बौखलाहट को सुना। वे घबरा गये। हमने एक बडा महत्वपूर्ण और बडा उचित अमेन्डमेन्ट रखा और हम जानते हैं कि जब कोई आदमी अन्याय पर उतारू हो जाता है तो उसे मजबूरन बौखलाना पडता है। मेरे मित्रों के छोटे-मोटे सवालों तक का वे जवाब नहीं दे सके। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी जो यह मांग है कितनी उचित है। इस क्लॉज के अन्दर जो हमारा अमेन्डमेन्ट है वह बडा न्यायानुकूल है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इस सदन को बता देना चाहता हूं कि मैंने जो स्वायत्त शासन विभाग के ऊपर ग्राम पंचायतों के बारे में आरोप लगाये उनके बारे में स्वायत्त शासन मंत्री बिल्कुल मौन रहे। इससे भी यह साबित होता है कि उनके विभाग कितने दूषित और कलुषित हैं, उनके विभागों में कितना पक्षपात पूर्ण कार्य हो रहा है। इन बातों को मद्दे नजर रखते हुए..........

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—मैं आपकी गालियों का जवाब नहीं देना चाहता।

श्री मानसिंह महार—आप मेरी बातों को गालियां समझ जाइये, किन्तु मैं तो आपके लिए हीरों का हार पिरो कर बना रहा हूं।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—जैसे आपके पास हीरे होंगे वैसे ही आप पिरो रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—(अपना भाषण जारी रखते हुए) जनता भी आपके लिए यही हार तैयार कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि जयपुर की जनता उनके लिए जो हार उपहार में देने के लिए तैयार कर रही है वह, मेरी जरा चलने-फिरने की हालत हो जाय तो उस उपहार को मैं दे सकूं।

माननीय सदस्य—आप एक-दो मील चलने लायक तो हो जाइये।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है.........

श्री रामकरण जोशी—माननीय सदस्य को ऐसी बातें कहने से पूर्व अपनी जिम्मेदारी को अनुभव करना चाहिये।

श्री मानसिंह महार—मैं अपनी जिम्मेदारी को अनुभव करके ही कह रहा हूं कि जयपुर की जनता हार पहनाने में हर्गिज नहीं चूकेगी।

श्री रामकरण जोशी—जयपुर की जनता इतनी बेवकूफ नहीं कि वह इस तरह का कार्य कर सके।

श्री मानसिंह महार--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है......

श्री मोतीराम--"बेवकूफ" जो शब्द कहा गया है क्या यह पार्लियामेन्टरी भाषा है. नहीं तो इसका जवाब दिया जाय।

श्री रामकरण जोशी--मैंने कहा कि जयपुर की जनता इतनी बेवकूफ नहीं कि वह ऐसा कार्य करेगी।

श्री मानसिंह महार--उपाध्यक्ष जी. मैंने "बेवकूफ" शब्द का प्रयोग ही नहीं किया।

श्री रामकरण जोशी--माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा यह निवेदन है कि जितने सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया उन सब की भाषा का सौष्ठव और उनकी भाषा इस सदन की प्रतिष्ठा के लायक थी, किन्तु आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया वह इस सदन की प्रतिष्ठा और मर्यादा के योग्य नहीं है।

श्री मानसिंह महार--माननीय उपाध्यक्ष, जैसा कि स्वायत्त शासन मंत्री ने फरमाया कि वे मेरी गालियों का जवाब देना नहीं चाहते। मेरे शब्दों के लिए जो "गालियां" शब्द का प्रयोग किया है मैं इसको अपना अपमान समझता हूं और माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे अपने इन शब्दों को वापस लें।

(विराम)

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस एक्ट का जो क्लॉज १० है उस सम्बन्ध में निवेदन करूं कि हमारी बातों का जवाब नहीं मिले, लेकिन मेरे उधर (सरकारी पक्ष) के मित्रों ने यह फरमाया कि अगर डाइरेक्ट इलेक्शन किया जायगा तो खर्च बहुत होगा। अभी मंत्री महोदय ने फरमाया कि ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र गोपीलाल जी यादव ने जिस प्रकार से कहा कि अगर ग्राम पंचायतों के चुनाव के साथ साथ ही आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव कर लें तो आपको न ज्यादा खर्च होगा और न आपका समय ही व्यर्थ जायगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के चुनाव होने में भी ज्यादा न्याय होने की उम्मीद रहेगी (करतल ध्वनि) क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर स्वायत्त शासन मंत्री को चेलेन्ज (challenge) देकर कहता हूं कि उदयपुर डिवीजन में, बीकानेर डिवीजन में जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए हैं वह अन्याय पूर्ण हुये हैं।

श्री मोहनलाल भटनागर-- s h replying moving a motion !

श्री उपाध्यक्ष--He should confine himself to the main point.

श्री मानसिंह महार--आज अन्यायपूर्ण हो रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, उपाध्य महोदय, और मैं "राइट आफ रिप्लाई" (right of reply) का हकदार हूं।

श्री उपाध्यक्ष--जो नये पॉइन्ट्स रेज (raise) किये हैं उनको रिप्लाईज दें। कोई नये आर्ग्यमेन्टस (arguments) नहीं होने चाहिये।

श्री मानसिंह महार—मैं नये पॉइन्ट्स का ही जवाब दे रहा हूं । उदयपुर के........

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—जो यह कहा गया है कि पंचायतों के चुनाव के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव कर लिये जायं तो यह तरीका अख्तियार करने की बात है । पंचायतों के चुनाव के तरीके का खयाल होना चाहिये कि वे किस तरह से होंगे और यह चुनाव कैसे होने चाहियें ।

श्री मानसिंह महार—जिस प्रकार कि पंचायतों के चुनाव हाथ ऊंचे करके जो लोग करेंगे वही पद के पीछे एक बॉक्स में बेलेट पेपर (ballot paper) डाल सकते हैं । वह काफी आसान है, हम समझते हैं । इन बातों से यदि स्वायत्त शासन मंत्री अनभिज्ञ हों तो इनको समझना चाहिये । मैं तो यह समझता हूं कि अगर इस प्रकार से करना, अगर वह इस बातको नहीं समझते हैं तो हमसे सहयोग लें । हम आपको चुनाव कराकर बता देंगे कि किस आसानी से यह चुनाव होते हैं । इसके अलावा अगर यह काम हमारे जिम्मे कर दिया जाय तो हम तीन महीनों में सारे राजस्थान की ग्राम पंचायतों का और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव कराकर बता देंगे । तब तो आप मानियेगा कि जो कुछ हम कहते थे वह ठीक था, नहीं तो इस सदन के सामने आज जिस प्रकार हम आपको कह रहे हैं उसी प्रकार आप हमको कहियेगा और हम नीचा मुंह कर लेंगे । यह शब्द कह कर मैं सदन से अपील करूंगा कि इस छोटे से अमेन्डमेन्ट को, इस सैद्धान्तिक अमेन्डमेन्ट को सर्वसम्मति से पास किया जाय तथा न्यायोचित बात के लिये आप पार्टी की परवाह न कीजिये, आप न्याय के सामने अन्याय को जगह मत दीजिये, आपको आगे जनता में जाकर जवाब देना है । अगर इस प्रकार बात बात में आप पार्टी व्हिप (party whip) से डर जायेंगे तो जनता आपको अगले चुनाव में ठुकरा देगी, यह ध्यान रखियेगा । यह चन्द बातें कह कर मेरे सब दोस्तों से, इस पक्षवाले (विरोधी पक्ष) जो तो मेरे पक्ष में हैं, लेकिन उस पक्ष वाले (सरकारी पक्ष) और खास तौर से हमारे माननीय मुख्य मंत्री से, क्योंकि वे बड़े योग्य राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए अपने आयन्दा भविष्य के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में सोच करें और मेरे इस उचित एमेन्टमेन्ड का सपोर्ट (support) करें । मैं यह नम्र निवेदन उस पक्ष (सरकारी) वालों से करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष—The question is that the amendment moved by Shri Man Singh be accepted.

(अस्वीकृत एवं सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

संशोधन गिर गया ।

एक आवाज—Wonderful victory.

श्री उपाध्यक्ष—I take Clause 11 as moved.

रामकरण जोशी—What about clause 10 ?

श्री अवनीकुमार—Clause 10 has not been accepted.

श्री उपाध्यक्ष—The question is that Clause 10 be accepted.

[श्री उपाध्यक्ष]

(स्वीकृत)

Clause 10 is added to the Bill.

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

खण्ड ११

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मैं अपना संशोधन सदन के सामने रक्खूं मैं इस क्लॉज को पढ़कर सुनाता हूं।

"Clause 11 :—*Nomination by Government* (1) The State Government shall in the prescribed manner nominate one or more members from the area where Village Panchayats do not exist on percentage basis of the total population of the district.

(2) Such nominated members shall be deemed to be elect d members for the purpose of clause (*a*) of sub-section (2) of section 6 and shall hold office till elected members are returned from such area or till the expiry of the term of the Board, whichever is earlier."

उसमें मैंने अपना संशोधन रखा है इस क्लॉज (clause) को डिलीट करने के बारे में।

आज जब से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल के बारे में इस सदन में विचार चल रहा है तो इस सारे सदन का यह मत हो रहा है कि सरकार को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाय कि जिन अधिकारों का दुरुपयोग करके सरकार अपने आदमियों को नॉमीनेट करदे। अभी हमने इससे पहले एक क्लॉज पास किया है: क्लॉज ८, जिसके अन्दर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा है:

"The Committee feel that the number of members to be co-opted should not be left to be determined by the Government but it should rest entirely with the Boards. The clause has been amended accordingly."

उस सिलेक्ट कमेटी ने, जिसके हमारे माननीय मंत्री उपाध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात को विचारा है कि सरकार के पास इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि जिन अधिकारों के जरिये वह अपने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकेगी। इधर हम क्लॉज ८ में सरकार को इस प्रकार का अधिकार नहीं दे सकते कि वह सदस्यों की संख्या निर्धारित करे, लेकिन यहां उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य नॉमिनेट करने के अधिकार दे रहे हैं। जब कि हम एक जगह उस चीज को मन्जूर नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरी जगह उसको मन्जूर करने का सवाल ही नहीं उठता है। सरकार चाहे तो दुरुपयोग कर ले। तो फिर ऐसी सूरत में नॉमिनेशन का अधिकार क्यों दें, यह रहस्यमय चीज है, सोचने की चीज है। सरकार दुरुपयोग कर सकती है, यह देखने की बात है।

दूसरी बात यह है एक क्लॉज में उन्होंने यह लिखा है कि सरकार नॉमिनेट क्यों करे? उसका कारण उन्होंने यह दिया है कि जिस एरिया में पंचायत नहीं है, चूंकि जो पंचायती क्षेत्र हैं, उनको ही वोट

[श्री भैरूसिंह],

देने का अधिकार है और वही प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भेज सकते हैं; तो ऐसी जगहों के आदमी को वह नॉमिनेट कर सकते हैं। ऐसी जगहों को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया, उसमें क्या रहस्य है? वे क्यों नहीं दे देते हैं यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को और सरकार बिल्कुल दूर रहे ? जब कि एक अधिकार कोऑप्शन (C - ptı n) का दिया है तो वह अधिकार नॉमिनेशन का भी दे दे। उस दृष्टि से यह लिखना बिल्कुल गलत मैं मानता हूं।

दूसरा यह कि सरकार क्यों यह मानकर चलती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन के वक्त तक पंचायतों का इलेक्शन नहीं हो जायगा। इस चीज को मानना महज इस बात की दलील है कि सरकार किसी क्षेत्र में पंचायतों का इलेक्शन नहीं करायेगी। जिस क्षेत्र से सरकार और उसकी पार्टी के सदस्य नहीं आ सकते हैं, उनकी पार्टी के प्रति जनता का कोई विश्वास नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में जहां तक मैं समझता हूं जानबूझकर सरकार चुनाव में विलम्ब करेगी और इस विलम्ब से फायदा इस तरह से उठाया जायेगा कि चूंकि इन क्षेत्रों में पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ है इसलिये हम मनोनीत करेंगे और इस धारा के अनुसार यह उचित है कि हम एक प्रतिनिधि मनोनीत करेंगे। मैं समझता हूं कि एक तरफ तो हम छोटा अधिकार लेते हैं और दूसरी तरफ हम बड़ा अधिकार दे देते हैं, यह ठीक नहीं है। यदि पंचायतों के इलेक्शन ही काफी अरसे तक नहीं करावें तो आप क्या कर सकते हैं ? अभी हमने क्लॉज १० पास किया है। उसमें जो डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट चुनावों की बात आई थी उसको मंत्री जी ने नहीं माना। जिस समय हमने पंचायत बिल पास किया था उस समय जो बातें हुई थीं उनको शायद मंत्री महोदय इतनी जल्दी ही भूल गये हैं। उसमें क्लॉज ८ और ९ पास किये थे। उस समय यह कहा गया था कि जनता का जो अंग शिक्षित नहीं है उनके नुमायन्दे नॉमिनेट किये जायेंगे सरकार द्वारा; जैसे शिड्यूल कास्ट और स्त्री वर्ग के नुमायन्दे सरकार द्वारा नॉमिनेट किये जायेंगे और ये जो नॉमिनेटेड आदमी होंगे वे इन्हीं लोगों की हां में हां मिलाने वाले होंगे और सरकार का पक्ष मजबूत होता जायगा। सरकार की अंडर ग्राउन्ड पोलिसी यह है कि इस तरीके से दूसरी पार्टी के यदि कोई सदस्य हों तो उनके बहुमत को खत्म करना, ऐसा करने से उनकी पार्टी को प्रोत्साहन मिलता है। यदि सरकार इस तरह की हरकतें करती है तो फिर उसके लिये कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है; नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपने अन्धाधुन्ध समर्थकों को नॉमिनेट करदे और जो कुछ भी उनसे कराना चाहे करवाले। यदि वे यह कहते हैं कि हम प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के अनुकूल चलते हैं तो मैं कहूंगा कि उनको चाहिये कि वे छोड दें रागद्वेष को और छोड दें उन बातों को जिनका विरोध करने को हम हर समय तैयार रहते हैं। वे अकामोडेटिंग नेचर (accomm dati g nature) के बने ऐसे काम करें जिससे जनता का भला हो। सरकार के पास ऐसे अधिकार हैं जिनसे वह मनमाने तरीके से नादिरशाही कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक मामूली संस्था नहीं है। वह एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर ग्रामीणों की शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाएें निर्भर रहती हैं। वह एक ऐसी संस्था है जिसको जनता अपनी कमाई में से टेक्स आदि देकर पालती-पोसती है। जिस जनता की रकम से ये संस्थाएं चलेंगी यदि उसी जनता के सच्चे नुमायन्दे उसमें नहीं हैं तो वह जनता की प्रतिनिधि बोडी नहीं कहलाई जा सकती।

श्री भैरुंसिंह]

आज यहां पर राजस्थान सरकार के सरकारी दल और विरोधी दल में मामूली डिफरेन्स है, ७-८ के डिफरेन्स से वह सरकार चल रही है। जो सरकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं है वह हमसे बढ़ कर जनता की नुमायन्दगी नहीं कर रही है। आम चुनावों में हमारी ५–७ सीट्स कम आई हैं, पर हमारे फेवर में वोट देने वाली जनता का पर्सेंटेज कांग्रेस से कहीं अधिक है। जनता, विरोधी दल के साथ में, कांग्रेस दल से, बहुत अधिक है।

श्री गोपीलाल यादव—इसे विरोधी दल न कह कर भावी गवर्नमेन्ट दल कहें तो अच्छा हो।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—भावी सरकारी दल में वक्ता महोदय का भी स्थान है या नहीं ?

एक सदस्य—यह हमारे देखने की चीज है।

श्री मानसिंह महार (जमुआ रामगढ)—हम स्थानों के लिये आपस में लडते नहीं हैं।

श्री भैरुंसिंह (भाषण जारी रखते हुए)—जनता की भावना को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचाना और उसकी आत्मा को किसी प्रकार से दुःखी न करके जनता की आवाज को बुलन्द करना हमारा फर्ज है। सीकर के जिला बोर्ड में ऐसे आदमी नामिनेट कर दिये गये हैं जो कुछ नहीं जानते। २२ सदस्यों में से १७ तो ऐसे हैं जो कुछ पढे लिखे नहीं हैं और सिवाय हाथ ऊंचा करने के कुछ नहीं कर सकते। उस क्षेत्र में सेठ-साहूकारों और जागीरदारों के सहयोग से शिक्षा का इतना प्रचार है कि वहां घर घर में ग्रेज्युएट, लाग्रेज्युएट मिलते हैं, किन्तु उनकी पढाई की कोई कदर नहीं की गई और ऐसे प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भेजे हैं जो केवल अंगुस्त का निशान ही कर सकते हैं या अंगुस्त विद्यालय के स्टूडेन्ट्स हैं। ऐसे आदमियों को उस बोर्ड में यह दिखाने के लिये भेजा कि इस क्षेत्र की जनता पढी लिखी नहीं है। यही हालत पंचायतों की है। यदि इस तरह का रवैया सरकार का रहा तो दो तीन वर्षों में जाकर चुनाव होंगे। एक डिस्ट्रिक्ट की कॉंस्टीट्युएन्सीज में पहले चुनाव किया जायगा और फिर दूसरी में किया जायगा और तब फिर तीसरी में किया जायगा और इस बीच में ६ महीने खत्म हो जायेंगे और फिर कहेंगे कि क्योंकि काम खत्म नहीं हो सकता इसलिए हम नामिनेट करेंगे। सरकार ने पिछले दिनों म्युनिसिपेलिटीज में जो नॉमिनेशन्स किये हैं उसमें हमें बता दिया है कि वे किस तरह के आदमियों को नॉमिनेट करते हैं और उनके नामिनेशनन्स में किस तरह की भावना निहित होती है। वे अपनी पार्टी को मजबूत करने और अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिये नॉमिनेशन्स करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ स्वार्थवश आकर्षित हों। इस तरह की भावना से वे नोमिनेट करते हैं। यह भावना जनतन्त्रवाद को पनपाने वाली नहीं है। यदि ऐसा करते रहेंगे तो यह सरकार अधिक दिन तक चलने वाली नहीं है और जो आयन्दा पीढ़ियें आयेंगी वे विरोधी दल को कोसेंगी कि विरोधी दल के रहते हुए इन लोगों को मनमानी क्यों करने दी गई ? प्रजातंत्र के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए, जनता को किस तरह राहत मिले, सुख मिले, इसका विचार करते हुए गंभीर विचार के बाद यह संशोधन रखा गया है। आशा है इसे स्वीकार किया जायगा।

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय भैरूंसिंहजी ने जो एमेन्डमेन्ट का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। प्रजातन्त्रवाद के सिद्धान्तों से भिन्न आचरण करना बुरी बात है। नोमिनेशन का सिद्धान्त रखना प्रजातन्त्रवाद के नाम पर एक कलंक सा है। हो सकता है कि हमारी सरकार इतनी ईमानदार और इतनी नेकचलन हो कि वह नोमिनेशन के सिद्धान्तों द्वारा यह जो अधिकार दिये जाते हैं उनका दुरुपयोग न करे। लेकिन जो घटनायें हमारे सामने आज तक ५-६ वर्षों से घटित हो रही हैं और इस सरकार ने जिस प्रकार रवैया रखा है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसका सदुपयोग कभी नहीं होगा, बल्कि हमेशा इसका दुरुपयोग ही किया गया है और किया जायगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या वे बतायेंगे कि क्या वे जानते हैं कि जितने भी नोमिनेटेड व्यक्ति टाउन म्युनिसिपेलिटीज में और पंचायतों में हैं, जो उन्होंने नोमिनेट किये हैं वे जनता के प्रतिनिधि हैं? क्या वे जानते हैं कि वे हैं भी कौन? बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विषय में सरकार के कोई मेम्बर या मिनिस्टर कुछ भी नहीं जानते होंगे। बहुत संभव है कि उस ओर बैठा हुआ एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो बहुत से ऐसे नोमिनेटेड मेम्बर्स को जानता हो। दरअसल में होता यह है कि यदि स्थानीय कांग्रेस कमेटी से किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्त्री के विषय में सिफारिश आ जाती है तो उसे बिल्कुल उसी रूप में आंख बन्द करके मंत्री महोदय मान लेते हैं। नतीजा यह होता है कि सब जगहों पर सत्तारूढ़ दल के लोग आकर अपना अधिकार जमा लेते हैं। यदि इस प्रकार से अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया गया तो इसमें शक नहीं कि असन्तोष बढ़ेगा और वह इस प्रकार होगा कि आज मंत्री महोदय के सामने की कुर्सियें खाली दिखती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आयगा जब मंत्री महोदय के पीछे की कुर्सियें भी खाली मिलेंगी। नोमिनेशन उस समय किया जाना चाहिए जब किसी पंचायत क्षेत्र से किसी वर्ग विशेष के रिप्रेजेन्टेटिव को स्थान नहीं मिलता है तो जनहित और सुविधा का ध्यान रखते हुए सही तरीके से उस वर्ग के रिप्रेजेन्टेटिव को नोमिनेट किया जा सकता है। हो सकता है कि आप नोमिनेशन बहुत ऊंचे और अच्छे ढंग से करें। फिर भी यह समझ में नहीं आता कि स्वायत्त शासन विभाग हम पर ऐसा करके एक प्रकार का कोर्ट ऑफ वार्ड्स का काम क्यों कर रही है? जिन स्थानों पर जनता अपने प्रतिनिधि नहीं भेज सकती है वहां पर सरकार अपने नोमिनी (प्रतिनिधि) क्यों भेजना चाहती है?

इसके अलावा पंचायत बिल जो इसी सदन में पास किया गया था उसके चुनावों में और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों के चुनावों में बड़ा अन्तर है। पंचायत एक्ट जिस एरिया में, जो तारीख उसके लागू होने की मुकर्रर होगी, उसके अनुसार लागू होगा और उसी आधार पर पंचायतों की स्थापना होगी और पंचायती राज्य प्रारम्भ होगा। जहां यह कानून लागू होगा वहां पर पंचायतों का स्थापित होना लाजमी होगा। मगर फिर भी ऐसे भी कई स्थान होंगे जहां सरकार के इस कानून का उपयोग करने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर दी जावे जिससे सरकार अपने इन अधिकारों को प्रयोग में ला सके। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि पंचायत एक्ट में यदि पंचायतें शुरू करने का प्रोविजन सारे स्थानों पर एक साथ हो तो फिर कोई भी ऐसा स्थान नहीं रहेगा जहां सरकार को इस अधिकार का उपयोग करने का मौका मिलेगा। पंचायत बिल अभी पास किया है तथा और भी कई बिल ऐसे, न जाने कितने बिल हमारे सामने आवेंगे जिसमें सरकार

[श्री तनसिंह]

को नोमिनेशन द्वारा किसी व्यक्ति को मुकर्रर करने की जरूरत होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान की सरकार किस हद तक और किस समय तक नोमिनेशन करना उचित समझेगी और कब अपनी पंचायतों को इस योग्य समझेगी कि वे अपने प्रतिनिधि को ठीक तरह चुन सकें। हमें कब तक राजस्थान सरकार के आधीन अपने इस प्रकार के अधिकारों को रखना होगा ? हो सकता है कि किसी स्थान पर जहां पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ हो प्रतिनिधि नहीं जा सकते। यदि वहां कि सीट खाली रहे तो सरकार को क्या हर्ज है ? दो महीने बाद पंचायत के पंच अपने प्रतिनिधि को चुन कर भेज देंगे। यदि इस प्रकार का कोई प्रोविजन रख देते हैं तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन सरकार के हाथ में इस प्रकार के अधिकारों को देना, अभी तक की घटनाएँ बता रही है कि खतरे से खाली नहीं हैं। इसमें बहुत बड़ा खतरा दमन का नहीं है, इसमें जनता के अधिकारों के हनन का खतरा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर बहुत ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे।

रावत श्री शंभुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री भैरूंसिंहजी के संशोधन पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी और न मैं उस पर बोलने की आवश्यकता ही समझता था। परन्तु जब हमने देखा कि १० नम्बर के क्लॉज पर जो संशोधन हुआ था वह नामंजूर हो गया तब इस पर बोलना मेरे लिये लाजमी हो गया है। यह बहुत अच्छी बात होती, यदि १० क्लॉज के संशोधन को मान लिया जाता और डाइरेक्ट इलेक्शन को मंजूर कर लिया जाता जिससे कि जहां पंचायतें नहीं हैं वहां पर इलेक्शन कानून के अनुसार चुनाव हो जायं और नोमीनेशन का प्रपंच खत्म हो जाये। लेकिन जब हमने देखा कि बहुमत के एक झोंके में वह बह गया है तो इस प्रस्ताव पर बोलना आवश्यक हो गया है। इस प्रस्ताव के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी प्रकाश डाला है।

जब हमने देखा कि सरकार डाइरेक्ट इलेक्शन की बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो नोमीनेशन इस बीसवीं सदी में रहने वाले नागरिकों के लिये लागू करना कोई शोभनीय चीज नहीं है। हम इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नोमिनेशन से इलेक्शन हो। अतः, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत हाउस से निवेदन करूंगा कि यदि आप नोमिनेशन के जरिये चुनाव को नहीं मानें तो इससे हमारे हाउस की शोभा ही बढ़ेगी। इसमें हमारे विरोधी पक्ष के मित्र यह आपत्ति उठा सकते हैं कि जब तक पंचायतों का चुनाव नहीं होगा तब फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव कैसे होगा, जब हम डाइरेक्ट इलेक्शन नहीं करें और नोमिनेशन द्वारा हम चुनाव की इजाजत नहीं दें ? इसके लिये कोई न कोई दूसरा इलाज ढूंढना ही पड़ेगा और इलाज ढूंढना चाहिये। इसके लिये मैंने पहले ही विचार कर लिया था कि अगर यह प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ तो मैं एक एन्टी रेमेडी रख दूं। यह सोच कर मैंने १४ नम्बर पर एक संशोधन रखा है वह जल्दी ही आपके सामने आ जावेगा और उसके मुताबिक कोई भी आफत आवेगी वह भी टल जावेगी। इसलिये मैं नम्रता से माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं कि इसको एक मत से पास करें।

श्री तेजमल बापना १४९ ––उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ११ पर जो विचार सदन में प्रस्तुत हुए हैं मैंने उनको सुना है। उससे ऐसा मालूम होता है कि मानों गवर्नमेण्ट किसी बात के लिये विश्वासपात्र नहीं है। माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने अपने विचार इस विषय पर व्यक्त किये हैं वे यदि क्लॉज को गौर से पढ़ते तो उनको मालूम हो जाता दरअसल कोई ऐसी परिपाटी नहीं है कि गवर्नमेण्ट हर समय नोमीनेट करती रहे। यह जो बात इस क्लॉज में रखी गई है वह सिर्फ एक सेविंग क्लॉज के तौर पर रखी गई है कि जिन क्षेत्रों में किसी भी वजह से, चाहे वहां पर इलेक्टररोल्स तैयार नहीं हुए हों या कोई दूसरी वजह हो, चुनाव रद्द हो गये हों या जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनने वाले हों, वहां इस प्रकार की दो चार पंचायतें रह गई हो, वहां चुनाव में काफी समय लग जाता है, ऐसी हालत में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव नहीं रुकना चाहिये और वहां पर नोमिनेशन से सदस्य भेज दिये जावें। यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव उस कारण से नहीं करेंगे तो विरोधी पक्ष के लोग कहेंगे कि सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों में जान-बूझ कर देर कर रही है और जल्दी करना नहीं चाहती। इसलिये यह नोमीनेशन का प्रश्न है। ये भी उस क्षेत्र की पंचायतों के लिये हैं जहां कुछ समय के लिये ये चुनाव होकर न आवें। इसलिये ऐसी सूरत में गवर्नमेन्ट को यह अधिकार हो कि वह पोपुलेशन बेसिस पर कुछ व्यक्ति नामजद करदे। सिलेक्ट कमेटी ने इस बात पर अपनी रिपोर्ट दी है और अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट बताया है कि ये अधिकार गवर्नमेण्ट को टेम्पोरेरी अधिकार हैं और बहुत शीघ्र ही वहां चुनाव कर दिये जावें और ज्योंही चुने हुए व्यक्ति आवें सरकार की तरफ से नोमिनेटेड व्यक्ति विदड्रा हो जावेंगे। ऐसी सूरत में सिलेक्ट कमेटी ने इशारा किया है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कर लिये जावें। मैं समझता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार जनतन्त्रवाद का हनन नहीं हो रहा है और न हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है।

प्रजातन्त्र के आधार पर, जनतन्त्र के आधार पर ही नया पंचायत बिल हमने इस सदन में पास किया है। चुनाव की जो पद्धति होनी चाहिये वह हमने कायम की है और उसी के आधार पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का बिल कन्सीड्रेशन (विचारार्थ) के लिये हमारे सामने है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौनसी इसमें आपत्ति की बात है? सेविंग क्लॉज के आधार पर गवर्नमेण्ट को अधिकार दिये गये हैं। ये तो सीमित अधिकार हैं और वे भी लिमिटेड समय के लिये। मैं यह कह सकता हूं कि केवल क्रिटिसिज्म के तौर पर ही इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आवश्यकता को महसूस करके भाव व्यक्त नहीं किये जा रहे हैं। इसलिये जो डर है कि गवर्नमेण्ट यह कर देगी, वह कर देगी, यह हो जायगा, यह हो जायगा, उदयपुर डिविजन में यह हो रहा है–वह हो रहा है, केवल भ्रम है। मैं नहीं मानता कि इसमें कितना तथ्य है। यह तो केवल वहम है और उसके लिये कोई दवा नहीं। केवल निर्धारित समय के लिये और छोटे से क्षेत्र के लिये सेविंग क्लॉज रखा है जिसके लिये डरने की कोई बात नहीं है। आज हम प्रजातन्त्र के युग में हैं और इस पद्धति को मानते हैं कि मतदान निःसंकोच होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि कई व्यक्ति गलत तरीके से पंचायतों पर कब्जा करना चाहते हैं और हमें इसका विरोध है। इस प्रकार का तरीका किसी को न दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आज ऐसा समय है जहां डेमोक्रेसी रखना जरूरी हो जाता है। अतः मैं यही निवेदन करूंगा कि यह सिलेक्ट कमेटी से रेकर किया हुआ है और इसको पास किया जाना चाहिये।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु––मैं चाहता हूं कि इस पर विचार करने के लिये इसको कल के लिये छोड़ दिया जाय।

श्री हरिदेव जोशी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब इस क्लॉज पर काफी चर्चा हो चुकी है लेकिन जहां तक श्री भैरूंसिंहजी के संशोधन का सवाल है मैं उस संशोधन का विरोध करना चाहता हूं। वह इसलिये कि श्री भैरूंसिंहजी ने जिस ढंग से इस संशोधन को रखा है वह दरसअल इस क्लॉज के बारे में नहीं, उन्होंने केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की दृष्टि से रखा है। वह इसलिये नहीं रखा गया है कि इस क्लॉज के बारे में ऐसा तथ्य है जिसके कारण उसको डिलिट (निरस्त) कर देना चाहिये। वास्तव में तो वे यह कहते हैं कि अगर इस क्लॉज को रखा जायगा और स्वीकार कर लिया जायगा तो गवर्नमेण्ट ऐसा काम करेगी जिसको वे उचित नहीं समझते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूं और मानना ही चाहिए कि प्रजातन्त्र के आधार पर, प्रजातन्त्र प्रणाली के आधार पर सरकार चुनी जाती है और वही शासन व्यवस्था के लिए जिम्मेवार मानी जाती है। मैं मानता हूं कि सरकार जो काम कर रही है उसको उसी ढंग से काम करने देना चाहिए जिस ढंग से कि वह उचित समझती है। अगर कोई गम्भीर बात हो तो उसके लिए असेम्बली है और वह उस पर विचार कर सकती है; किन्तु यह कहना नितान्त अशोभनीय है कि सरकार ऐसा काम कर देगी, वैसा काम करेगी और उससे प्रजातन्त्र प्रणाली का हनन होगा। मैं कह देना चाहता हूं कि सरकार प्रजातन्त्र प्रणाली की रक्षा करने के लिए है, न कि उसके हनन करने के लिए। अगर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति को नोमिनेट करने का सवाल है तो वह प्रजातान्त्रिक प्रणाली के खिलाफ नहीं है। जब संविधान के अनुसार किसी सरकार को शासन चलाने के अधिकार दिए जाते हैं तो सरकार अपने दृष्टिकोण के अनुकूल कार्य करती है। हम सरकार को अधिकार देते हैं कि वह किस जगह किस व्यक्ति को नोमिनेट करेगी। सरकार अपने किसी दृष्टिकोण के अनुकूल ही नोमिनेट करेगी, न कि किसी प्रतिकूल दृष्टिकोण से नोमिनेट करेगी। सरकार यह सोचेगी कि अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति अनुकूल है और वह उस व्यक्ति को वहां पर नोमिनेट करेगी। यह पूछने के लिए सरकार हर्गिज नहीं जायगी उन लोगों से जो कि उससे प्रतिकूल दृष्टिकोण रखते हैं और जो उसके विरोध में काम करना चाहते हैं कि किस व्यक्ति को नोमिनेट किया जाय अथवा सरकार उनके आदमी को नोमिनेट करके यह उदारता भी नहीं बतायगी।

(विरोधी पक्ष द्वारा 'शेम, शेम,)

सरकार हर्गिज यह पसन्द नहीं करेगी कि उससे प्रतिकूल दृष्टिकोण वाले अन्दर जाकर उसको सेबोटेज करे, प्रजातन्त्र का गला घोंटे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह देखता हूं कि माननीय मित्र यह चाहते हैं कि अपना कदम जो हमने रखा है, जो प्रजातन्त्र की नींव डाली है उसको तोड़ दिया जाय। आज जो स्थिति है उससे यह चीज स्पष्ट है। आज हमारे मित्र इस प्रकार के एतराजों को उठाते हैं तो हमें देखना ही पड़ेगा कि वे कौन मित्र इस प्रकार के एतराजों को उठाते हैं।

श्री गोपीलाल यादव—ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर, माननीय मित्र से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी हर बात में इल्जाम लगाते हैं कि दूसरे इन बातों से बुरे हैं। यदि आप खुद इमानदार हैं तो आप दूसरों को भी इमानदार समझें।

Page No.61

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष—He should confine himself to the main point. This should not be turned into a general debate.

श्री हरिदेव जोशी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज फिर यह कहा गया है कि कांग्रेस ने यह किया है, कांग्रेस ने वह किया है तो मुझे यह अधिकार है कि मैं कांग्रेस को डिफेण्ड (defend) करूं। बेजा ढंग से कांग्रेस पर इल्जाम लगाये जावेंगे तो मैं डंके की चोट से जवाब दूंगा।

(सरकारी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

अगर मैं उन चीजों का, जो कांग्रेस के खिलाफ लगाई जाती हैं, जवाब नहीं देता हूं तो इसका मतलब यह होता है कि मैं उनको स्वीकार करता हूं अथवा उन इल्जामों को कांग्रेस पर लेता हूं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि आज फिर मेरे मित्र जो इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस अनडेमोक्रेटिक तरीके काम में लेती है; मैं इस चीज को गलत बताना चाहता हूं और यह केवल कांग्रेस को क्रिटिसाइज और उसको बदनाम करने के लिये ही कहा जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि......

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Mr. Deputy Speaker, Sir, he is violating the Orders of the Chair. He is not confining himself to the main point.

श्री उपाध्यक्ष—अच्छे ढंग के रिमार्कस होने चाहियें।

श्री हरिदेव जोशी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं विषय से परे नहीं जा रहा हूं। मेरे एक मित्र ने राजस्थान गवर्नमेण्ट को अल्प बहुमत के आधार पर चुनी हुई बताया और कहा कि उसको अधिकार नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को नोमिनेट करे। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि हमको यह सोचना पडेगा कि यह दृष्टिकोण का भेद है। अगर प्रजातन्त्र तरीके से उस पर विचार करें तो हमें यही मालूम होगा कि गवर्नमेण्ट को जो अधिकार नहीं देना चाहते हैं वे इसीलिये कि वे उसको अपने दृष्टिकोण के अनुकूल नहीं समझते। अतः जो डिलीट करने का प्रस्ताव रखा गया है उसको अस्वीकार कर दिया जाय।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्षजी, सदन के सामने मेरे मित्र भैरोंसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है कि ग्यारहवां सेक्शन जो है उसे डिलीट कर दिया जावे, इसके बारे में मुझे यह कहना है कि अभी कांग्रेस के द सदस्यों ने जो कुछ बातें कहीं उनको सुन कर मुझे दुःख भी हुआ और इसके साथ साथ इस बात की तसल्ली भी हुई कि आज तक हम उन पर जो आरोप लगाते आ रहे हैं उनको उन्होंने अपनी जबान से स्वीकार कर लिया। मैं, जब से यह राजस्थान असेम्बली कायम हुई, तब से आज तक यह कहता आ रहा हूं कि सत्तारूढ़ दल सब जगह अपने पिट्ठुओं को सत्ता देना चाहता है। इस बात के लिये सत्तारूढ दल हमेशा चुप्पी साधे आ रहा है और इस बात को सुना-अनसुना करता रहा है। (विषयान्तर सूचक घंटी) पर आज कांग्रेस दल के एक बहुत बडे जिम्मेदार सदस्य ने इस बात को स्वीकार

Page No.62

[श्री मानसिंह महार]

किया, इसके लिये मैं उनको मुबारकवाद देता हूं। उन्होंने जो कुछ फरमाया उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और उनको यह बता देना चाहते हैं कि इस प्रकार की संकुचित मनोवृत्ति जनतन्त्रवाद का हनन करने में ज्यादा सहायक हो सकती है, न कि जनतन्त्रवाद को प्रोत्साहन देने में। हमें कहा जाता है कि विरोधी पक्ष हमें सहयोग दे। पर मैं कहता हूं ऐसे आदमियों को सहयोग किस उम्मीद पर दिया जावे? (पुनः विषयान्तर सूचक घंटी) मैं जवाब दे रहा हूं। इतनी देर तक हमारे खिलाफ अनर्गल प्रचार हुआ, इसका मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष——कन्फाइन करिये अपने सब्जेक्ट को।

श्री गोपीलाल यादव——आप बोल सकते हैं।

श्री मानसिंह महार——कोई बात नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने यह कहा कि हमारे पास उन आदमियों के लिये कोई जगह नहीं है.....

श्री हरिदेव जोशी——मैंने यह नहीं कहा है। मेरे कथन को तोड मरोड कर बयान किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब यह था कि उन आदमियों से हमें सतर्क रहना है जो भीतर जाकर सेबोटेज करना चाहते हैं।

श्री मानसिंह महार——सेबोटेज का मतलब गोली मारना होता है। इनमें कोई ऐसा नहीं है जो गोली से आपको उडाना चाहता हो। सेबोटेज का मतलब यह होता है। पर उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ११ वें क्लॉज के बारे में दो-चार बडी भारी शंकाएं हैं, उनका समाधान अगर माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, जिन्होंने आज हमारे संशोधन के विषय को लेकर बडी उदारतापूर्वक जवाब दिया है, उनसे मैं आशा करूंगा, अगर करेंगे तो बडी महरबानी होगी। मैं आशा करता हूं कि मेरी छोटी सी बात है, दो तीन पोइन्ट की तो अवश्य है, पर उसका भी थोडा बहुत जवाब देंगे और मैं अपनी जो कुछ भाषा होगी उसको इतनी संयत और नम्र बनाने की कोशिश करूंगा कि वे यह नहीं समझें कि मैं उनको गाली-गलौज दे रहा हूं। इसलिये इतनी बात कह कर मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से उम्मीद करूंगा कि यह जो नोमीनेशन वाली ११ वीं क्लॉज रखी है उसके पीछे कहीं आप यह बात तो नहीं करेंगे कि अगर किसी इलाके की ग्राम पंचायत में विरोधी पक्ष के ज्यादा सदस्य आवेंगे और आपको यह भय हो जावेगा कि उस ग्राम पंचायत में १५ विरोधी पक्ष के सदस्य हैं और ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो उस ग्राम पंचायत को भी जयपुर म्युनिसिपैलिटी की तरह अनर्गल आरोप लगा कर सुपरसीड कर दें। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मेजोरिटी हो सकती है। तो जो सरकार इस प्रकार की छोटी छोटी बातें, जैसे जयपुर शहर की म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड कर सकती है वह एक छोटी सी ग्राम पंचायत को क्या बडी बात समझती है? अगर इस प्रकार की पक्षपातपूर्ण बातें यह सरकार करेगी (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) तो हम यह समझ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का यह डाइरेक्ट चुनाव कैसा होगा? वह महान् पक्षपात पूर्ण होगा और वह केवल सत्तारूढ़ दल के साथ कायम रखने के लिये होगा। ऐसी सूरत में हम इस क्लॉज को रखने के लिये कतई तैयार नहीं हैं।

[श्री मानसिंह महार]

इसके अलावा मुझे अफसोस इस बात का है कि भीलवाडा जैसे एडवान्स्ड इलाके के माननीय सदस्य ने इस ११वीं धारा का मतलब भी नहीं समझा। मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि अभी मेरे मित्र ने यह कहा कि सीकर में अंगूठा चेप मेम्बर्स हैं। सीकर में तो अंगूठा चेप हैं पर भीलवाडा, जिसको मैं अभी देख कर आया हूं और जिसे राजस्थान का नगमा कहना चाहिये, वहां से एक बी. ए. एल. एल. बी. पास एक सदस्य आये हैं और वे छोटी-मोटी बात भी नहीं समझ सकते हैं। यह राजस्थान के दुर्भाग्य की बात है। वे मेरे मित्र हैं इसलिये उनके बारे में ज्यादा न कह कर मैं यही निवेदन करूंगा कि इस चीज को सोच-समझ कर फरमाते तो बड़ा अच्छा होता।

इसके अलावा मैं स्वायत्त शासन मन्त्रीजी से यही कहूंगा कि अगर आप वाकई में जनतन्त्र को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो जिन इलाकों में पंचायतों का चुनाव न हो तब तक वहां के वे स्थान खाली रखें और इसके साथ ही आप महीने, दो महीने की लिमिट रख लीजिये कि इस बीच हम चुनाव करा देंगे।

मैं तो यही मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, और यही सदन को भी कह देना चाहता हूं कि जो सरकार, सरकार कहलाने लायक नहीं है उस सरकार को ठुकरा देना चाहिये क्योंकि वह एक पंचायत का चुनाव नहीं करा सकती। इसलिये मैं सरकार से अपील करूंगा कि यह जो क्लॉज है वह घृणित क्लॉज है और इसे आपको एक सम्मति से ड्राप कर देना चाहिये और ऐसे क्लॉज को ड्राप करने से मैं मानता हूं कि आपकी पार्टी के मंत्री महोदय ने जो कुछ फरमाया उस बात को तो प्रोत्साहन नहीं मिलेगा लेकिन आपकी पार्टी की और खासकर हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी की शोभा, जो नीचे जा रही है ऊपर उठ जावेगी। मैं बहुत खुश हूंगा यदि उनकी शोभा ऊंची उठे। उन्हें आज जो ठेस लग रही है उसके लिये मुझे हार्दिक दुःख है।

श्री ईश्वरीसिंह—श्री उपाध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि प्रजातन्त्र का गला घोटा जा रहा है वह गला तो खुल जावेगा, पर वे घमंड के साथ कहते हैं कि अंगूठाचेप मेम्बर सीकर से आये हैं। वे तो हमेशा यही कहते हैं। कहते हैं कि विरोध करने आये हैं, शिकायतें करने आये हैं। रोजाना वे तो ऐसा ही कहते हैं। उनका यही मकसद है जैसे न्याय वे ही करने हों और सब कोई दूसरे विरोध करने वाले और अन्याय करने वाले हों। हमारी मांग है कि जो चुनाव हों वह सारी प्रजा के द्वारा हों, नामीनेट चुनाव नहीं होवें तो क्या यह कहना भी बिना न्याय की बात है? फिर न्याय की चीज क्या होवेगी? मुझे इसका भी बड़ा भारी अचरज हुआ है। वे कहते हैं कि मेम्बर नोमीनेट हो जावेंगे पर वे नोमीनेट नहीं हो सकेंगे, प्रजा की भावना जो इसके खिलाफ है तो कैसे कोई ऐसा कर देगा? (विरोधी पक्ष से 'हियर-हियर' की आवाज) जो अच्छी तरह पढ़े हुए हैं वे क्या करेंगे? अगर प्रजा की भावना यह है कि पन चुन लिया जावे, नोमीनेट न किया जावे तो हमको तो चुनाव की जरूरत है, नोमीनेट की को जरूरत नहीं।

फिर अगर खर्चे का हवाला देते हैं तो यह भी कहना ही पड़ेगा। इस इलेक्शन में किया या नहीं किया? बिना खर्चे के तो कोई काम नहीं होता। पंचायत भी तभी चलेगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी तभी

[श्री ईश्वरी सिंह]

चलेंगे । जब खर्चा होगा तो खर्चा तो सब जगह होगा ही । नोमीनेट मेम्बर होंगे, वे मोटरों में बैठ कर अच्छी तरह फिर आवेंगे, तीन लाख रुपये जो मुकर्रर हुए हैं। सौ-सौ गांवों में एक आदमी का पता नहीं लगे और एक एक गांव में सौ सौ आदमी का पता लग जावे यह क्या चुनाव का तरीका है ? मैं तो यह बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं कि पक्षपात से काम मत करो। विरोधी पक्ष भी अगर सही, न्याय की बात कहता है तो मानो; नहीं तो बरबाद होवोगे। आप नोमीनेट मत करो चुनाव कराओ तो अच्छी तरह, आप लोगों का बेड़ा पार हो जावेगा। नहीं तो सब वादे आपके ऐसे ही रहेंगे। घमंड करके मत बैठो, घमण्ड आगे नहीं चलेगा।

श्री किशनलाल शाह—माननीय उपाध्यक्षजी, बहस के दौरान में मैं समझता हूं कि कुछ जान में या कुछ अनजान में इस क्लॉज की जो मंशा है उस पर लीपापोती करने की कोशिश की गई है। क्लॉज सीमित अवस्था में गवर्नमेण्ट को एक सीमित अधिकार देती है और वह सीमित अवस्था यह है कि उस क्षेत्र में, जहां कि पंचायत एग्जिस्ट (Exist) नहीं करती तो उस इलाके की जनता को, जब तक वहां पंचायत स्थापित न हो जाय उसके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो उसका अंगभूत क्षेत्र है उसमें अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती है। यह भी हो सकता है कि पंचायतों के चुनाव पंचायत एक्ट के मातहत, जिसका एक अलग कानून है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव उन पंचायतों के आधार पर होगा। तो राजस्थान जैसे विशाल क्षेत्र में जब पंचायतों के चुनाव, जिसका आधार एक बहुत ही सुन्दर यानि बेलट तरीका रखा गया है उसमें चार या छः महीने का समय लग सकता है। उसके बाद इस एक्ट के लागू होने के बाद ६ महीने में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव करने पड़ेंगे। इसमें बोर्ड के चुनाव के लिए अवधि निर्धारित कर दी गई है जब कि पंचायतों के चुनाव में कोई अवधि निश्चित नहीं है। उस पंचायत काल में, उस सीमित अवस्था में गवर्नमेण्ट को सीमित अधिकार है। जब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव न हो जाय वह नोमीनेट कर सकती है।

दूसरी बात यह है कि कोई भी क्षेत्र पंचायतों की सीमा से परे नहीं रहेगा। उनमें जो भी व्यक्ति रखे जायेंगे, वे हमसे तो होंगे; हमारे द्वारा लिये हुए तो व्यक्ति होंगे। यह तो मानव स्वभाव है कि जो व्यक्ति चुन कर आवेगा तो वह अपने क्षेत्र का ध्यान अवश्य रखेगा, क्योंकि आयंदा भी उसे उस क्षेत्र से अपने मत हासिल करना है। वे अपने को स्थायी रखने की कोशिश करेंगे ताकि जनता का उन पर विश्वास रहे। इस प्रकार से वहां की जनता के लिये, इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के नोमीनेशन से जनता के लिये कोई खतरा नहीं हो सकता। इस सवाल के लिये जो अधिकार का उपयोग किया गया है वह साफ है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो संशोधन इस क्लॉज को डिलीट करने के लिये रखा गया वह नामंजूर किया जाय और यह धारा जैसी है वैसी ही पास की जावे।

श्री कानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, दफा ११ को डिलीट करने का जो प्रस्ताव इस तरफ से पेश हुआ है इस संबंध में जो दलील सरकार की तरफ से दी जाती है उसके लिये मेरा निवेदन है कि मेरे खयाल में वे देहातों की स्थिति से वास्तविक रूप से वाकिफ नहीं हैं। पंचायतों का चुनाव होगा वह चुनाव भी, जैसा कि पंचायत एक्ट में प्रोवीजन है, सरकार द्वारा किये जायेंगे। अब जिस तरीके से

Page No.65

(श्री कार्नसिंह)

डिस्ट्रिक्ट वोर्ड के चुनाव होंगे उस वक्त अगर सरकार की नीयत साफ नहीं है, ऐसे बहुत से एरिया हो सकते हैं जहां सरकार द्वारा पंचायतों का चुनाव न करा कर वे स्थान रिक्त रखे जा सकते हैं। जब कि ऐसे पंचायतों की जगहों को रिक्त रखना सरकार के अधिकार में है और फिर रिक्त स्थानों पर नोमीनेट करके कुछ असें के लिये सरकारी सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में रख दिये जांय तो मेरे खयाल में सरकार के हाथ में ऐसे अधिकार देना है जिससे सरकार बहुत कुछ मिश्चीफ कर सकती है। समझ लिया जाय कि एक तिथि को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कुछ जगहें खाली हैं; उस जगह सरकार कुछ सदस्य नोमीनेट कर देती है और जब तक पंचायतों के चुनाव होकर चुने हुए सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में न आ जांय उस दौरान में नोमीनेशन के जरिये वे मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसिडेण्ट का चुनाव कर सकते हैं और इस तरह से बहुत से लोगों को अपने अधीन कर सकते हैं। Lot of things can be done in the mean time. इस तरह से नये लोगों को लगा सकते हैं, सभापति का चुनाव भी कर सकते हैं और इस तरह से जो पोपुलर एक्ट्स (कार्य) नहीं वे भी किये जा सकते हैं। ऐसी हालत में यह जो दफा है, इसमें सरकार की जो नीति है वह प्रजातन्त्र के उसूलों के खिलाफ है। इस दिशा की तरफ जब विरोधी दल की ओर से ध्यान दिलवाया जाता है, बहुत सी दलीलें दी जाकर ऐसे ऐसे आर्ग्युमेंट्स दिये जाते हैं जिनका जवाब तक नहीं दिया जाता।

अगर आप नोमीनेशन को ठीक समझते हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट वोर्ड के चुनाव ही क्यों करते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों को नोमीनेशन द्वारा ही क्यों नहीं रख देते? हम जो कुछ भी दलील देते हैं सरकार उसका जवाब तक नहीं देना चाहती। हमारा भाषण करना एक तरह से उनके सामने भैंस के आगे मृदंग बजाने की तरह है। हमारे आर्ग्युमेन्ट्स उन पर कोई असर नहीं कर सकते। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि सरकार ने इस प्रकार की जो नीति अख्त्यार कर रखी है कि सरकार का ध्यान यदि किसी आवश्यक बात की ओर आकर्षित करते हैं तो उस पर वह ध्यान न देकर हमारी दलील को सुनना तक नहीं चाहती, अपनी मनमानी करना चाहती है, ठीक नहीं। यह पार्टी जो इस वक्त सत्तारूढ़ है, आपके पास कुछ दिनों के लिए सत्ता आई है यह उनके पिछले पुण्य का फल है, जिसके भोग वे भोग रहे हैं किन्तु जैसी कि एक कविता का सार है कि जब तक आपके पुण्य का विनाश नहीं हो जाता तब तक आप मौज कर लें और हमारी कही हुई उचित बातों को भी ठुकरादें, किन्तु मैं अर्ज करता हूं कि सरकार इस नीति को छोडकर, जो सही बात कही जाय, उसको स्वीकार करे।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में बहुत कुछ बातें न कहकर कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि जो भी सही बात इस पक्ष की ओर से कही जाती है, उन्हें भी बहुमत स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो फिर हमारा कहना एक तरह से व्यर्थ हो जाता है। जैसा कि पहले कहा गया था कि मत देने का प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है तो यह भी हरएक व्यक्ति के अधिकार की बात है कि वह चाहे उसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर चुने। यह कोई नयी बात नहीं। मेरा मतभेद सरकार की इस नीति से है कि सरकार चाहेगी उन सदस्यों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सदस्य नामजद कर देगी। जब तक कि पंचायतों द्वारा उनका चुनाव नहीं हो जाता

(श्री रूपनारायण शास्त्री)

यह निश्चित रूप से हमारे मताधिकार पर आघात है। आप यदि यही रखना चाहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आदमियों का नाम निर्देश करके नियुक्त कर देंगे और वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य माने जायेंगे। अगर कहीं पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाते हैं तो वहां पंचायतों के मताधिकार से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों को बनाने की गुन्जाइश ही नहीं रह जाती।

मैं कहना चाहता हूं कि पंचायतों का चुनाव आपके हाथों में है। आपका रजिस्ट्रार जायगा आपका इन्सपेक्टर जायगा, सरकारी इन्सपेक्टर जैसा चाहेगा जबरदस्ती वैसा चुनाव प्रजा से करा लेगा। पंचायतों का चुनाव आपके हाथों में है और पंचायतों के चुनाव होने के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में वे सदस्यों को मनोनीत करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों को नियुक्त करना आपके हाथ में है। यह सब सत्ता आपने लेली तो फिर जनतन्त्र की सरकार द्वारा जनता के हाथ में कौन सी सत्ता दी गई, यह मेरी समझ में नहीं आया। इसलिए उपयुक्त है कि जल्दी से जल्दी पंचायतों का चुनाव करें। पंचायतों का चुनाव कर दें, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव भी स्वतन्त्र रूप से कर दें। चुनाव होने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य मनोनीत होते हैं तो उनको उपयुक्त सदस्य मान लिया जाय। इस तरह नहीं करें जैसा सीकर का जो चुनाव हुआ और नाम-निर्देश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो चुनाव है वह इस बात की शिक्षा देता है कि वह किस तरह का अच्छा काम कर रहे हैं? उनसे कितना जनहित हुआ है, किस तरह की वह बातें होंगी, वह सदन के सामने आयेंगी तो पता चलेगा। सरकार द्वारा नियुक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड किस तरह से हम लोगों के साथ बर्ताव करेंगे, यह आपको मालूम हो जायगा। सीकर कॉन्स्टीटुएन्सी से कोई कांग्रेसी चुना हुआ नहीं आया है तो वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया ('शेम शेम' की आवाज) मैं आपको बतलाऊं कि पलसाना से शहर तक सड़क बनाने के लिए रुपये मन्जूर हो गये, क्योंकि वहां से एक कांग्रेसी कैन्डीडेट खड़ा हुआ था, उसे किसी तरह से पास कराना था। इसलिए हमारे गाढे पसीने की कमाई को बेकार फेंका गया है। जहां आवश्यकता थी वहां खर्च नहीं किया गया है ("शेम, शेम" की आवाज) तालाब बनाने के लिए कहा ताकि वहां पानी इकट्ठा हो जाय तो किसानों को बड़ा लाभ होगा और उतना रुपया वापिस मिल जायगा, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि जहां जहां से कांग्रेसी को वोट नहीं मिले वहां वहां एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। अगर यह दृष्टिकोण रहेगा तो हम पसन्द नहीं करते हैं कि सरकार के मनोनीत सदस्य वहां पर काम करें और अपनी इच्छानुसार जनता की गाढी कमाई के पैसे को, जिस तरह पहले जागीरदार लोग अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए जमीन दे देते थे, उस तरह यह रुपया दें, ताकि वह कांग्रेस का समर्थन करते रहें। कांग्रेस के समर्थन के लिए जो कुछ किया जाता है, बहुमत के आधार पर जो कुछ कर सकते है कर लें। बहुमत न्याय को तिलाजंलि दे ही दे और जो कुछ करना चाहे कर सकता है। (हियर हियर)

(श्री भैरूंसिंह केलवा के बोलने के लिए खड़े होने पर कई आवाजें "Time is over")

श्री उपाध्यक्ष—क्या हाउस की यह सम्मति है कि इस बहस को और जारी रखा जाय।

Page No.67

श्री भैरूंसिंह (वि. सं. १६)—अभी तो सवाल समय का है। १२॥ बज गये हैं, बहस को आगे चालू रखने का नहीं।

श्री रामकरण जोशी—माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करता हूं कि बहस बहुत कुछ हो गई। इस धारा पर राय ले ली जाय और उसके बाद कन्सीडर कर ली जाय।

श्री अवनिकुमार—इसके ऊपर और भी बहस करना है। इसलिए वाद-विवाद समाप्त नहीं किया जाय, कल पर रखा जाय।

श्री कानसिंह—टाइम होगया, कल पर रखा जाय।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)— कल पर रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—तो सदन की यह सम्मति रही कि बहस चालू रखी जाय।

(विराम)

अब हाउस की कार्यवाही स्थगित की जाती है कल के ८॥ बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर ३५ मिनट पर, बुधवार, दिनांक ९-९-५३ के ८॥ बजे तक के लिए, स्थगित हुई)

विधान सभा भवन
जयपुर,
दिनांक ८ सितम्बर १९५३।

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिन के प्रकाशन की सम्बन्धित मंत्रियों की अनुमति है)।

प्रश्न संख्या ६५

श्री एच. के. व्यास--Will the Minister for Home be pleased to answer:-

(*a*) Is it a fact that fixation to new pay scales is being done in the Police Department ?

(*b*) Is it a fact that this fixation has meant a considetable reduction in the actual real emoluments of Sipahis, constables, head-constables and even S.I.S. ?

(*c*) Is it a fact that various allowances, *viz.*, camel allowance, horse allowance, city allowance, etc. have been discontinued under the new arrangements ?

(*d*) How many employees of the Police Department have been affected adversely by this kind of fixation ?

(*e*) Is it a fact that the fixation is being implemented with retrospective effect from 1-4-'50 ?

(*f*) Is it a fact that the excess over the present total emoluments drawn by the employees during these three years is being recovered from them ?

(*g*) Is the Government aware that this recovery is beyond the capacity of the poor employees to pay, as it amounts to hundreds from each employee?

(*h*) Is it a fact that in 1950, the Police staff was asked to opt between the old pay and allowances and the new pay and D.A. ?

(*i*) Is it a fact that in fixing the staff, that option is being ignored and all the employees are being fixed in the new pay scales ?

(*j*) Is it a fact that recovery of even those allowances is being made which were paid for the use of State purposes ?

(*k*) When these conveyance allowances are being stopped ? What has the Government done for alternative arrangements for the conveyance ?

(*l*) What does the Government propose to relieve the Police staff from this burden in these hard times ?

उत्तर

(ए) नई वेतन दरों में फिक्सेशन का कार्य प्रायः समाप्त हो चुका है और केवल चंद केस बाकी रहे हैं जिनकी छान बीन हो रही है ।

(बी) नई वेतन की कमी का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पूर्व एकीकरण कर्मचारी जो नई दरों के लिए ओप्शन नहीं देगा वह पुरानी वेतन दरों से पुराना वेतन पाता रहेगा, जब तक कि उसके हक में वह फायदेमंद हो ।

(सी) हां, पुलिस के नए सांचे में इन एलाउन्सेज के दिए जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(डी) ठीक संख्या अंतिम फिक्सेशन तथा झगड़े वाले मामलों का अंतिम निर्णय होने के बाद भी बताया जा सकता है । ऐसे मामले ज्यादा होने की संभावना नहीं है ।

(इ) हां ।

(एफ) वसूली का उन अलाउन्सों से सम्बन्ध है जो कर्मचारियों को नहीं मिलने चाहिये थे लेकिन उन्होंने १-४-५० के बाद का लिया है ।

(जी) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है ।

(एच) हां, वेतन की दोनों दरों में से चुनने की छूट दी गई थी न कि मय अलाउन्सों के पुरानी और नई वेतन दरें ।

(आई) नहीं ।

(जे) प्रश्न साफ नहीं है । यदि सदस्य महोदय का तात्पर्य उन अलाउन्सों से है जो उचित नहीं थे लेकिन उठा लिए गए हैं तो जवाब हां में है ।

(के) पुलिस के नये ढांचे में पुलिस के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों का सवारी अलाउन्स का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(एल) कठिनाई के मामलों पर विचार किया जायगा और फिक्सेशन का कार्य तथा अलाउन्स को एक स्तर पर लाने का कार्य पूरा होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी ।

प्रश्न संख्या ६६

श्री एम. के. व्यास--

(*a*) Is it a fact that S.Is. Police Badri Prasad and Durga Prasad of Dausa were suspended on account of taking a bribe of Rs. 300/- from a Mina ?

(*b*) Is it a fact that a few days after that, the above Mina was arrested under orders of D.S.P. Dausa ?

(*c*) Is it a fact that the Mina was prevented from giving his statement in the above case of corruption ?

उत्तर

(अ) एक रिश्वत की शिकायत जो कि एक मीणों ने की थी उस पर एस. आई. श्री बद्रीप्रसाद और हैड कान्सटेबल दुर्गा प्रसाद पुलिस थाना, दौसा को मौत्तिल कर दिया गया ।

(बी) यह सच नहीं है। सच यह है कि पुलिस अफसरों को मौत्तिल करने से पहले उन्होंने एक केस उक्त सीपों के खिलाफ जो कि हिस्ट्री शीटर हैं दफा ११० सी आर. पी. सी. अदालत में पेश कर दिया था।

(सी) इसका जवाब "नहीं" में है।

प्रश्न संख्या ७१

श्री एच. के. व्यास—Will the Hon'ble Minister for Home be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that about six months back, a forged payment of Rs. 15,000/- was made in the Bank of Jaipur Ltd., H.O. ?

(b) Is it a fact that no report was lodged with the Police at that time ?

(c) Is it a fact that the report was lodged at City Kotwali in the last week of February, 1953 ? If so, has the Bank given reasonable explanation for this extraordinary delay ?

(d) Is it a fact that some Bank employees were taken under police custody and were kept for a week or so there ?

(e) Is it a fact that the D.S.P. City, usually non-interested in such cases, intervened in the investigation of this particular case ?

(f) Were the Bank employees beaten and mishandled while they were under police custody ?

(g) What are the findings of the police enquiry and what has been done in this case ?

उत्तर

प्राप्त नहीं हुआ

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ६५ का उत्तर देखिये)

Statement Showing the number of schools (District wise) opened in 1953-54.

	Name of District.	*Primary Schools Boys.*	*Primary Schools Girls.*	*Total.*
1.	Jaipur	64	13	77
2.	Jodhpur..	31		31
3.	Pali	26	12	38
4.	Barmer	20		20

1	2	3	4
5. Jalore	18	11	29
6. Sirohi	41	10	51
7. Udaipur	52	15	67
8. Bhilwara	30	4	34
9. Chittore	21	6	27
10. Banswara	15	2	17
11. Dungarpur	12	6	18
12. Sikar	28	6	34
13. Jhunjhunu	28		28
14. Alwar	41	9	50
15. Bharatpur	37	7	44
16. Kotah	24	6	30
17. Bundi	13	2	15
18. Jhalawar	9	2	11
19. Tonk	5	3	8
20. Sawai Madhopur	25	1	26
21. Bikaner	10	6	16
22. Churu	23	2	25
23. Ganganagar	24	6	30
TOTAL ..	597	129	726